

[2023] 8 एस. सी. आर. 496

अरुण भुवन

वी.

असम राज्य और ए. एन. आर.

(2007 की आपराधिक अपील संख्या 889)

24 मार्च, 2023

[एम. आर. शाह, सी. टी. रविकुमार और

संजय करोल, जे. जे.]

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967। 10 (क) (i), 3 और 4 - धारा 10 (ए) (आई) में प्रावधान है कि जहां किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित किया जाता है

यू/द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा एस. 3 जो इसके तहत प्रभावी हो गया है

उस धारा की उप-धारा 3, एक व्यक्ति जो ऐसे संघ का सदस्य है और बना रहेगा, कारावास से दंडनीय होगा।

ऐसी अवधि के लिए जो 2 साल तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी-क्या "सक्रिय सदस्यता" को साबित करने की आवश्यकता है

और इसके तहत एक प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता से ऊपर

यू. ए. पी. ए, 1967-आयोजित: अधिनियमन का उद्देश्य और उद्देश्य

यू. ए. पी. ए. कुछ गैरकानूनी मामलों की अधिक प्रभावी रोकथाम के लिए है।

गतिविधियाँ - एस. 10 (ए) (आई) को पूरी तरह से अनुरूप कहा जा सकता है।

कलाओं के साथ। 19 (1) , (2) & (4) यह उस उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कहा जा सकता है जिसके लिए यू. ए. पी. ए.

अधिनियमित किया गया-किसी भी संगठन को गैरकानूनी घोषित करने से पहले,

व्यापक प्रचार सहित विस्तृत प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है।

और यहां तक कि न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व का अधिकार - एस. 10 (ए) (आई)

अनुचित और/या असमान-एस के अनुसार। 10 (a) (i), एक व्यक्ति केवल इसलिए दंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह इस प्रकार का सदस्य था।

घोषणा के बाद सदस्य बने रहना, जो आकर्षित नहीं करता है
बार जब किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित कर दिया जाता है

एस की शरारत। 10 - हालांकि, एक

जिनका संबंधित व्यक्ति सदस्य था और वह चाहता है कि

इस तथ्य के बावजूद कि वह अच्छी तरह से जानता है एक सदस्य के रूप में जारी रखें

तथ्य यह है कि इस तरह के संगठन को गैरकानूनी घोषित किया गया है, यह उसकी ओर से एक सचेत निर्णय को दर्शाता है और इसलिए वह उत्तरदायी है

इस तरह के गैरकानूनी संगठन के साथ अपनी सदस्यता जारी रखने के इस तरह के कार्य के लिए दंडित किया गया-इसलिए, उसके बाद वह नहीं हो सकता है

शीतल प्रभाव सिद्धांत/सिद्धांत-शीतल प्रभाव सिद्धांत की शिकायत करने की अनुमति दी गई।

496 अरूप भुवन बनाम। असम राज्य और ए. एन. आर.

भारतीय संविधान कला। 19 (1) (ग) और 19 (4)-- अधिकार

बोलने की स्वतंत्रता-विदेशी निर्णयों का मूल्य-क्या बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित अमेरिकी निर्णयों पर भरोसा किया जा सकता है

के तहत उपलब्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर विचार करना

भारत का संविधान विशेष रूप से कला। 19 (1) (ग) और 19 (4)

उचित प्रतिबंधों के अधीन है और एक पूर्ण अधिकार नहीं है संविधान संसद को कानून बनाने की अनुमति देता है।

सार्वजनिक व्यवस्था और/या भारत की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए

- अमेरिकी कानूनों और भारतीय कानूनों में अंतर को ध्यान में रखे बिना कानून, अरूप भुइयां (दो न्यायाधीश) के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय

न्यायपीठ का निर्णय) और रानीफ ने सीधे और सीधे गलती की

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन करना-अमेरिकी फैसलों का पालन करने से पहले, भारतीय अदालतों को संबंधित क्षेत्रों में लागू कानूनों की प्रकृति में अंतर पर विचार करना आवश्यक है।

देश-निर्णय/आदेश।

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 - एस. 10 (ए) (आई)

रानीफ और अरूप भुइयां के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय (दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय)

एस. 10 (क) (i) कि केवल किसी प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता नहीं होगी।

हिंसा के लिए उकसाना-एस को पढ़ना। 10 (a) (i) बिना भारत संघ को एक पार्टी के रूप में शामिल करना और विशेष रूप से

जब उपरोक्त प्रावधान की संवैधानिक वैधता नहीं थी

आयोजित किया गया: जब कोई

प्रावधान

प्रश्न में बुलाया गया-यदि उचित हो

संघ की अनुपस्थिति में संसदीय कानून पढ़ा जाता है

भारत की संवैधानिक वैधता के लिए किसी भी चुनौती के अभाव में यह राज्य के हित को भारी नुकसान पहुंचा सकता है।

इस न्यायालय द्वारा कथित प्रावधान-एक के प्रावधान को पढ़ना जा सकता जब किसी प्रावधान का अर्थ है

कानून का सहारा तब नहीं लिया

स्पष्ट और असंदिग्ध और विधायी आशय स्पष्ट है-न्यायालय को एस को नहीं पढ़ना चाहिए था। 10 (क) यू.
ए. पी. ए., 1967 का (i)

जब न तो इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी और न ही

भारत संघ की बात सुनी गई।

कानूनों की व्याख्या-सिद्धांत/सिद्धांत-"पढ़ना"

डाउन डॉक्ट्रिन "-चर्चा की।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संदर्भ का जवाब देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:

शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि किसी क़ानून के प्रावधान का ऐसा अध्ययन इसके बिना नहीं किया जा सकता था भारत संघ को सुनना और/या कोई अवसर दिए बिना

भारत संघ के लिए। जब भारत संघ की अनुपस्थिति में संसदीय विधान के किसी भी प्रावधान को पढ़ा जाता है तो इससे राज्य के हित को भारी नुकसान होने की संभावना होती है। अगर

यू. ए. पी. ए. की धारा 10 (ए) (आई) की संवैधानिक वैधता को इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधान को कम करने का कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए, यू. ए. पी. ए., 1967 की धारा 10 (ए) (आई) की संवैधानिक वैधता को किसी भी चुनौती के अभाव में इस न्यायालय के लिए उक्त प्रावधान को पढ़ने का कोई अवसर नहीं था। इसके अलावा, नीचे पढ़ें क़ानून के प्रावधान का सहारा तब नहीं लिया जा सकता जब किसी प्रावधान का अर्थ स्पष्ट और स्पष्ट हो और विधायी इरादा स्पष्ट हो। इस न्यायालय को यू. ए. पी. ए., 1967 की धारा 10 (ए) (आई) को अधिक विशेष रूप से नहीं पढ़ना चाहिए था, जब न तो संवैधानिक

यू. ए. पी. ए., 1967 की धारा 10 (ए) (आई) की वैधता को चुनौती दी गई थी और न ही भारत संघ की सुनवाई हुई थी। [पैरा 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 और 11.5] [535-एफ-एच; 536-ए-ई, एच]

2. अमेरिका और अमेरिका में क़ानूनों की विभिन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए

हमारा देश विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) और 19 (4) का सामना कर रहा है, जिसके तहत स्वतंत्रता का अधिकार

भाषण उचित प्रतिबंधों के अधीन है और एक पूर्ण अधिकार नहीं है और संविधान संसद को अमेरिकी अरूप भुवन बनाम में मतभेदों को ध्यान में रखे बिना, सार्वजनिक व्यवस्था और/या भारत की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए क़ानून बनाने की अनुमति देता है।

असम राज्य और ए. एन. आर.

संबंधित देशों में लागू। [पैरा 13 और 13.1] [542 जी-एच; 453-ए-सी] 3.1 किसी भी संगठन को गैरकानूनी घोषित करने से पहले व्यापक प्रचार सहित एक विस्तृत प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।

और यहाँ तक कि ऐसे संघ के किसी सदस्य को भी न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना सरकार द्वारा किसी विशेष संगठन को गैरकानूनी घोषित करना, धारा 4 के अनुसार न्यायाधिकरण द्वारा जांच और अनुमोदन के अधीन है। एक बार ऐसा करने के बाद और इसके बावजूद एक व्यक्ति जो इस तरह के गैरकानूनी संगठन का सदस्य है, वह इस तरह के गैरकानूनी संगठन का सदस्य बना रहता है तो उसे परिणाम का सामना करना पड़ता है और उसके अधीन किया जाता है।

3.2 . एक व्यक्ति जो इस तरह के गैरकानूनी संघ का सदस्य है, वह इस तरह के संघ की घोषणा को गैरकानूनी के रूप में जानता है और इसके बावजूद अगर वह अभी भी ऐसे गैरकानूनी संघ का सदस्य बना हुआ है जो गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त है और भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसका इरादा बहुत स्पष्ट है कि वह अभी भी ऐसे संघ के साथ जुड़ना चाहता है जो 'गैरकानूनी गतिविधियों' में लिप्त है और भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। भारत। धारा 10 (1) (i) में उपयोग की जाने वाली भाषा और अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

संगठन को गैरकानूनी घोषित किया गया है, यह बहुत स्पष्ट है।

, [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 10 (ए) (आई) किसी भी अस्पष्टता से ग्रस्त नहीं है और/या

जमीन अनुचित और/या असमान है। [पैरा 16.1] [556 ई-जी] 3.3 धारा 10 (ए) (आई) के अनुसार किसी व्यक्ति को केवल इसलिए दंडित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह इस तरह के गैरकानूनी संगठन का सदस्य था।

धारा 10 सहित भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रावधान है कि धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा "जिसमें किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित किया जाता है" जो उस धारा की उप-धारा 3 के तहत प्रभावी हो गया है। इसलिए, धारा 3 के तहत अधिसूचना के उप-धारा 3 के तहत प्रभावी होने के बाद ही उस धारा का अंतिम भाग लागू होता है। धारा 10 (ए) (आई) की भाषा में भी बहुत सावधानी से कहा गया है कि "कौन इस तरह के संघ का सदस्य है और कौन बना रहेगा"। इसलिए, सही व्याख्या पर, यदि कोई व्यक्ति है

सदस्य रहा है लेकिन घोषणा के बाद सदस्य बने नहीं रहता है, जो धारा 10 की शरारत को आकर्षित नहीं करता है। द.

इरादा यह प्रतीत होता है कि वह न केवल उस दिन सदस्य था जब संघ को गैरकानूनी घोषित किया गया था, बल्कि वह सदस्य बना हुआ है। इरादा बहुत स्पष्ट है कि न केवल दी गई तारीख को बल्कि उसके बाद भी आप उस संगठन के सदस्य बने रहेंगे जिसे गैरकानूनी गतिविधियों के कारण गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों के खिलाफ पाया जाता है। इसलिए, एक बार जब किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित कर दिया जाता है, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति था सदस्य इस तथ्य के बावजूद सदस्य के रूप में बने रहना चाहता है कि वह इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ है कि इस तरह के संगठन को गैरकानूनी घोषित किया गया है और अगर वह अभी भी इस तरह के गैरकानूनी संगठन का हिस्सा बने रहना चाहता है तो यह उसकी ओर से एक सचेत निर्णय को दर्शाता है।

और इसलिए इस तरह के गैरकानूनी संगठन के साथ अपनी सदस्यता जारी रखने के इस तरह के कार्य के लिए दंडित होने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, उसके बाद वह शीतल प्रभाव की शिकायत नहीं कर सकता है। [पैरा 17.1] [557-बी-एफ]

4. रानीफ, अरूप भुइयां (दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले) और श्री इंद्र दास के मामलों में इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण।

यह विचार रखते हुए कि आतंकवादियों की धारा 3 (5) के तहत और

विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 10 (ए) (आई) मात्र

किसी प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता किसी व्यक्ति को अपराध नहीं ठहराएगी।

असम राज्य और ए. एन. आर.

जब तक कि वह हिंसा का सहारा नहीं लेता या लोगों को हिंसा के लिए उकसाता है और हिंसा का सहारा लेकर सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी या गड़बड़ी पैदा करने के उद्देश्य से कोई कार्य नहीं करता है और उक्त प्रावधानों को पढ़ने का अर्थ यह है कि प्रतिबंधित व्यक्ति की सदस्यता के अलावा

संगठन में एक स्पष्ट कार्य और/या आगे आपराधिक होना चाहिए

गतिविधियाँ और मेन्स रिया के तत्व को जोड़ना एक अच्छा कानून नहीं माना जाता है। जब किसी संगठन को धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा गैरकानूनी घोषित किया जाता है, जो उस धारा की उप-धारा 3 से प्रभावी हो गया है, तो एक व्यक्ति जो ऐसे संघ का सदस्य है और बना हुआ है, वह कारावास से दंडित होने के लिए उत्तरदायी है।

ऐसी अवधि के लिए जो दो साल तक बढ़ सकती है, और यू. ए. पी. ए., 1967 की धारा 10 (ए) (आई) के तहत जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी। [पैरा 18] [557

जी-एच; 558-ए-सी]

केरल राज्य बनाम रानीफ (2011) 1 एस. सी. सी. 784: [2011] 1 एससीआर 590; अरूप भुइयां बनाम भारत संघ (2011) 3

एस. सी. सी. 377 [2011] 2 एस. सी. आर. 506 और इंद्र दास बनाम। की स्थिति

असम (2011) 3 एससीसी 380: [2011] 4 एससीआर 289-आयोजित

अच्छा कानून नहीं है।

बाबूलाल पराटे बनाम महाराष्ट्र राज्य [1961] 3 एस. सी. आर. 423; मधु लिमये बनाम उप-मंडल मजिस्ट्रेट

(1970) 3 एससीसी 746: [1971] 2 एस. सी. आर. 711; सुपदी. , केंद्रीय कारागार बनाम डॉ. राम मनोहर लोहिया [1960] 2 एस. सी. आर. 821; जोसेफ कुरुविला वेलुकुनेल बनाम भारतीय रिजर्व बैंक [1962] पूरक 3 एस. सी. आर. 632; अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारतीय संघ (2008) 6 एस. सी. सी. 1: [2008] 4 एस. सी. आर. 1; केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) 4 एस. सी. सी. 225: [1973] पूरक। एस. सी. आर. 1; बिहार राज्य बनाम भारत संघ (1970) 1 एस. सी. सी. 67: [1970] 2 एससीआर 522 और

सुब्रमण्यम स्वामी और अन्य बनाम राजू

सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड और ए. एन. आर. (2014) 8 एस. सी. सी. 390 [2014] 9 एस. सी. आर. 283-पर निर्भर था।

संजीव कोक मैनुफैक्चरिंग कंपनी बनाम मेसर्स भारत कुकिंग कोल लिमिटेड (1983) 1 एस. सी. सी. 147: [1983] 1 एससीआर 1000; कौशल किशोर बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 6; रामलीला मैदान घटना, पुनः, (2012) 5 एस. सी. सी. 1: [2012] 4 एससीआर 971; एम. सी मेहता बनाम भारत संघ (1987) 1 एससीसी 395:

[1987] 1 एस. सी. आर. 819; पथुम्मा बनाम। केरल राज्य (1978) 2 एससीसी [2023] 8
एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1 : [1978] 2 एस. सी. आर. 537; पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम। भारत संघ (2004) 9 एससीसी 580: [2003] 6 पूरका एस. सी. आर. 860; गुजरात राज्य बनाम श्यामलाल मोहनलाल चोकसी [1965] 2 एससीआर 457; श्रेया सिंघल बनाम। भारत संघ (2015) 5 एससीसी 1: [2015] 5 एस. सी. आर. 963; केदार नाथ बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1962 एससी 955: [1962] पूरका एस. सी. आर. 769; बिहार राज्य बनाम शैलबाला देवी ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 329 [1952] एस. सी. आर. 654; एस. रंगराजन बनाम। पी. जगजीवन राम और अन्य (1989) 2 एससीसी 574: [1989] 2 एससीआर 204; ओ. के. घोष बनाम ई. एक्स. जोसेफ, ए. आई. आर. 1963 812: [1963] पूरका एससीआर 789; बलवंत सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1995) 3 एससीसी 214: [1995] 2 एस. सी. आर. 411; कर्तार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994) 3 एससीसी 569: [1994] 2 एससीआर 375; टीएन शिक्षा विभाग। मंत्री और सामान्य अधीनस्थ

सेवा संगठन। बनाम तमिलनाडु राज्य (1980) 3 एस. सी. सी. 97 [1980] 1 एस. सी. आर. 1026; मफतलाल इंडस्ट्रियल लिमिटेड बनाम। भारत संघ (1997) 5 एससीसी 536: [1996] 10 पूरका एस. सी. आर. 585 और तवाहा फसल बनाम भारत संघ (2021)

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1000 संदर्भित।

निहारेन्दु दत्त मजूमदार बनाम। राजा सम्राट 1942

ब्रांडेनबर्ग बनाम ओहायो 395 यू. एस. 444 (1969); स्केल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका [6 एल एड 2 डी 782]; एल्फब्रांड बनाम रसेल [16 एल एड 2 डी 321]; संयुक्त फासीवाद विरोधी शरणार्थी समिति बनाम मैकग्राथ [95 एल एड 817]-संदर्भित। प्रति संजय करोल, जे। (अलग से भी सहमत)

1. अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन और अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा बनाए गए अधिकारों के बीच विरोधाभास

भारतीय संविधान राज्य को भारत में ऐसी स्वतंत्रताओं को यथोचित रूप से प्रतिबंधित करने वाले कानून बनाने की शक्ति देता है। इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका में, उदाहरणों में न्यायपालिका द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसा कि अरूप भुइयां और इंद्र दास में भरोसा किया गया है, हालाँकि विधानमंडल के पास ऐसी कोई स्पष्ट शक्ति उपलब्ध नहीं है। [पैरा 15] [567-सी]

2. अरूप भयान में, न्यायालय ने एल्फब्रांड बनाम में अमेरिकी फैसलों पर भरोसा रखा। रसेल, क्लेरेंस ब्रांडेनबर्ग बनाम।

स्टेट ऑफ अरुप भुवन बनाम। असम राज्य और ए. एन. आर.

ओहायो और संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। यूजीन फ्रैंक रोबेल जिसमें 'संघ द्वारा अपराधबोध' के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि उपर्युक्त निर्णय भारत पर भी लागू होते हैं, क्योंकि भारत में मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स के समान हैं। उपर्युक्त निर्णय इस प्रकार हैं भारत में विचाराधीन परिदृश्य के लिए विरोधाभास। द.

अमेरिकी निर्णयों में मुख्य रूप से राजनीतिक संगठनों की सदस्यता या सरकार को उखाड़ फेंकने की वकालत करने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की घटनाओं के आधार पर अभियोग शामिल हैं। हालाँकि, भारतीय कानून के तहत, यह राजनीतिक संगठनों आदि की सदस्यता या सरकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या आलोचना पर प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं की जाती है, यह केवल वही संगठन हैं जो समझौते से समझौता करना चाहते हैं।

भारत की संप्रभुता और अखंडता को अधिसूचित किया गया है

ऐसा और गैरकानूनी, जिसकी सदस्यता निषिद्ध है। यह यू. ए. पी. ए. के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए है, जिसे व्यक्तियों और संघों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और उससे जुड़े मामलों के लिए लागू किया गया है। इसलिए, अंतर स्पष्ट है। [पारस 30 और 48] [572-एफ; 579-ए-सी]

3. अमेरिकी और भारतीय परिदृश्य के बीच "अंतर की दुनिया" है, जहाँ तक, उप-सेवारत सार्वजनिक हित है

चिंतित हैं। ऐसा लगता है कि यह अंतर दूर हो गया है।

डिवीजन बेंच का ध्यान अरुप भान और इंद्र दास पर था। इसलिए, एक विशिष्ट स्थिति में दिए गए निर्णयों पर निर्भरता रखना।

परिदृश्य के साथ-साथ एक स्पष्ट रूप से अलग संवैधानिक स्थिति, वह भी लगभग एकल रूप से, विशेष रूप से उन मामलों में जो शामिल हैं

राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता पर विचार नहीं किया गया था

न्यायसंगत है। [पारस 50 और 52] [580-सी, एफ]

अरुप भुयान बनाम। असम राज्य (2011) 3 एस. सी. सी. 377: [2011] 2 एससीआर 506 और श्री इंद्र दास बनाम। असम राज्य (2011) 3 एस. सी. सी. 380: [2011] 4 एस. सी. आर. 289-अच्छा नहीं रहा

कानून।

बाबूलाल पराते बनाम। महाराष्ट्र राज्य [1961] 3 एस. सी. आर. 423 और मधु लिमये बनाम। इसके बाद उप-मंडल मजिस्ट्रेट (1970) 3 एस. सी. सी. 746 [1971] 2 एस. सी. आर. 711 आए।

एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत संघ बनाम। नवीन जिंदल और दूसरा (2004) 2 एस. सी. सी. 510 [2004] 1 एस. सी. आर. 1038; हैदराबाद एस्वेस्टस सीमेंट उत्पाद और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और ओआरएस। (2000) 1 एससीसी 426: [1999] 5 पूरका एस. सी. आर. 155; श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) 5 एससीसी 1: [2015] 5 एस. सी. आर. 963; इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) प्रा. लिमिटेड और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (1985) 1 एस. सी. सी. 641 [1985] 2 एस. सी. आर. 287; अधीक्षक, केंद्रीय कारागार बनाम। डॉ. राम मनोहर लोहिया [1960] 2 एससीआर 821; पथुम्मा बनाम। केरल राज्य (1978) 2 एस. सी. सी. 1: [1978] 2 एससीआर 537; एम. सी मेहता बनाम भारत संघ (1987) 1 एस. सी. सी. 395 [1987] 1 एस. सी. आर. 819; अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत संघ (2008) 6 एससीसी 1: [2008] 4 एस. सी. आर. 1; जयेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2009) 7 एससीसी 104: [2009] 8 एससीआर 591 और रामलीला मैदान घटना, पुनः (2012) 5 एससीसी 1: [2012] 4 एस. सी. आर. 971-पर निर्भर। कौशल किशोर बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य। 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन 6; अरूप भुइयां बनाम। असम राज्य (2015) 12 एस. सी. सी. 702; धरम दत्त बनाम। भारत संघ (2004) 1 एससीसी 712:

[2003] 6 पूरका एस. सी. आर. 151; मद्रास राज्य बनाम वीजी रो [1952] एससीआर 597; बिहार राज्य बनाम। शैलबाला देवी ए. आई. आर 1952 एस. सी. 329: [1952] एससीआर 654; ओ. के. घोष और अन्ना वी. ई. एक्स. जोसेफ एयर 1963 एस. सी. 812: [1963] पूरका एससीआर 789; ए. पी. डेयरी विकास निगम। फेडरेशन वी। बी. नरसिम्हा रेड्डी (2011) 9 एससीसी 286: [2011] 14 एस. सी. आर. 1; रघुबर दयाल जय प्रकाश बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एयर

1962 एससी 263 [1962] 3 एससीआर 547; जमात-ए-इस्लामी हिंद बनाम। भारत संघ (1995) 1 एससीसी 428: [1994] 6 पूरका एस. सी. आर. 316; एक्सप्रेस अखबार (प्रा.) सीमित और एक अन्य वी। भारत संघ और अन्य (1959) एस. सी. आर. 12; त्रावणकोर राज्य-कोच्चि और अन्य बनाम। बॉम्बे

कं. लिमिटेड [1952] एस. सी. आर. 1112; बॉम्बे राज्य बनाम। आरएमडी। चमरबागवाला [1957] एस. सी. आर. एस. सी. आर. 874 874; रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक समाचार पत्र, बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड और ओआरएस। (1988) 4 एससीसी 592: [1988] 3 पूरका एससीआर 212; आर. के. गर्ग बनाम। भारत संघ (1981) 4 एससीसी 675: [1982] 1 एस. सी. आर. 947; मेनका गांधी बनाम। भारत संघ (1978) 1 एससीसी 248: [1978] 2 एस. सी. आर. 621 और केरल राज्य बनाम रानीफ (2011) 1 एस. सी. सी. 784 [2011] 1 एस. सी. आर. 590 का उल्लेख किया गया है।

अरुण भुवन बनाम। असम राज्य और ए. एन. आर.

मोरे वी। डाउड 354 यूएस 457 (1957); सेकी। कृषि

वी. सेंट्रल रॉयग रिफाइनिंग कंपनी 338 यू. एस. 604 (1949); गनी

वी. जोन्स (1970) 1 क्यू. बी. 693; एल्फब्रांड्ट बनाम। रसेल 384 यू. एस

17 (1966) ; क्लेरेंस ब्रांडेनबर्ग बनाम। ओहायो राज्य 395

यू. एस. 444 (1969); संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम यूजीन फ्रैंक रोबेल

389 यू. एस. 258 (1967); क्लेरेंस ब्रांडेनबर्ग बनाम। की स्थिति

ओहायो 395 यू. एस. 444 (1969); संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। यूजीन

फ्रैंक रोबेल 389 यू. एस. 258 (1967); स्केल बनाम। संयुक्त

स्टेट्स 367 यू. एस. 203 (1960); नोटो बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका 367

यूएस 290 (1960); कम्युनिस्ट पार्टी बनाम। विध्वंसक गतिविधियाँ
नियंत्रण बोर्ड 367 यू. एस. 1 (1961); संयुक्त फासीवाद विरोधी

शरणार्थी समिति v. मैकग्राथ 341 यूएस 123,174 (1951);

कीशियान वी। बोर्ड ऑफ रीजेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क 385 यू. एस. 589

1966 ; येट्स वी. यूएस 354 यूएस 298 (1957); व्हिटनी बनाम।
कैलिफोर्निया 274 यू. एस. 357 (1926); गिटलो बनाम। न्यूयार्क 268

यूएस 652 (1925); टर्मिनियेलो बनाम। शिकागो 337 यूएस 1
(1948) और डी जोंग वी। ओरेगन 299 यू. एस. 353 (1936)

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

एम. आर. शाह के निर्णय में, जे.

[2011] 1 एससीआर 590

अच्छा कानून नहीं है

पैरा 1

[2011] 2 एससीआर 506

पैरा 1

अच्छा कानून नहीं है

[1961] 3 एससीआर 423

उस पर भरोसा करें

पैरा 4

उस पर भरोसा करें

[1971] 2 एससीआर 711

पैरा 4

[1960] 2 एससीआर 821

उस पर भरोसा करें

पैरा 4.1

[2012] 4 एससीआर 971

पैरा 4.1

संदर्भित किया गया है

[1962] पूरक 3 एस. सी. आर. 632

उस पर भरोसा करें

पैरा 4.2

[1987] 1 एससीआर 819

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.2

[2008] 4 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 4.2

[1978] 2 एससीआर 537

पैरा 4.2

संदर्भित किया गया है

[2011] 4 एससीआर 289

अच्छा कानून नहीं है

पैरा 5

[2003] 6 पूरका एससीआर 860

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.2

[1965] 2 एससीआर 457

संदर्भित किया गया है

7.3 [2023] 8 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1983] 1 एससीआर 1000

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.

[2015] 5 एससीआर 963

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.5

[1962] पूरक। एससीआर 769

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.

[1952] एससीआर 654

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.

[1989] 2 एससीआर 204

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.

[1963] 1 पूरक। एससीआर 789

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.

[1995] 2 एससीआर 411

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.

[1994] 2 एससीआर 375

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.

[1973] पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 9.3

[1980] 1 एससीआर 1026

संदर्भित किया गया है

पैरा 9.

[1996] 10 पूरक। एससीआर 585

संदर्भित किया गया है

पैरा 9.

[2014] 9 एससीआर 283

उस पर भरोसा करें

पैरा 11

[1970] 2 एससीआर 522

उस पर भरोसा करें

पैरा 12

[1973] पूरक। एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 12

संजय के फैसले में

करोल, जे।

(2015) 12 एस. सी. सी. 702

संदर्भित किया गया है

पैरा 1

[2011] 2 एससीआर 506

अच्छा कानून नहीं है

पैरा 2

[2011] 4 एससीआर 289

अच्छा कानून नहीं है

पैरा 2

[2003] 6 पूरका एससीआर 151

पैरा 6

संदर्भित किया गया है

[1952] एससीआर 597

पैरा 7

संदर्भित किया गया है

[1952] एससीआर 654

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

[1963] पूरका एससीआर 789

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

[2015] 5 एससीआर 963

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

[2011] 14 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[1962] 3 एससीआर 547

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

[1994] 6 पूरका एससीआर 316

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[1961] 3 एससीआर 423

पीछा किया।

पैरा 16

[1971] 2 एससीआर 711

पीछा किया।

पैरा 17

[1985] 2 एससीआर 287

उस पर भरोसा करें

पैरा 18

[2004] 1 एससीआर 1038

उस पर भरोसा करें

पैरा 19 अरुण भुवन बनाम। असम राज्य और ए. एन. आर.

[1960] 2 एससीआर 821

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

[1978] 2 एससीआर 537

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

[1987] 1 एससीआर 819

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

[2008] 4 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

(2009) 8 एससीआर 591

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

[2012] 4 एससीआर 971

उस पर भरोसा करें

पैरा 20

[1959] एससीआर 12

संदर्भित किया गया है

पैरा 24

[1952] एससीआर 1112

संदर्भित किया गया है

पैरा 24

[1957] एससीआर 874

संदर्भित किया गया है

पैरा 24

[1988] 3 पूरक। एससीआर 212

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

[1982] 1 एससीआर 947

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

[1978] 2 एससीआर 621

पैरा 27

संदर्भित किया गया है

[2011] 1 एससीआर 590

पैरा 31

संदर्भित किया गया है

[1999] 5 पूरक। एससीआर 155

उस पर भरोसा करें

पैरा 49

आपराधिक अपील

न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील सं।

889 2007 से।

निर्दिष्ट के 28.03.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1991 के टाडा सत्र मामले संख्या 13 में गुवाहाटी में न्यायालय, असम।

के साथ

आपराधिक अपील में 2011 की पुनरीक्षण याचिका (आपराधिक) संख्या 417

2007 की सं. 1383, 2007 की आपराधिक अपील सं. 889 में 2011 की समीक्षा याचिका (आपराधिक) सं. 426, विशेष अनुमति याचिका (क्र. सं.) नं. 5971 , 5964 2019 की आपराधिक अपील संख्या 2007 की 1383, एसएलपी (सीआरएल)। 2014 का सी. आर. एल. एम. पी. No.16637 और विशेष अनुमति याचिका संख्या। 5643 , 6270 2019 से।

तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, के. एम. नटराज, ए. एस. जी., विनय

नवारे, संजय पारिख, आर. बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री रंजना नारायण, कानू अग्रवाल, राजन कुमार चौरसिया, संदीप कुमार महापात्रा, धनंजय महापात्रा, अशोक पाणिगढ़ी, अरविंद कुमार शर्मा, गुरमीत सिंह मक्कर, शुभदीप रॉय, दीपायन दत्ता, साई शशांक, जवाहर राजा, पुखरंभ रमेश कुमार, करुण शर्मा, अर्चित कृष्ण, सुश्री वर्षा शर्मा, सुश्री मोक्ष शर्मा, हारिस वीरन, मुश्ताक सलीम, अज़हर असीज़, राधा श्याम जेना, अजीम एच. लस्कर, विकास कर गुप्ता, सुश्री देबरती साधु, सुश्री देबंजना रे चौधरी, देबोज्योति [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुखोपाध्याय, अभिजीत सेनगुप्ता, मोहम्मद शरीफ केपी, पी. ए. नूर मोहम्मद, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

एम. आर. शाह, जे.

1. अरूप भुयान बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय और आदेश के खिलाफ वृहद पीठ का वर्तमान संदर्भ दिया गया है।

(2011) 3 एस. सी. सी. 377 के साथ-साथ केरल राज्य बनाम रानीफ, (2011) 1 एस. सी. सी. 784, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.08.2014 द्वारा पारित आदेश के अनुसार, (2015) 12 एस. सी. सी. 702 के रूप में रिपोर्ट किया गया।

संदर्भ की पृष्ठभूमि

2. कि इस न्यायालय की खंड पीठ ने कई अमेरिकी निर्णयों पर भरोसा करते हुए रानीफ (उपरोक्त) के मामले में भाषण की स्वतंत्रता और प्रतिबंधित संगठनों की सदस्यता पर स्थिति ने "संघ द्वारा अपराध" के सिद्धांत को खारिज कर दिया और कहा कि केवल एक प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराएगी जब तक कि वह हिंसा का सहारा नहीं लेता है या लोगों को हिंसा के लिए उकसाता है और हिंसा का सहारा लेकर सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी या गड़बड़ी पैदा करने के उद्देश्य से कोई कार्य नहीं करता है। पैराग्राफ 10 से 14 में इस न्यायालय ने रानेफ (ऊपर) के मामले में निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया:

" 10.) जहां तक इस आरोप का संबंध है कि प्रतिवादी पी. एफ. आई. से संबंधित है, यह सच है कि यह रेडौल हुसैन खान बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी 2010 (1) एस. सी. सी. 521 में अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल इसलिए कि किसी संगठन को 'गैरकानूनी संगठन' घोषित नहीं किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त संगठन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता था। हालाँकि, हमारी राय में उक्त निर्णय अलग है क्योंकि उस मामले में आरोपी हथियार और गोला-बारूद खरीदने के लिए एक चरमपंथी संगठन को पैसे भेज रहा था। वर्तमान मामले में यह आरोप नहीं है।

महाराष्ट्र राज्य बनाम धनेंद्र श्रीराम में निर्णय

भुर्ले 2009 (11) एस. सी. सी. 541 को भी अलग किया जा सकता है क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को जमानत देने के लिए वर्तमान मामले में अच्छे कारण दिए गए हैं। वर्तमान मामले में अभी तक यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि पी. एफ. आई. एक आतंकवादी संगठन है, और इसलिए प्रतिवादी को केवल पी. एफ. आई. से संबंधित होने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यह मानते हुए भी कि पी. एफ. आई. एक अवैध संगठन है, हमें अभी तक इस बात पर विचार करना है कि क्या संगठन के सभी सदस्यों को स्वचालित रूप से दोषी ठहराया जा सकता है।

अरुण भुवन बनाम। असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

11. स्केल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका 367 यू. एस. 203 यू. एस. सुप्रीम कोर्ट के श्री जस्टिस हार्लन ने मैककेरन अधिनियम, 1950 में सदस्यता खंड पर विचार करते हुए सक्रिय 'ज्ञात' सदस्यता और निष्क्रिय, केवल नाममात्र की सदस्यता के बीच अंतर किया।

विध्वंसक संगठन, और देखा: " खंड आपराधिक को एक के साथ सभी संबंध नहीं बनाता है

संगठन जो अवैध गतिविधि में संलग्न दिखाया गया है। एक व्यक्ति मूर्ख, भ्रमित या शायद केवल आशावादी हो सकता है, लेकिन उसे इस कानून द्वारा अपराधी नहीं बनाया गया है। स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए कि प्रतिवादी विशेष रूप से उद्देश्यों को पूरा करने का इरादा रखता है

हिंसा का सहारा लेकर संगठन "।

12. एल्फब्रांड बनाम रसेल 384 यू. एस. 17-19 (1966) न्यायमूर्ति डगलस

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के लिए बोलते हुए कहा:

" जो लोग किसी संगठन में शामिल होते हैं लेकिन उसके गैरकानूनी उद्देश्य को साझा नहीं करते हैं और जो निश्चित रूप से उसकी गैरकानूनी गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं नागरिकों के रूप में या सार्वजनिक कर्मचारियों के रूप में कोई खतरा नहीं है। एक कानून जो संगठन के अवैध उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए 'विशिष्ट इरादे' के बिना सदस्यता पर लागू होता है, अनावश्यक रूप से इसका उल्लंघन करता है

स्वतंत्रताओं की रक्षा की। यह संघ द्वारा अपराधबोध के सिद्धांत पर आधारित है जिसका यहां कोई स्थान नहीं है।

13. संयुक्त फासीवाद विरोधी शरणार्थी समिति बनाम मैकग्राथ 341 यू. एस. 123 174 (1951) में यू. एस. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डगलस ने कहा:

" बहुत तनाव के दिनों में जब भावनाएँ बढ़ जाती हैं, तो यह हमारे विरोधियों की अधिनायकवादी तकनीकों से उधार लेकर शॉर्टकट लेने का प्रलोभन होता है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, तो हम एक विध्वंसक को गति देते हैं

हमारी अपनी रचना का प्रभाव जो हमें भीतर से नष्ट कर देता है।

14. हम सम्मानपूर्वक अमेरिका के उपरोक्त निर्णयों से सहमत हैं।

सर्वोच्च न्यायालय, और उनकी राय है कि वे हमारे देश में भी लागू होते हैं। हम एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, और उपरोक्त टिप्पणियाँ

यह सभी लोकतंत्रों पर लागू होता है।

2.1 कि इसके बाद इस न्यायालय की खंड पीठ ने अरुण भुइयां (उपरोक्त) के मामले में एक अन्य मामले में रानीफ ए पर भरोसा किया और उन्हीं अमेरिकी सिद्धांतों पर भरोसा किया जो पहले थोरानीफ (उपरोक्त) के मामले में अनुच्छेद 12 डेर में कहा गया है:

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" हम उपरोक्त निर्णयों से सम्मानपूर्वक सहमत हैं, और

यह राय कि वे भारत पर भी लागू होते हैं, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स के समान हैं। हमारी राय में, धारा 3 (5) को शाब्दिक रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है अन्यथा यह संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन करेगा। इसे ऊपर की गई हमारी टिप्पणियों के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए, केवल एक की सदस्यता

प्रतिबंधित संगठन किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं बनाएगा जब तक कि वह हिंसा का सहारा नहीं लेता या लोगों को हिंसा के लिए नहीं उकसाता या हिंसा या हिंसा के लिए उकसाने से सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा नहीं करता। इसलिए, टाडा की धारा 3 (5) के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि भी नहीं है।

टिकाऊ "।

2.2 इस स्तर पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब रानीफ (ऊपर) और अरूप भुइयां (ऊपर) पर निर्णय लिया गया था, तब न तो गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 10 (i) (जिसे इसके बाद 'यू. ए. पी. ए. अधिनियम, 1967' के रूप में संदर्भित किया गया है) को चुनौती दी गई थी और न ही उक्त प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी और न ही भारत संघ उक्त कार्यवाही का पक्षकार था और न्यायालय की खंड पीठों ने उपरोक्त दो निर्णयों में यू. ए. पी. ए. अधिनियम, 1967 की धारा 10 (ए) (i) पर भारत संघ को कोई अवसर दिए बिना टिप्पणियां कीं। इसलिए, भारत संघ ने इस आधार पर समीक्षा याचिका दायर करने की अनुमति के लिए आवेदन दायर किए कि

उपरोक्त दो निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या होगी -

उनके हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण और इसलिए, भारत संघ को सुनवाई का अधिकार था। असम राज्य ने भी समीक्षा याचिकाओं को प्राथमिकता दी।

2.3 विद्वान सॉलिसिटर जनरल और असम राज्य के वरिष्ठ वकील द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे को ध्यान में रखते हुए,

(2015) 12 एस. सी. सी. 702 में रिपोर्ट किए गए 26.08.2014 के आदेश को मामले को बड़ी पीठ को भेजा जाता है। इस मामले को वृहद न्यायपीठ को संदर्भित करते समय इस न्यायालय ने पैराग्राफ 4 से 7 और 10 से 11 में विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा की गई दलीलों को निम्नानुसार नोट किया:

" 4. भारत संघ की ओर से पेश हुए विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री रंजीत कुमार ने कहा है कि अरूप के मामले में

भुयान बनाम असम राज्य, 2011 (3) एस. सी. सी. 377, इस न्यायालय ने

भारत संघ के हितों के नुकसान के लिए प्रावधान को पढ़ें जब वह इससे पहले एक पक्ष नहीं था। उन्होंने श्री इंद्र दास बनाम असम राज्य 2011 (3) एस. सी. सी. 380 के फैसले की ओर भी हमारा ध्यान

आकर्षित किया है। अरूप भुयान के मामले के साथ-साथ श्री इंद्र दास के मामले में, दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने कई अरूप भुयान बनाम का उल्लेख किया है।

असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और उसके बाद केदार नाथ बनाम बिहार राज्य ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 955 के एक अंश का हवाला दिया और केरल राज्य बनाम रानेफ (2011) 1 एस. सी. सी. 784 पर भरोसा किया और अंततः इस प्रकार राय दी:

" 27. हम कानूनी स्थिति पर भी विचार कर सकते हैं, जैसा कि यह उभरना चाहिए, यह मानते हुए कि मुख्य एस। 124A सक्षम है

इसका शाब्दिक अर्थ उस अर्थ में किया गया है जिसमें प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति ने ऊपर निर्दिष्ट मामलों में इसका अर्थ लगाया है। उस धारणा पर, इस न्यायालय के लिए यह समझना खुला नहीं है कि धारा एक ऐसा तरीका है जिससे धारा के आवेदन को उस तरह से सीमित करके कथित असंवैधानिकता से बचा जा सके जिस तरह से संघीय न्यायालय ने इसे लागू करने का इरादा किया था? हमारी राय में, इस न्यायालय के ऐसे निर्णय हैं जो कानूनी स्थिति के बारे में हमारे उस दृष्टिकोण को उचित ठहराते हैं। आर. एम. डी. चमरबागवाला बनाम के मामले में यह न्यायालय। भारत संघ (1) ने इस न्यायालय के साथ-साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के न्यायालयों के कई निर्णयों की विस्तार से जांच की है। उन निर्णयों की जांच करने के बाद, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि किसी कानून के विवादित प्रावधान विवादित धारा या अधिनियम के शब्दों में से एक दृष्टिकोण को अपनाकर विधायिका की संवैधानिक शक्तियों के भीतर आते हैं, तो न्यायालय मामले के उस दृष्टिकोण को लेगा और तदनुसार अपने आवेदन को सीमित करेगा, उस दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हुए जो प्रश्नगत शब्दों की व्याख्या के दूसरे दृष्टिकोण पर इसे असंवैधानिक बना देगा।

उस मामले में, न्यायालय को 'पुरस्कार प्रतियोगिताओं' की परिभाषा के बीच चयन करना था जो उन तक सीमित थी। प्रतियोगिताएँ जो जुआ खेलने की प्रकृति की थीं और जो नहीं थीं। न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को चुना जिसने अधिनियम, पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम (1955 का XLII) के शेष प्रावधानों को एस. एस. के विशेष संदर्भ के साथ बनाया। 4 और अधिनियम के 5 और उसके तहत बनाए गए नियम 11 और 12 वैध हैं। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जुर्माना केवल उन प्रतियोगिताओं के लिए लगाया जाता है जिनमें

जुआ का तत्व और वे प्रतियोगिताएं जिनमें सफलता काफी हद तक कौशल पर निर्भर थी, उन्हें अधिनियम के दायरे से बाहर माना गया था।

उस मामले में अनुपात निर्णय, हमारी राय में, लागू होता है

हाथ में मामला जहाँ तक हम इसके संचालन को केवल ऐसी गतिविधियों तक सीमित करने का प्रस्ताव करते हैं जो संघीय न्यायालय की टिप्पणियों के दायरे में आती हैं, अर्थात्, [2023] 8 एस. सी. आर. को उकसाने वाली गतिविधियाँ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने या सार्वजनिक शांति में खलल डालने की मंशा या प्रवृत्ति।
5. श्री रंजीत कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि किसी प्रावधान का इस तरह से अध्ययन भारत संघ को एक पक्ष के रूप में शामिल किए बिना नहीं किया जाना चाहिए था और इसके अलावा, जब संवैधानिक वैधता पर सवाल नहीं उठाया गया था। उन्होंने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 10 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। वह इस प्रकार है:

" [10. गैरकानूनी संगठन आदि का सदस्य होने के लिए दंड। - जहाँ किसी संगठन को अधिसूचना द्वारा गैरकानूनी घोषित किया जाता है।

धारा 3 के तहत जारी किया गया जो उस धारा की उप धारा (3) के तहत प्रभावी हो गया है,

(a) एक व्यक्ति, जो

(i) ऐसे संघ का सदस्य है और बना रहेगा; या

(ख) ऐसे संघ की बैठकों में भाग लेता है; या

(ग) ऐसे संगठन के उद्देश्य के लिए किसी भी योगदान में योगदान देता है, या प्राप्त करता है या अनुरोध करता है; या

(iv) ऐसे संघ के संचालन में किसी भी तरह से सहायता करने पर उसे कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि बढ़ सकती है।

दो वर्ष तक, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और

(ख) एक व्यक्ति, जो इस प्रकार का सदस्य है या बना हुआ है।

(i) और यदि ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(ii) किसी अन्य मामले में, ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो पाँच वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो -

आजीवन कारावास तक का विस्तार, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।] "

6. उपरोक्त प्रावधान के माध्यम से जोड़ा गया था

21/09/2004 से प्रभावी संशोधन। उक्त अरुण भुवन बनाम पर भरोसा करते हुए।

असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

प्रावधान, उनके द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि यदि अरूप भुइयां (ऊपर) और श्री इंद्र दास (ऊपर) में व्यक्ति विचार को क्षेत्र में रहने दिया जाता है तो अन्य अधिनियमों में विभिन्न कानून प्रभावित होंगे। उनके द्वारा आगे यह आग्रह किया जाता है कि अदालत ने गलती से रानीफ के मामले में अपने पहले के फैसले का उल्लेख किया है जिसमें मूल तथ्य अलग था, अर्थात् सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) एक प्रतिबंधित संगठन नहीं था। विद्वान महान्यायवादी हम पर यह प्रभाव डालेंगे कि एक बार किसी संगठन पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद, धारा 10 1967 का अधिनियम लागू होगा। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने रानीफ के मामले में कुछ अनुच्छेदों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें पी. एफ. आई. को एक अवैध संगठन मानते हुए भी यह राय दी गई है, फिर भी इस पर विचार किया जाना बाकी है कि क्या सभी

संगठन के सदस्यों को स्पष्ट रूप से दोषी ठहराया जा सकता है। उनके द्वारा यह कहा गया है कि उक्त निर्णय ने अन्य अधिनियमों के प्रावधानों को प्रभावित नहीं किया क्योंकि पी. एफ. आई. एक प्रतिबंधित संगठन नहीं था, लेकिन अरूप भुइयां (ऊपर) और श्री इंद्र दास (ऊपर) में निर्णयों के बाद, निचली अदालतें और उच्च न्यायालय पुरुष अधिकार के पहलू पर जोर देते हुए उक्त निर्णयों पर भरोसा कर रहे हैं। सार में निवेदन यह है कि यदि भारत संघ को एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाता तो वह न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख सकता था और तब संभवतः प्रावधान को इस तरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती।

7. असम राज्य की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता ने भारत संघ द्वारा रखे गए रुख का समर्थन करते हुए आग्रह किया है कि यदि इस तरह की व्याख्या की अनुमति दी जाती है तो आतंकवाद फैल जाएगा और राज्य की ओर से उक्त खतरे को नियंत्रित करना मुश्किल होगा। उनके द्वारा आगे यह प्रचार किया जाता है कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग संवैधानिक वैधता को प्रभावित नहीं करेगा और जब तक कि यह हमले के अधीन नहीं है।

XXX

XXX

XXX

संसदीय विधान में प्रावधान पढ़ा जाता है, अनुपस्थिति में इससे राज्य के हित को भारी नुकसान होने की संभावना है क्योंकि कई मामलों में भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं।

11. विद्वान सॉलिसिटर जनरल तर्क देंगे कि जिन अधिकारियों पर [2023] 8 एस. सी. आर. दोनों में भरोसा किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दोनों न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय अधिकारों के विधेयक पर आधारित होते हैं।

जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 से अलग है।

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) और 19 (4) का उल्लेख किया है।

संविधान।

अनुच्छेद 19 (1) (सी) इस प्रकार है।

" 19 (1) (ग) संघों या संघों का गठन करना;

उक्त अनुच्छेद को अनुच्छेद 19 (4) द्वारा और प्रतिबंधित किया गया है जो

यह इस प्रकार है:

(4) उक्त खंड के उपखंड (ग) में कुछ भी किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा जहां तक वह लागू करता है, या रोकता है।

राज्य को 4 के हित में कोई कानून बनाने से

भारत की संप्रभुता और अखंडता या] सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता, द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध

उक्त उपखंड "।

उसी पर निर्भर करते हुए इसे विद्वानों द्वारा उजागर किया जाता है।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अदालत ने इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा है विदेशी अधिकारियों पर भारी निर्भरता रखते हुए जो हैं

मूल रूप से व्याख्यात्मक प्रक्रिया पर लागू नहीं

प्रावधान जो इसके अनुरूप अधिनियमित किए गए हैं भारत के संविधान के प्रावधान।

विद्वानों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे को ध्यान में रखते हुए

महान्यायवादी और श्री जयदीप गुप्ता, विद्वान वरिष्ठ वकील

असम राज्य के लिए, हम यह उचित समझते हैं कि मामला

एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए। रजिस्ट्री को जगह दें

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कागजात

उचित आदेश। "

इस प्रकार यह मामला तीन न्यायाधीशों की इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।

2.4 पीठ के समक्ष संक्षिप्त मुद्दा यह है कि क्या निर्णय

ई. एफ. (सुप्रा) और अरूप भुइयां (सुप्रा), सही ढंग से तय किए गए हैं।

क्या "सक्रिय सदस्यता" को साबित करने की आवश्यकता है और

यू. ए. पी. ए., 1967 के तहत एक प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता। इस पीठ द्वारा जिस मुद्दे पर विचार किया जाना आवश्यक है, वह यह है कि क्या संविधान में उल्लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित निर्णयउपलब्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर विचार करते समय रानीफ (उपरोक्त) जिस पर यह न्यायालय सहमत हो सकता था, उस पर 1 ए. आर. यू. पी. भुवन बनाम.

असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

भारत का संविधान विशेष रूप से अनुच्छेद 19 (1) (सी) और भारत के संविधान का? एक और सवाल जो आवश्यक है

(यू. ए. पी. ए. अधिनियम, 1967 की धारा 10 (ए) (आई)) भारत को एक पक्ष के रूप में शामिल किए बिना और विशेष रूप से जब उपरोक्त प्रावधान के संवैधानिक प्रावधान पर सवाल नहीं उठाया गया था? 2.5 उपरोक्त मुद्दों पर संबंधित अधिकारियों की ओर से प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए, यू. ए. पी. ए. के प्रासंगिक प्रावधान,

जिनका उल्लेख किया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार हैं:

" खंड 2-परिभाषाएँ: (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,

(क) संगठन का अर्थ है व्यक्तियों का कोई संयोजन या निकाय;

(के) आतंकवादी कृत्य का अर्थ धारा 15 में दिया गया है, और

अभिव्यक्ति आतंकवाद और आतंकवादी का अर्थ लगाया जाएगा

संगठन, चाहे व्यवस्थित हो या अन्यथा, जो आतंकवादी कृत्य से संबंधित है या इसमें शामिल है; (एम) आतंकवादी संगठन का अर्थ है '[पहली अनुसूची] में सूचीबद्ध संगठन या उसी नाम के तहत काम करने वाला संगठन जो इस प्रकार सूचीबद्ध संगठन है;

(ओ) किसी व्यक्ति या संगठन के संबंध में गैरकानूनी गतिविधि का अर्थ है

ऐसे व्यक्ति या संघ द्वारा की गई कोई कार्रवाई (चाहे एक कार्य करना या शब्दों द्वारा, या तो बोली या लिखी गई, या द्वारा

संकेत या दृश्य प्रतिनिधित्व या अन्यथा), -

((i) जिसका किसी भी दावे को लागू करने का इरादा है या समर्थन करता है।

भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग का समर्पण या भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग का संघ से अलगाव, या जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उकसाता है,

ऐसा समर्पण या अलगाव लाने के लिए; या

((ii) जो अस्वीकार करता है, सवाल करता है, बाधित करता है या बाधित करने का इरादा रखता है।

भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता; या ((iii) जो भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करता है या करने का इरादा रखता है; [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(पी) गैरकानूनी संगठन का अर्थ है कोई भी संगठन,

((i) जिसका उद्देश्य कोई गैरकानूनी गतिविधि है, या जो किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित या सहायता करता है, या जिसके सदस्य ऐसी गतिविधि करते हैं; या

((ii) जिसका उद्देश्य कोई ऐसी गतिविधि है जो दंडनीय हो।

भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (1860 का 45) या धारा 153 बी के तहत, या जो व्यक्तियों को ऐसी कोई गतिविधि करने के लिए प्रोत्साहित करती है या सहायता करती है, या जिसके सदस्य ऐसी कोई गतिविधि करते हैं:

धारा 3-किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित करना

(1) यदि केंद्र सरकार की राय है कि कोई संगठन गैरकानूनी संगठन है या बन गया है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे संगठन को गैरकानूनी घोषित कर सकती है।

बशर्ते कि इस उप-धारा की किसी भी बात के लिए केंद्र सरकार से किसी भी तथ्य को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होगी जिसे वह मानता है सार्वजनिक हित का खुलासा करने के खिलाफ।

(3) ऐसी कोई अधिसूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि न्यायाधिकरण, धारा 4 के तहत किए गए एक आदेश द्वारा, उसमें की गई घोषणा की पुष्टि नहीं करता है और आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं होता है: बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार की राय है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो उस सरकार के लिए तत्काल प्रभाव से किसी संघ को गैरकानूनी घोषित करना आवश्यक बनाती हैं, तो वह लिखित रूप में बताए जाने वाले कारणों से निर्देश दे सकती है कि अधिसूचना, धारा 4 के तहत किए जाने वाले किसी भी आदेश के अधीन,

आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी।

(4) ऐसी प्रत्येक अधिसूचना, आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन के अलावा, कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी। जिस राज्य में प्रभावित संघ का प्रधान कार्यालय, यदि कोई हो, प्रचलन में है और ऐसे संघ पर भी ऐसी रीति से कार्य करेगा जो केंद्र सरकार उचित समझे और ऐसी सेवा को प्रभावी बनाने में निम्नलिखित सभी या किसी भी तरीके का पालन किया जा सकता है, अर्थात्:

— अरुण भुवन बनाम। असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

(ख) अधिसूचना की एक प्रति, जहां संभव हो, संघ के प्रमुख पदाधिकारी, यदि कोई हो, को देकर;
या (ग) ढोल बजाकर या लाउडस्पीकरों के माध्यम से, उस क्षेत्र में अधिसूचना की सामग्री की घोषणा करके जिसमें गतिविधियाँ होती हैं।

संगठन का संचालन आम तौर पर किया जाता है; या

(घ) ऐसी अन्य रीति से जो विहित की जाए।

धारा 4-न्यायाधिकरण का संदर्भ -

(1) जहां किसी संगठन को धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत जारी अधिसूचना द्वारा गैरकानूनी घोषित किया गया है, केंद्र सरकार, उक्त उप-धारा के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर, यह निर्णय लेने के उद्देश्य से अधिसूचना को न्यायाधिकरण को भेजेगी कि संगठन को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं। (2) उप-धारा (1) के तहत एक संदर्भ की प्राप्ति पर, न्यायाधिकरण लिखित रूप में नोटिस से प्रभावित संघ से इस तरह के नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिनों के भीतर कारण बताने के लिए कहेगा कि संघ को गैरकानूनी क्यों नहीं घोषित किया जाना चाहिए। (3) इसके बाद संघ या उसके पदाधिकारियों या सदस्यों द्वारा दिखाए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए, न्यायाधिकरण धारा 9 में निर्दिष्ट तरीके से जांच करेगा और ऐसी आगे की जानकारी मांगने के बाद जो वह केंद्र से आवश्यक समझे।

सरकार या संघ के किसी पदाधिकारी या सदस्य की ओर से यह निर्णय लिया जाएगा कि संघ को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं।

जितनी जल्दी हो सके और किसी भी मामले में धारा 3 की उप धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर, ऐसा आदेश जो वह अधिसूचना में की गई घोषणा की पुष्टि करना या उसे रद्द करना उचित समझे। (4) उप-धारा (3) के तहत किए गए न्यायाधिकरण के आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। धारा 5-न्यायाधिकरण - (1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, जब भी आवश्यक हो, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक व्यक्ति से मिलकर "गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) न्यायाधिकरण" के रूप में जाने जाने वाले एक न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है:

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो।

(2) यदि किसी कारण से न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में कोई रिक्ति (अस्थायी अनुपस्थिति के अलावा) होती है, तो केंद्र सरकार रिक्ति को भरने के लिए इस धारा के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करेगी और न्यायाधिकरण के समक्ष उस चरण से कार्यवाही जारी रखी जा सकती है जिस पर रिक्ति भरी जाती है।

(4) न्यायाधिकरण के संबंध में किए गए सभी खर्चों का भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाएगा।

(5) धारा 9 के प्रावधानों के अधीन, न्यायाधिकरण के पास होगा -

अपने कार्यों के निर्वहन से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति, जिसमें वह स्थान या स्थान भी शामिल है जहाँ वह अपनी बैठकें आयोजित करेगा।

(6) न्यायाधिकरण के पास, इस अधिनियम के तहत जांच करने के उद्देश्य से, वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत एक दीवानी अदालत में निहित हैं, जब वह निम्नलिखित मामलों के संबंध में एक मुकदमे की सुनवाई करता है, अर्थात्:

(क) किसी भी गवाह को बुलाना और उसकी उपस्थिति को लागू करना।

और शपथ पर उसकी जाँच करना;

((ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने योग्य किसी दस्तावेज या अन्य भौतिक वस्तु की खोज और उत्पादन;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

((घ) किसी न्यायालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख का अधिग्रहण या

कार्यालय;

(ई) की जाँच के लिए किसी भी आयोग को जारी करना गवाह।

(7) न्यायाधिकरण के समक्ष किसी भी कार्यवाही को संविधान की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा।

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) और न्यायाधिकरण को [संहिता] की धारा 195 और [अध्याय XXVI] के प्रयोजनों के लिए एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा।

अरुण भुवन बनाम। असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

अधिसूचना -

(1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, धारा 3 के तहत जारी की गई अधिसूचना, यदि उसमें की गई घोषणा की पुष्टि हो जाती है।

न्यायाधिकरण द्वारा धारा 4 के तहत किए गए एक आदेश द्वारा, अधिसूचना की तारीख से [पाँच साल] की अवधि के लिए लागू रहता है। प्रभावी हो जाता है। (2) उप में कुछ भी निहित होने के बावजूद

धारा (1), केंद्र सरकार, या तो अपने प्रस्ताव पर या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, किसी भी समय, धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना को रद्द कर सकती है, चाहे घोषणा हो या न हो।

न्यायाधिकरण द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।

3. विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता भी हमें ले गए हैं।

यू. ए. पी. ए. और संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) और 19 (4) के अधिनियमन की पृष्ठभूमि में। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुच्छेद 19 (1) के तहत संघ बनाने की स्वतंत्रता के लिए अपवाद को अनुच्छेद 19 (4) में भारत की गंभीरता और अखंडता के रूप में शामिल किया गया था, जब राष्ट्रीय एकता परिषद ने राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीयकरण पर एक समिति नियुक्त की थी। उक्त समिति को संप्रभुता और अखंडता के हितों में उचित प्रतिबंध लगाने के पहलू पर गौर करना था। भारत। यह प्रस्तुत किया जाता है कि समिति की सिफारिशों की स्वीकृति के अनुसार, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में कानून द्वारा उचित प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियमित संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (सी) और 19 (4) इस प्रकार है:

" 19. (1) (ग) संघों या संघों का गठन करना;

उक्त अनुच्छेद 19 (4) द्वारा और प्रतिबंधित है जो इस प्रकार है

निम्नलिखित है:

19 (4) उक्त खंड के उपखंड (ग) में कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा।

किसी भी मौजूदा कानून का संचालन जहां तक यह लागू करता है, या रोकता है राज्य के हित में कोई भी कानून बनाने से

भारत की संप्रभुता और अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता,

द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध
उक्त उपखंड "।

उसी पर निर्भर करते हुए इसे विद्वानों द्वारा उजागर किया जाता है।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अदालत ने इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा है

विदेशी अधिकारियों पर भारी निर्भरता रखते हुए जो [2023] 8 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मूल रूप से व्याख्यात्मक प्रक्रिया पर लागू नहीं

प्रावधान जो इसके अनुरूप अधिनियमित किए गए हैं

भारत के संविधान के प्रावधान "।

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रावधान को लागू करने के लिए

ऐसे संघ का सदस्य बना रहना दंडनीय होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 10 (ए) (आई) में आगे किसी स्पष्ट कार्य और/या पुरुष अधिकार की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 3 के तहत गैरकानूनी घोषित घोषित किसी घोषित गैरकानूनी संगठन की सदस्यता ही अभियोजन और दोषसिद्धि की गारंटी देने के लिए पर्याप्त है।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यू. ए. पी. ए., 1967 के प्रावधानों के तहत किसी संगठन/संगठन को यू. ए. पी. ए. की धारा 3 के तहत गैरकानूनी घोषित करने से पहले यू. ए. पी. ए. की धारा 3 के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद भी और यू. ए. पी. ए. की धारा 3 के तहत किसी भी संघ/संगठन को गैरकानूनी घोषित किए जाने के बाद, ऐसा संघ जिसे अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत जारी अधिसूचना द्वारा गैरकानूनी घोषित किया गया है, केंद्र सरकार को इस उद्देश्य के लिए न्यायाधिकरण को संदर्भित करना आवश्यक है।

यह निर्णय लेने के लिए कि संगठन को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 4 (2) के अनुसार

4 की उप-धारा (1) के तहत एक संदर्भ, इसके बाद न्यायाधिकरण लिखित रूप में नोटिस से प्रभावित संघ से ऐसे नोटिस की सेवा की तारीख से 30 दिनों के भीतर कारण दिखाने के लिए कहेगा, संघ को गैरकानूनी क्यों नहीं घोषित किया जाए? यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद और एसोसिएशन या कार्यालय द्वारा दिखाए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद न्यायाधिकरण को इसके धारकों या सदस्यों के लिए ए. आर. यू. पी. भुवन बनाम मामले में जांच करने की आवश्यकता है।

असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

धारा 9 में निर्दिष्ट तरीके से और केंद्र सरकार या पदाधिकारी या संघ के सदस्य से ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के बाद जो वह आवश्यक समझे, न्यायाधिकरण यह तय करेगा कि घोषणा करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं।

संघ गैरकानूनी है और उसके बाद ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह कर सके

अधिसूचना में की गई घोषणा की पुष्टि करना उचित समझते हैं या उसी को रद्द करना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायाधिकरण का आदेश दिया गया है

उप-धारा (3) के तहत आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करना होगा।

3.3 किसी भी संगठन/संगठन को धारा 3 से 6 तक "गैरकानूनी" घोषित करने पर हमें यू. ए. पी. ए. के प्रासंगिक प्रावधानों पर ले जाते हुए, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया है कि

4. अब जहाँ तक रानीफ (ऊपर) और अरूप भुइयां (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों की शुद्धता की बात है कि धारा 10 (ए) (आई) के तहत अपराधों पर विचार करते हुए अभियोजन पक्ष को किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होने के आरोपी किसी भी व्यक्ति की "सक्रिय सदस्यता" साबित करनी होती है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अरूप भुइयां (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने केवल इन टिप्पणियों का पालन किया है।

रानीफ (ऊपर) के मामले में पहले का निर्णय जिसमें इस न्यायालय ने अभी-अभी अमेरिकी निर्णयों को स्वीकार किया और उनका पालन किया

3 एस. सी. आर. 423 ने विशेष रूप से अमेरिकी आयात को खारिज कर दिया है। भाषण की स्वतंत्रता पर सिद्धांत और विशेष रूप से दो संविधान [2023] 8 एस. सी. आर. के माध्यम से 'आपराधिकता का निर्धारण' के संदर्भ में उक्त आयात को खारिज कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायपीठ के निर्णय जिन पर विद्वानों द्वारा विचार भी नहीं किया गया है

रानीफ (ऊपर) और अरूप भुइयां (ऊपर) में मामले की सुनवाई करने वाली पीठें। विद्वान महान्यायवादी ने बाबूलाल (ऊपर) के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 23 से 28 और पैराग्राफ 16 और

17 मधु लिमये बनाम उप-मंडल मजिस्ट्रेट, (1970) 3 एस. सी. सी. 746 के मामले में निर्णय।

4.1 विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने भी सुप्रीम के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है। , केंद्रीय कारागार बनाम डॉ. राम मनोहर

लोहिया, (1960) 2 एस. सी. आर. 821 (पैराग्राफ 9 से 11) और रामलीला मैदान घटना के मामले में, पुनः (2012) 5 एस. सी. सी. 1 सार्वजनिक व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में अमेरिकी संवैधानिक स्थिति पर निर्भरता पर। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त में यह विशेष रूप से देखा गया है कि शेंक मामले में संकलित अमेरिकी सिद्धांत को आयात या लागू नहीं किया जा सकता है। यह देखा गया है कि हमारे संविधान के तहत, यह अधिकार-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि प्रतिबंधों के अधीन है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आगे यह देखा जाता है कि इस प्रकार हमारे संविधान के तहत स्थिति अलग है। इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में यह मत व्यक्त किया गया है कि संविधान में निहित मौलिक अधिकार को ही उचित प्रतिबंधों के अधीन बनाया गया है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंधों को निर्दिष्ट करने के लिए इस प्रकार अधिनियमित कानूनों का अर्थ सार्थक रूप से और संवैधानिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आगे यह देखा गया है कि इस प्रकार भारतीय और अमेरिकी कानूनों के तहत कानून की भाषा, इसकी संभावित व्याख्या और अनुप्रयोग में एक स्पष्ट अंतर है।

1962 पूरक (3) एससीआर 632 (पैरा 50 और 75); एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (श्रीराम-ओलियम गैस), (1987) 1 एस. सी. सी. 395 (पैरा 29); अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2008) 6 एस. सी. सी. 1 (पैरा 188 से 190) और पथुम्मा बनाम केरल राज्य, (1978) 2 एस. सी. सी. 1 (पैरा 23)।

4.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री मेहता द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि

इसलिए "स्पष्ट और वर्तमान खतरे" का अमेरिकी सिद्धांत [शेंक]

बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, 249 यू. एस. 47 (1919) और "आसन्न कानूनविहीन कार्रवाई" (ब्रांडेनबर्ग बनाम ओहियो, 395 यू. एस. 444 (1969)) भारतीय संवैधानिक कानून के लिए विदेशी हैं।

अरूप भुवन बनाम। असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

4.5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा रानीफ (ऊपर) और अरूप भुइयां (ऊपर) में की गई टिप्पणियाँ

बोलने की स्वतंत्रता पर अमेरिकी सिद्धांतों का पालन करना और/या उन पर भरोसा करना खारिज किया जा सकता है और वैधानिक स्थिति की पुष्टि की जा सकती है।

5. अब जहाँ तक आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 की धारा 3 (5) को पढ़ने की बात है, जो समान है

यू. ए. पी. ए. अधिनियम, 1967 की धारा 10 (ए) (आई) और उक्त प्रावधान को इस हद तक पढ़ते हुए कि केवल एक प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाएगी जब तक कि वह हिंसा का सहारा नहीं लेता है या लोगों को हिंसा के लिए उकसाता है या हिंसा या हिंसा के लिए उकसाने से सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा नहीं करता है और यह कि केवल एक प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराएगी, यह विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से यू. ए. पी. ए., 1967 की धारा 10 (ए) (आई) को चुनौती देते हुए, इस तरह के संशोधन की अनुमति नहीं थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रानीफ (ऊपर) के मामले में, जिसका बाद में अरूप भुइयां (ऊपर) और इंद्र दास बनाम के मामलों में पालन किया गया है। असम राज्य (2011) 3 एस. सी. सी. 380, यह न्यायालय जमानत पर विचार कर रहा था।

यू. ए. पी. ए. अधिनियम की धारा 10 (ए) (आई) के आवेदन और संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी।

5.1 विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने सुब्रमण्यम स्वामी और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। राजू के माध्यम से

सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड और एक अन्य, (2014) में रिपोर्ट किया गया

8 एस. सी. सी. 390 में कहा गया है कि किसी प्रावधान को पढ़ने की शक्ति का प्रयोग कब किया जा सकता है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 59 से 62 पर रिलायंस को रखा गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब यू. ए. पी. ए. अधिनियम की धारा 10 (ए) (आई) में भाषा बहुत स्पष्ट और स्पष्ट है और उद्देश्य की ओर देख रही है

और जिस उद्देश्य के लिए यू. ए. पी. ए. अधिनियम लागू किया गया था और लागू किया गया था

किसी कानून के स्पष्ट और शाब्दिक अर्थ पर विचार करते हुए और किसी भी संवैधानिक चुनौती के अभाव में, इस न्यायालय के लिए कानून को पढ़ना अस्वीकार्य था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि "पढ़ने" का कोई अवसर नहीं था

संवैधानिक प्रावधान के अभाव में यू. ए. पी. ए. अधिनियम की धारा 10

चुनौती।

6. श्री विनय नवारे, असम राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री विनय नवारे द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार करते हुए

विद्वान् सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसके अलावा प्रस्तुत किया है कि [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून (यू. ए. पी. ए.) की योजना के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है कि संघ के प्रत्येक सदस्य को इस तथ्य से अवगत कराया जाए कि इस तरह के संघ को गैरकानूनी घोषित किया गया है।

6.1 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 10 में प्रयुक्त भाषा वर्तमान संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रदान करता है कि "जहाँ एक

संघ को धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा गैरकानूनी घोषित किया जाता है जो उस धारा की उप-धारा (3) के तहत प्रभावी हो गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए यह धारा 3 के तहत अधिसूचना के बाद ही है

उप-धारा (3) के तहत प्रभावी, कि उस धारा का अंतिम भाग लागू होता है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 10 (ए) (आई) की भाषा बहुत सावधानीपूर्वक लिखी गई है-'जो इस तरह के संघ का सदस्य है और बना रहेगा'। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 'सदस्य' रहा है लेकिन 'बना हुआ' नहीं है घोषणा के बाद सदस्य, जो धारा 10 के तहत उपद्रव को आकर्षित नहीं करता है। धारा में इरादा यह है कि वह न केवल उस दिन सदस्य हो जब संघ को गैरकानूनी घोषित किया जाता है, बल्कि वह सदस्य बना रहता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए एक व्यक्ति जो सदस्य है या सदस्य बनना चाहता है, वह इस तथ्य से अच्छी तरह से अवगत है कि इस तरह के संगठन को गैरकानूनी घोषित किया गया है और यदि वह अभी भी इस तरह के गैरकानूनी संगठन का हिस्सा बने रहना चाहता है तो यह उसकी ओर से एक स्पष्ट और सचेत इरादे को दर्शाता है और यू. ए. पी. ए. अधिनियम की धारा 10 इस तरह के गैरकानूनी संगठन के साथ मात्र सदस्यता के इस कार्य को दंडित करती है।

6.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यू. ए. पी. ए. अधिनियम, 1967 की धारा 38 में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति जो अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है या उससे जुड़े होने का दावा करता है, वह आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए यह देखा जाता है कि एक आतंकवादी संगठन के मामले में केवल सदस्यता पर्याप्त नहीं है, लेकिन आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से एक अधिनियम होना चाहिए जो धारा 10 के तहत एक गैरकानूनी संगठन के साथ मामला नहीं है।

6.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 10 के तहत प्रावधानों के बीच एक स्पष्ट अंतर है जो केवल एक गैरकानूनी संगठन की सदस्यता को दंडित करता है और धारा 38 जो निष्क्रिय सदस्यता को दंडित नहीं करता है आतंकवादी संगठन। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसका कारण यह है कि धारा 10 पहले ही धारा 3 की कठोरता से गुजर चुकी है, लेकिन धारा 38 में ऐसा नहीं किया गया है।

यह धारा 3 की कठोरता से गुजरता है और यह एक प्रत्यायोजित कानून है जिसमें किसी संगठन के नाम को अनुसूची में शामिल किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही आप सदस्य हों, यह धारा 38 में एक अवसर देता है कि ए. आर. यू. पी. भुवन बनाम.

असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

आतंकवादी संगठन उस समय आतंकवादी संगठन नहीं था जब आप सदस्य बने थे और वह भाग नहीं ले रहा है।

6.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) को समय-समय पर एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है।

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल और श्री विनय नवारे,

असम राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह अभिनिर्धारित करने का अनुरोध किया है कि रानीफ (ऊपर), अरूप भुइयां (ऊपर) और इंद्र दास (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ/निर्णय यह विचार रखते हुए कि केवल एक प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराएगी जब तक कि वह हिंसा का सहारा नहीं लेता है या लोगों को हिंसा के लिए उकसाता है या अव्यवस्था या गड़बड़ी पैदा करने के इरादे से कोई कार्य नहीं करता है। यू. ए. पी. ए. अधिनियम, 1967 की धारा 10 (ए) (आई) के तहत विशिष्ट प्रावधान को देखते हुए, हिंसा का सहारा लेकर सार्वजनिक शांति एक अच्छा कानून नहीं है।

जिसकी संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी गई है और यहां तक कि योग्यता के आधार पर भी यू. ए. पी. ए. अधिनियम, 1967 को लागू करने के उद्देश्य और उद्देश्य को देखा जा रहा है।

7. श्री संजय पारिख, आवेदक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील-पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने इंद्र दास (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत के बाद के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय में, रानीफ (ऊपर) और अरूप भुइयां (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों का पालन करने के बाद, इस न्यायालय ने टाडा अधिनियम, 1987 की धारा 3 (5) और यू. ए. पी. ए. अधिनियम, 1967 की धारा 10 (ए) (आई) की सही व्याख्या की है जो संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अनुरूप है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इंद्र दास (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया है:

" ए। वैधानिक प्रावधानों को अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमारे द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए।

संविधान।

बी। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और कोई भी कानून इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। यदि कोई कानून है जो इसका उल्लंघन करता प्रतीत होता है तो हम या तो इसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं या हम इसे नीचे पढ़ सकते हैं

इसे संवैधानिक बनाएँ

सी। यदि संविधान में मौलिक अधिकार नहीं होते तो निश्चित रूप से टाडा की धारा 3 (5) या गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) की धारा 10 को एक स्पष्ट और शाब्दिक अर्थ दिया जा सकता था।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एकट करें। लेकिन चूंकि हमारे देश में एक संविधान है जो प्रदान करता है लोकतंत्र और मौलिक अधिकार हम इन वैधानिक अधिकारों को नहीं दे सकते। प्रावधानों का ऐसा अर्थ है जो उन्हें असंवैधानिक "।

7.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इंद्र दास (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने टाडा और यू. ए. पी. ए. के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या की है -

उन्हें संविधान के अनुरूप बनाएँ।

7.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने कई अवसरों पर प्रावधानों को संविधान के अनुरूप लाने के लिए उनकी व्याख्या की है और यहां तक कि प्रावधानों को असंवैधानिकता से बचाने के लिए नीचे पढ़कर भी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के मामले में

वी. भारत संघ, (2004) 9 एस. सी. सी. 580 (पैराग्राफ 48 और 49), इस न्यायालय ने इसे कानून से बचाने के लिए कानून में "पुरुष अधिकार" पढ़ा है।

असंवैधानिकता।

7.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि गुजरात राज्य के मामले में V. श्यामलाल

मोहनलाल चोकसी, 1965 (2) एस. सी. आर. 457, इस न्यायालय ने धारा को पढ़ा

94 अभियुक्त व्यक्तियों को इसके दायरे से बाहर करने के लिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि श्यामलाल मोहनलाल चोकसी (ऊपर) एक विशेष अनुमति याचिका थी

उच्च न्यायालय के निर्णय से और भारत संघ उन कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं था।

7.4 भारत संघ की ओर से यह निवेदन किए जाने पर कि भारत संघ को सुने बिना, इस न्यायालय को यू. ए. पी. ए. अधिनियम, 1967 की धारा 10 (ए) (आई) या टाडा अधिनियम, 1987 की धारा 3 (5) को नहीं पढ़ना चाहिए था और/या नहीं पढ़ सकता था, श्री संजय पारिख, विद्वान वरिष्ठ वकील ने संजीव कोक मैनुफैक्चरिंग कंपनी बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। मेसर्स भारत कुकिंग कोल

लिमिटेड, (1983) 1 एस. सी. सी. 147 (पैराग्राफ 25) में रिपोर्ट किया गया। यह है।

प्रस्तुत किया कि उक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि "कोई भी संसद के लिए नहीं बोल सकता है और संसद कभी भी न्यायालय के समक्ष नहीं होती है।" यह आगे देखा गया है कि "संसद द्वारा वह कहने के बाद जो वह कहना चाहती है, केवल न्यायालय ही कह सकता है कि संसद

क्या कहना चाहती है, और कुछ नहीं।" यह आगे देखा गया है कि "एक बार जब कोई कानून संसद भवन से निकल जाता है, तो न्यायालय की एकमात्र प्रामाणिक आवाज होती है जो संसद को प्रतिध्वनित (व्याख्या) कर सकती है और न्यायालय संसद के संदर्भ में भी ऐसा ही करेगा।

कानून की भाषा और अन्य अनुमेय सहायता। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यू. ए. पी. ए. अधिनियम की धारा 10 (ए) (आई) और टी. ए. डी. ए. अधिनियम की धारा 3 (5) को पढ़ते हुए, इस न्यायालय ने वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की है।

संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का प्रकाश। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अरुण भुवन बनाम।

असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

संदर्भ के तहत निर्णयों में सही ढंग से कहा गया है कि "केवल एक प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाएगी जब तक कि वह हिंसा का सहारा नहीं लेता है या लोगों को हिंसा के लिए नहीं उकसाता है या हिंसा या हिंसा के लिए उकसाने से सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा नहीं करता है।"

7.5 अब जहाँ तक श्री तुषार मेहता द्वारा प्रस्तुत किए जाने की बात है,

महान्यायवादी ने सीखा कि राणेफ (ऊपर) और अरूप का फैसला करते समय

विद्वान वरिष्ठ वकील श्री संजय पारिख ने कहा है कि भुइयां (ऊपर), इस अदालत को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था

कि श्रेया सिंघल बनाम के मामले में। भारत संघ, (2015) 5 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि भारत में कानूनी स्थिति अलग नहीं है। उन्होंने शेर्या सिंघल (ऊपर) के मामले में पैराग्राफ 41 में की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया है।

7.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस मामले में इस न्यायालय का निर्णय

श्रेया सिंघल (उपरोक्त) पर हाल ही में कौशल किशोर बनाम के मामले में संविधान पीठ के माननीय न्यायाधीशों में से एक ने भरोसा किया है और उन पर विचार किया है। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 6, इस सवाल पर सहमति जताते हुए कि अनुच्छेद 19 (2) के तहत प्रतिबंध संपूर्ण हैं।

7.7 इसे आगे विद्वान वरिष्ठ श्री संजय पारिख द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक की ओर से पेश वकील ने कहा कि श्रेया सिंघल (ऊपर) भारतीय मिसाल की एक अटूट रेखा की परिणति है जिसमें कहा गया है कि भाषण या संगठन को केवल तभी रोका या दंडित किया जा सकता है जब,

भाषण या संगठन का उद्देश्य 'सार्वजनिक व्यवस्था', 'भारत की संप्रभुता और अखंडता', 'राज्य की सुरक्षा', या अनुच्छेद 19 के तहत प्रतिबंधों के अन्य अनुमत आधारों में से एक को बाधित करने की 'प्रवृत्ति' है; और

भाषण या संगठन और 'सार्वजनिक व्यवस्था', 'संप्रभुता' पर 'इच्छित' या संभावित प्रभाव के बीच संबंध और भारत की अखंडता 'या' राज्य की सुरक्षा " निकटवर्ती 'है न कि' दूरगामी '-काल्पनिक या समस्याग्रस्त या बहुत दूरवर्ती।

अपने संबंध की शृंखला में "।

7.8 श्री पारिख, विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस पर भरोसा किया है

निहारेन्दु दत्त मजूमदार बनाम के मामले में संघीय न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां। राजा सम्राट 1942 एफ. सी. आर. 38 का दृष्टिकोण कि "शिकायत किए गए कार्यों या शब्दों को या तो अव्यवस्था के लिए उकसाना चाहिए या ऐसा होना चाहिए जिससे उचित लोगों को संतुष्ट किया जा सके कि यही उनका

इरादा या प्रवृत्ति है।" यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय को मंजूरी दे दी गई है और [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केदार नाथ बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा अपनाया गया। बिहार राज्य, ए. आई. आर 1962 एस. सी. 955। उन्होंने की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया है

अनुच्छेद

26 केदार नाथ (ऊपर)।

7.9 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि बिहार राज्य के मामले में v.

शैलबाला देवी, ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 329, इस न्यायालय ने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 19 (2) के तहत सूचीबद्ध प्रतिबंधों के अनुमत शीर्षों में से एक के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले कानून के लिए यह पर्याप्त नहीं है, लेकिन इसका एक निकट संबंध भी होना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय ने पाया था कि एक पर्चा जिसका केंद्रीय विषय "एक खूनी क्रांति लाना और चीजों की वर्तमान व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना" था, "उन शब्दों या संकेतों या दृश्य अभ्यावेदनों को लक्षित करने वाले प्रावधान का उल्लंघन करता है जो हत्या के किसी भी अपराध या हिंसा से जुड़े किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए उकसाते हैं, या प्रोत्साहित करते हैं या प्रोत्साहित करते हैं"। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने हालांकि पाया कि पर्चे में उपयोग की गई प्रकार की बयानबाजी को उचित रूप से प्रतिबंधित करने के लिए, राज्य को यह स्थापित करना होगा कि यह एक उत्तेजित भीड़ या इस तरह के अन्य असाधारण लोगों को संबोधित किया गया था

परिस्थिति.

7.10 विद्वान वरिष्ठ वकील श्री संजय पारिख ने भी बहुत कुछ कहा है।

एस. रंगराजन बनाम के मामले में अनुच्छेद 45 में की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया। पी. जगजीवन राम और अन्य, (1989) 2 एस. सी. सी. 574, जो निम्नानुसार है:

" 45. वास्तव में इनके बीच एक समझौता होना चाहिए।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विशेष हितों का हित। लेकिन

हम दोनों हितों को इस तरह संतुलित नहीं कर सकते जैसे कि वे बराबर के हों।

वजन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हमारी प्रतिबद्धता की मांग है कि

इसे तब तक दबाया नहीं जा सकता जब तक कि अनुमति देने से पैदा हुई परिस्थितियाँ

स्वतंत्रता दबाव में है और सामुदायिक हित खतरे में है।

प्रत्याशित खतरा दूरस्थ, अनुमानित या दूर का नहीं होना चाहिए।

लाया गया। इसका निकटवर्ती और प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए

जनहित के लिए खतरनाक। दूसरे शब्दों में, अभिव्यक्ति इस तरह से विचार की गई कार्रवाई के साथ अविभाज्य रूप से बंद होना चाहिए

"एक पाउडर केग में चिंगारी" के बराबर।

7.11 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि ओ. के. घोष बनाम के मामले में।

ई. एक्स. जोसेफ, ए. आई. आर. 1963 812, यह न्यायालय अनुच्छेद 19 के खंड (4) में 'सार्वजनिक व्यवस्था' शब्द के दायरे पर विचार कर रहा था, जो संगठन की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अरुण भुवन बनाम।

असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'सार्वजनिक व्यवस्था' शब्द खंड (2) में भी आता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को संदर्भित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उक्त शब्दों का दोनों खंडों (2) और (4) में समान अर्थ होना चाहिए। यह आगे देखा गया है कि "। किसी प्रतिबंध को सार्वजनिक व्यवस्था के हित में तभी कहा जा सकता है जब प्रतिबंध और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच का संबंध निकट और प्रत्यक्ष हो। प्रतिबंध और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच अप्रत्यक्ष या दूरगामी या अवास्तविक संबंध "सार्वजनिक व्यवस्था के हित में" अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आएगा।

न्यायालय ने कहा कि केवल जहां लिखित या बोले गए शब्दों में सार्वजनिक व्यवस्था पैदा करने या कानून और व्यवस्था को बाधित करने या सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने की प्रवृत्ति या इरादा है, वहां ऐसी गतिविधि को रोकने के लिए कानून को कदम उठाने की आवश्यकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आगे देखा गया है कि व्यवस्था पैदा करने या लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का इरादा अनिवार्य है आई. पी. सी. की धारा 153-ए के तहत अपराध और अभियोजन पक्ष को साबित करना होगा

सफल होने के लिए पुरुषों का अस्तित्व।

7.13 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कर्तार सिंह बनाम के मामले में।

पंजाब राज्य, (1994) 3 एस. सी. सी. 569, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

- (i) मेन्स रिया अपराध का एक अनिवार्य घटक है।
- (ii) अस्पष्ट प्रावधान निर्दोष व्यक्तियों को अपराधों में फंसा सकते हैं।

और

iii) पुरुषों के अधिकार को टाडा की धारा 2 (i) (ए) में पढ़ा जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कर्तार सिंह (ऊपर) में तर्क होगा

यू. ए. पी. ए. अधिनियम, 1967 की धारा 10 (ए) (आई) पर भी लागू होता है।

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में, संविधान सभा की बहसों में भी, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि

..... यह कहना गलत है कि अमेरिका में मौलिक अधिकार हैं

निरपेक्ष। अमेरिकी संविधान और प्रारूप संविधान के तहत स्थिति के बीच का अंतर एक रूप का है न कि सार का। यह कि अमेरिका में मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं हैं, विवाद से परे है। प्रारूप संविधान में निर्धारित मौलिक अधिकारों के प्रत्येक अपवाद के समर्थन में, कोई भी संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम एक निर्णय का उल्लेख कर सकता है।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रारूप संविधान ने जो किया है वह यह है कि मौलिक अधिकारों को पूर्ण रूप से तैयार करने के बजाय और हमारे संविधान पर निर्भर करता है।

सर्वोच्च न्यायालय पुलिस शक्ति के सिद्धांत का आविष्कार करके संसद के बचाव में आता है, यह राज्य को सीधे मौलिक अधिकारों पर सीमाएं लगाने की अनुमति देता है। परिणाम में वास्तव में कोई अंतर नहीं है। जो एक प्रत्यक्ष रूप से करता है वह दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से करता है। दोनों ही मामलों में मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं।

7.14 यह प्रस्तुत किया जाता है कि सॉलिसिटर जनरल द्वारा भारत संघ की ओर से की गई प्रस्तुतियाँ ज्यादातर गैर-प्रयोज्यता पर हैं

अमेरिकी मामले और वे अमेरिकी मामलों में विकसित सिद्धांत की प्रयोज्यता और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनकी स्वीकृति से संबंधित नहीं हैं।

8. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी के प्रावधान

यू. ए. पी. ए. अधिनियम की धारा 10 (ए) (आई) और टी. ए. डी. ए. अधिनियम की धारा 3 (5) अस्पष्ट और व्यापक हैं और इसका एक डरावना प्रभाव होगा और इसलिए यह न्यायालय ने उपरोक्त तीन निर्णयों में उक्त प्रावधानों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अनुरूप लाने के लिए उन्हें सही पड़ा है।

8.1 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय पारिख द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय के हालिया निर्णय में तवाहा फसल बनाम. भारत संघ, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1000, इस न्यायालय ने कहा है कि "केवल एक आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ाव धारा 38 को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है और केवल एक आतंकवादी संगठन को दिया गया समर्थन धारा 39 को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।" यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आगे देखा गया है कि "संगठन और समर्थन एक आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से होना चाहिए। "

8.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही अनुच्छेद 19 (2) के तहत प्रतिबंध हो सकते हैं, उस मामले में भी, प्रतिबंध उचित होने चाहिए और तर्कसंगतता या अनुपातिकता की कसौटी पर खरे उतरेंगे।

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि संदर्भ का तदनुसार उत्तर दिया जाए और संदर्भ को बाधित न किया जाए। रानीफ (उपरोक्त) के मामलों में इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण; अरूप भुइयां

(ऊपर) और इंद्र दास (ऊपर)।

9. श्री संजय पारिख द्वारा की गई दलीलों के जवाब में, आवेदक/मध्यस्थ श्री तुषार मेहता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया है कि अब तक ए. आर. यू. पी. भुवन बनाम.

असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

तर्कसंगतता और आनुपातिकता पर विद्वान वरिष्ठ वकील श्री संजय पारिख द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, यह प्रस्तुत की जाती हैं कि एक विस्तृत विरोधात्मक

यू. ए. पी. ए., 1967 की धारा 3 और 4 के तहत संगठन को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने से पहले न्यायिक प्रक्रिया शुरू की जानी आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त न्यायिक प्रतिकूल प्रक्रिया अंतर्निहित तर्कसंगतता और आनुपातिकता सुनिश्चित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे प्रावधान न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित हैं।

9.1 अब जहाँ तक श्री पारिख द्वारा की गई प्रस्तुति की बात है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने पुरुषों के अधिकार तत्व और उस पर निर्भरता पर जोर दिया

आपराधिक कानून में निर्णय जो पुरुषों को अपराध का एक आवश्यक घटक मानते हैं, यह श्री मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि पुरुषों का सवाल प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर कर सकता है और मुकदमे के दौरान निर्णय लेना होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रानीफ (सुप्रा), अरूप भुइयां (सुप्रा) और इंद्र दास (सुप्रा) में दिए गए निर्णय मेन्स रिया की अवधारणा से संबंधित नहीं हैं और न ही अमेरिका में दिए गए निर्णय जिन पर निर्भरता रखी गई है।

9.2 अब जहाँ तक आई. पी. सी. से संबंधित निर्णयों और विशेष रूप से इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भरता है केदार नाथ सिंह (ऊपर), बलवंत सिंह (ऊपर) और बिडल (ऊपर), यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्भरता उचित नहीं हो सकती है क्योंकि आई. पी. सी. के तहत अपराध स्वतंत्र अपराध हैं और यू. ए. पी. ए. और टी. ए. डी. ए. के तहत प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता के अपराध की तुलना में कहीं अधिक व्यापक प्रचार के लिए लागू होते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यू. ए. पी. ए. के तहत एक संगठन पर प्रतिबंध एक विस्तृत प्रतिकूल न्यायिक प्रक्रिया के बाद लगाया जाता है

जिसे व्यापक प्रचार दिया जाता है, जिससे इस तरह के प्रतिबंधित संगठन की स्वाभाविक रूप से कानूनी प्रकृति के संबंध में तर्कसंगतता, सीमित अनुप्रयोग और जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. पी. सी. अपराधों में यह अनुपस्थित है जिसे कोई भी पुलिस अधिकारी लागू कर सकता है।

किसी भी प्रतिबंधित संगठन की उपस्थिति या ऐसे संगठन पर प्रतिबंध लगाने से पहले की प्रक्रिया के बिना किसी भी अपराध की जांच करना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए यू. ए. पी. ए. के बीच बहुत अंतर है।

और आई. पी. सी. अपराध। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में संसद ने अपने विवेक से और भारत की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए यू. ए. पी. ए. को लागू करना उचित समझा है और धारा 10 (ए) (आई) के तहत यह प्रावधान किया है कि केवल प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना ही एक अपराध है।

9.3 अब जहाँ तक धारा 10 (ए) (आई) की अस्पष्टता और दुरुपयोग की संभावना पर विद्वान वरिष्ठ वकील श्री प्राइख का निवेदन है, वह [2023] 8 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्तुत किया कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के संदर्भ में देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, अस्पष्टता और दुरुपयोग की संभावना असंवैधानिकता की घोषणा को पढ़ने का आधार नहीं हो सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी प्रावधान की संवैधानिकता पर विचार करते समय किसी कानून के दुरुपयोग की संभावना एक प्रासंगिक विचार नहीं होगा।

केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 955 के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, (1973) 4 एस. सी. सी. 225; टी. एन. शिक्षा विभाग। मंत्रिस्तरीय और सामान्य अधीनस्थ सेवा संगठन बनाम तमिलनाडु राज्य, (1980) 3 एस. सी. सी. 97 और मफतलाल

औद्योगिक लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1997) 5 एस. सी. सी. 536। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल इसलिए कि शक्ति

कभी-कभी दुरुपयोग किया जा सकता है, यह अस्तित्व से इनकार करने का कोई आधार नहीं है

शक्ति।

9.4 अब जहाँ तक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पारिख द्वारा तवाहा फसल बनाम भारत संघ, (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1000 के निर्णय पर दी गई निर्भरता का संबंध है, यह श्री मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि उक्त निर्णय यू. ए. पी. ए., 1967 की धारा 10 (ए) (आई) के तहत अपराध पर विचार करते समय लागू नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय में यह न्यायालय यूएपीए, 1967 की धारा 38 के तहत अपराध पर विचार कर रहा था और सदस्यता से संबंधित प्रावधानों पर विचार नहीं कर रहा था। यू. ए. पी. ए., 1967 की धारा 38 और 39 को प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता के अपराधीकरण से संबंधित प्रावधानों की तुलना में पूरी तरह से अलग तरीके से लिखा गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए विभिन्न प्रावधानों/अपराधों पर विचार करते समय की गई कोई भी टिप्पणी यू. ए. पी. ए., 1967 की धारा 10 (ए) (आई) पर विचार करते समय लागू नहीं हो सकती है।

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह घोषणा करने का अनुरोध किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा रानीफ (उपरोक्त), अरूप के मामले में की गई टिप्पणियाँ

भुयान (ऊपर) और इंद्र दास (ऊपर) एक अच्छा कानून नहीं है जो यह विचार रखता है कि केवल एक प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाएगी जब तक कि वह हिंसा का सहारा नहीं लेता है या लोगों को हिंसा के लिए नहीं उकसाता है या हिंसा या हिंसा के लिए उकसाने से सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा नहीं करता है।

10. श्री तुषार मेहता, भारत संघ की ओर से पेश हुए विद्वान सॉलिसिटर जनरल, श्री विनय नवारे, विद्वान वरिष्ठ वकील

असम राज्य और श्री संजय पारिख की ओर से अपील करते हुए, अपीलार्थी/मध्यस्थ की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील।

अरुण भुवन बनाम। असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

10.1 प्रारम्भ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश ने अरुण भुइयां बनाम भुइयां के मामले में रिपोर्ट किया।

असम राज्य, (2015) 12 एस. सी. सी. 702, वर्तमान संदर्भ वृहद पीठ के समक्ष है। वृहद न्यायपीठ का वर्तमान संदर्भ भारत संघ और असम राज्य की ओर से किए गए अनुरोध पर किया गया है, जिसमें धारा 10 (ए) (आई) को पढ़ने पर दृष्टिकोण रखते हुए रानीफ (ऊपर) और अरुण भुइयां (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के फैसलों की शुद्धता पर संदेह किया गया है कि केवल एक प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता किसी व्यक्ति को अपराधी/दोषी नहीं बनाएगी जब तक कि वह हिंसा का सहारा नहीं लेता या लोगों को हिंसा के लिए उकसाता है या हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था के माध्यम से सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा नहीं करता है।

हिंसा के लिए उकसाना। 10.2 इसलिए, वर्तमान संदर्भ में इस न्यायालय को उपरोक्त सीमा तक रानीफ (उपरोक्त), अरुण भुइयां (उपरोक्त) और इंद्र दास सिंह (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसलों की शुद्धता पर विचार करने की आवश्यकता है।

10.3 यू. ए. पी. ए., 1967 की धारा 10 निम्नानुसार है:

" गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 10,

1967

1 [10 . गैरकानूनी संगठन आदि का सदस्य होने के लिए दंड। जहाँ किसी संगठन को धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा गैरकानूनी घोषित किया जाता है जो उप-धारा के तहत प्रभावी हो गया है।

(3) उस खंड से,

((a) एक व्यक्ति, जो

((i) ऐसे संघ का सदस्य है और बना रहेगा; या

((ख) ऐसे संघ की बैठकों में भाग लेता है; या

(iii) इसके लिए किसी भी विवाद में योगदान देता है, या प्राप्त करता है या अनुरोध करता है।

ऐसे संघ का उद्देश्य; या

((iv) ऐसे संघ के संचालन में किसी भी तरह से सहायता करने पर उसे दो साल तक के कारावास की सजा हो सकती है और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और

(ख) एक व्यक्ति, जो ऐसे संघ का सदस्य है या बना हुआ है, या स्वेच्छा से किसी भी तरह से सहायता या प्रचार करने का कार्य करता है। ऐसे संगठन के उद्देश्य और दोनों ही मामलों में किसी भी बिना लाइसेंस वाले आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, विस्फोटक या अन्य उपकरण या पदार्थ के कब्जे में है जो बड़े पैमाने पर विनाश करने में सक्षम है और [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मानव जीवन की हानि या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाने या किसी संपत्ति को महत्वपूर्ण क्षति पहुँचाने वाला कोई कार्य,

((i) और यदि ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा, और

जुर्माने के लिए उत्तरदायी;

((ii) किसी अन्य मामले में, ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो पाँच वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसका विस्तार हो सकता है। आजीवन कारावास, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।] "

10.4 रानीफ (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को देखने के बाद, यह प्रतीत होता है और इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि उक्त मामले में यह न्यायालय जमानत याचिका पर विचार कर रहा था। धारा 10 की संवैधानिक वैधता विशेष रूप से यू. ए. पी. ए., 1967 की धारा 10 (ए) (आई) को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी। यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि यहां तक कि भारत संघ भी एक पक्ष नहीं था और/या भारत संघ की सुनवाई भी नहीं हुई थी जब रानीफ (सुप्रा) के मामले का फैसला किया गया था। उपरोक्त के बावजूद, इस न्यायालय ने जमानत याचिका पर निर्णय लेते समय कुछ टिप्पणियां की हैं कि केवल एक प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाएगी और/या केवल एक प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता अपराध नहीं हो सकती है। रानीफ (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर बहुत अधिक भरोसा किया है और उनका पालन किया है जो अमेरिकी कानूनों और/या अमेरिका में प्रचलित कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों से संबंधित थे। यदि रानीफ (ऊपर) के मामले में पूरा फैसला अमेरिकी के फैसले को छोड़कर देखा जाता है।

स्केल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका [6 एल एड 2 डी 782]; एल्फब्रांड बनाम रसेल [16 एल एड 2 डी 321] और संयुक्त फासीवाद विरोधी शरणार्थी समिति बनाम मैकग्राथ, [95 एल एड 817] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की संवैधानिक वैधता पर आगे कोई चर्चा नहीं होती है।

और यू. ए. पी. ए. की धारा 10 (ए) (आई) की वैधता जो विशेष रूप से प्रदान करती है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित का सदस्य था और बना रहता है।

संगठन, उसे अपराध करने वाला कहा जा सकता है और उसे दंडित किया जा सकता है। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा रानीफ (उपरोक्त) के मामले में की गई टिप्पणियों को केवल जमानत के मामले तक ही सीमित माना जाना चाहिए। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अनुच्छेद 8 में इस न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि "हम वर्तमान में केवल जमानत के मामले पर विचार कर रहे हैं और यह तय नहीं कर रहे हैं कि प्रतिवादी दोषी है या नहीं"।

10.5 अब जहाँ तक अरूप भुयान बनाम असम राज्य, (2011) 3 एस. सी. सी. 377 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का विचार है कि अरूप भुयान बनाम।

असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

प्रतिबंधित संगठन की मात्र सदस्यता किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराएगी जब तक कि वह हिंसा का सहारा नहीं लेता है या लोगों को हिंसा के लिए उकसाता है और सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी या गड़बड़ी पैदा करने के उद्देश्य से कोई कार्य नहीं करता है। , यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने अभी-अभी रानीफ (उपरोक्त) के मामले में निर्णय का पालन किया है। उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के कुछ अन्य अमेरिकी निर्णयों (पैरा 10 और 11) पर भी विचार किया है।

10.6 अरूप भुइयां (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णयों का उल्लेख करने के बाद

इसके बाद पैरा 10 और 11 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टाडा की धारा 3 (5) को पढ़ा था और कहा था कि केवल एक प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराएगी जब तक कि वह हिंसा का सहारा नहीं लेता है या लोगों को हिंसा के लिए नहीं उकसाता है और हिंसा का सहारा लेकर सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी या गड़बड़ी पैदा करने के उद्देश्य से कोई कार्य नहीं करता है।

10.7 यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अरूप भुइयां (ऊपर) का निर्णय लेते समय भी न तो टाडा की धारा 3 (5) की संवैधानिक वैधता की सुनवाई की गई और न ही भारत संघ की। उपरोक्त दोनों में भी इस न्यायालय के निर्णयों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) और अनुच्छेद 19 (4) को ध्यान में नहीं रखा था।

10.8 इंद्र दास (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने अभी-अभी रानीफ (उपर्युक्त) और अरूप भुइयां के मामले में पहले के फैसले का पालन किया है। (ऊपर)।

11. उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आइए अब हम रानीफ (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों की शुद्धता पर विचार करें। अरूप भुइयां (ऊपर) और इंद्र दास (ऊपर)।

11.1 अब जहाँ तक अरूप भुइयां (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा यू. ए. पी. ए., 1967 की धारा 10 (ए) (आई) को पढ़ने की बात है,

संबंधित रूप से, शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि किसी कानून के प्रावधान का ऐसा अध्ययन भारत संघ को सुने बिना और/या भारत संघ को कोई अवसर दिए बिना नहीं किया जा सकता था।

11.2 जब भारत संघ की अनुपस्थिति में संसदीय विधान के किसी भी प्रावधान को पढ़ा जाता है तो इससे भारी नुकसान होने की संभावना होती है।

राज्य का हित। यदि भारत संघ को यू. ए. पी. ए., 1967 की धारा 10 (ए) (आई) के प्रावधानों पर अपना मामला रखने का अवसर दिया जाता, तो भारत संघ यू. ए. पी. ए. की धारा 10 (ए) (आई) के पक्ष में उद्देश्य और उद्देश्य [2023] 8 एस. सी. आर. सहित प्रस्तुतियाँ करता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐसे प्रावधान के अधिनियमन के लिए और यहां तक कि उद्देश्य और उद्देश्य के लिए

यू.पी.ए। संजीव कोक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पारिख द्वारा प्रस्तुत किया गया कि किसी भी प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करने से बचाने के लिए प्रावधान की व्याख्या करना और उसे पढ़ना अंततः न्यायालय का काम है।

संबंधित रूप से, यह सच है कि अंततः कानून और/या विशेष कानून की व्याख्या करना न्यायालय का काम है। हालांकि, सवाल अदालतों की शक्ति का नहीं है। सवाल यह है कि क्या यह भारत संघ को सुने बिना किया जा सकता है?

11.3 अन्यथा भी किसी भी चुनौती के अभाव में

यू. ए. पी. ए. की धारा 10 (ए) (आई) की संवैधानिक वैधता को इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधान को कम करने का कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए,

यू. ए. पी. ए., 1967 की धारा 10 (ए) (आई) की संवैधानिक वैधता को किसी भी चुनौती के अभाव में इस न्यायालय के लिए इसे पढ़ने का कोई अवसर नहीं था।

11.4 अन्यथा भी जैसा कि इस न्यायालय ने सुब्रमण्यम स्वामी और अन्य बनाम सदस्य के माध्यम से राजू के मामले में देखा और अभिनिर्धारित किया, किशोर न्याय बोर्ड और ए. एन. आर. , (2014) 8 एस. सी. सी. 390 पढ़ने के लिए नीचे

कानून के प्रावधान का सहारा तब नहीं लिया जा सकता जब किसी प्रावधान का अर्थ स्पष्ट और स्पष्ट हो और विधायी इरादा स्पष्ट हो। इसके बाद इस न्यायालय ने "पढ़ने" का मौलिक सिद्धांत निर्धारित किया है।

नीचे सिद्धांत "निम्नानुसार:

" न्यायालयों को पहली बार में कानून को शाब्दिक रूप से पढ़ना चाहिए। यदि इस तरह के अध्ययन और समझ पर असंवैधानिकता की बुराई आकर्षित होती है, तो अदालतों को यह पता लगाना चाहिए कि क्या कोई अनपेक्षित विधायी चूक हुई है। यदि इस तरह के इरादे को एक विधायी अभ्यास किए बिना उचित रूप से निहित किया जा सकता है, तो इसे असंवैधानिकता से बचाने के लिए अधिनियम को पढ़ा जा सकता है। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा गया है कि किसी विशेष कानून को असंवैधानिकता से बचाने के लिए भी पढ़ने की अनुमति तब तक नहीं है जब तक कि

इस तरह के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा रही है और भारत संघ को किसी विशेष प्रावधान की रक्षा करने का अवसर दिया जाता है।

संसदीय कानून "।

11.5 उपरोक्त सभी उपरोक्त तीन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को यू. ए. पी. ए., 1967 की धारा 10 (ए) (आई) को अधिक विशेष रूप से नहीं पढ़ना चाहिए था, जब न तो धारा 10 (ए) (आई) की संवैधानिक वैधता हो।

अरुप भुवन बनाम। असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

यू. ए. पी. ए., 1967 को चुनौती दी गई थी और न ही भारत संघ की सुनवाई हुई थी।

12. जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है और यहाँ तक कि अरुप भुइयां (सुप्रा) और रानीफ (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसलों से भी देखा जा सकता है कि उपरोक्त मामलों का फैसला करते समय इस न्यायालय ने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन किया है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बिना किसी आपराधिकता और/या स्पष्ट कार्य के केवल सदस्यता पर निर्णय लिया गया है।

सदस्यता को अपराध करने वाला या न करने वाला कहा जाए। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या यह न्यायालय अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का पालन करने में उचित/सही था, जो कि संयुक्त राज्य के कानूनों की व्याख्या और/या विचार पर थे। 12.1 "बोलने की स्वतंत्रता और/या सार्वजनिक व्यवस्था" पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को भारत में कानूनों की तुलना में कितना लागू किया जा सकता है, अमेरिका की प्रयोज्यता पर इस न्यायालय के कुछ फैसले

भारत में लागू कानूनों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को संदर्भित करने और उन पर विचार करने की आवश्यकता है।

12.2 बाबूलाल पराटे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1961) 3 एस. सी. आर. 423 के मामले में, यह पैराग्राफ 23 से 27 में निम्नानुसार देखा गया है:

" 23. यह तर्क कि आपराधिकता को पहले से निर्धारित करने का परीक्षण अनुचित है, स्पष्ट रूप से शैनेक मामले [शैनेक बनाम। यू. एस., 249, यू. एस. 47] कि मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर पिछले प्रतिबंध केवल तभी स्वीकार्य हैं जब कोई स्पष्ट और वर्तमान खतरा हो। हालाँकि, हमें ऐसा लगता है कि अमेरिकी सिद्धांत को हमारे संविधान के तहत आयात नहीं किया जा सकता है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं हैं, बल्कि जैसा कि मद्रास राज्य बनाम में बताया गया है। वी. जी. रो [(1952) 1 एस. सी. सी. 410: 1952 एस. सी. आर. 597] में लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन हैं

अनुच्छेद 19 के बाद के खंड। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) से (6) के अनुरूप कुछ भी नहीं है।

हमारा संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका में चौदहवाँ संशोधन।

संविधान में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान किया गया है कि "कोई भी राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा या लागू नहीं करेगा जो संयुक्त राज्य के नागरिकों के विशेषाधिकारों या उन्मुक्ति को कम करेगा और न ही कोई राज्य किसी भी कानून को लागू करने से वंचित करेगा। कानून की उचित प्रक्रिया के बिना जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति का व्यक्ति;

8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24. हमारे संविधान की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अलग है। फिर से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि संविधान द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार और उन्मुक्ति पुलिस शक्ति के सिद्धांत का सहारा लेकर सामाजिक नियंत्रण के अधीन हैं। यह इस पृष्ठभूमि के प्रकाश में है कि शनेक में परीक्षण निर्धारित किया गया है मामला [शनेक बनाम। यू. एस., 249, यू. एस. 47] को समझना होगा।

25. धारा 144 की भाषा कुछ अलग है। द.

अनुभाग में निर्धारित परीक्षण केवल "संभावना" या नहीं है

" प्रवृत्ति "। धारा में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना चाहिए कि विशेष कृत्यों की तत्काल रोकथाम आवश्यक है

सार्वजनिक सुरक्षा आदि के लिए खतरे का मुकाबला करना। इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग न केवल वर्तमान खतरे में किया जा सकता है, बल्कि खतरे की आशंका होने पर भी किया जा सकता है।

26. इसके अलावा यह ध्यान देने योग्य है कि शनेक मामले में [शनेक बनाम। यू. एस., 249, यू. एस. 47] सर्वोच्च न्यायालय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित था और उसने कहा:

" यह अच्छी तरह से हो सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने वाले कानून का निषेध पिछले प्रतिबंधों तक ही सीमित नहीं है, हालांकि उन्हें रोकना मुख्य उद्देश्य हो सकता है। हम स्वीकार करते हैं कि कई स्थानों पर और सामान्य समय में प्रतिवादी, परिपत्र में जो कुछ भी कहा गया था, वह उनके दायरे में होता।

संवैधानिक अधिकार। लेकिन प्रत्येक कार्य का चरित्र इस पर निर्भर करता है

जिन परिस्थितियों में यह किया जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे कड़ा संरक्षण एक व्यक्ति को थिएटर में झूठ बोलने और दहशत पैदा करने से नहीं बचाएगा। यह एक आदमी को उन शब्दों के उच्चारण के खिलाफ निषेधाज्ञा से भी नहीं बचाता है जिनका बल का पूरा प्रभाव हो सकता है। हर मामले में सवाल यह है कि क्या उपयोग किए गए शब्दों का उपयोग ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है और क्या वे ऐसे हैं?

यह एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा पैदा करने की प्रकृति है कि वे उन मूल बुराइयों को लाएंगे जिन्हें रोकने का कांग्रेस को अधिकार है। यह.

यह निकटता और डिग्री का सवाल है।

27. संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भी स्थिति हो, हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि धारा 144 के तहत अनुमेय प्रकार की अग्रिम कार्रवाई अनुच्छेद 19 के खंड (2) और (3) के तहत अनुज्ञेय नहीं है। खंड (2) (1951 में यथासंशोधित) और खंड (3) दोनों में, विधानमंडल को ए. आर. यू. पी. भुवन v. को रखते हुए कानून बनाने की शक्ति दी गई है।

असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

अन्य बातों के अलावा, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में इन खंडों द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध। इसे सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था को पहले से बनाए रखना पड़ता है और इसलिए, यह एक विधानमंडल के लिए सक्षम है कि वह एक कानून पारित करे जो एक उपयुक्त प्राधिकारी को अग्रिम कार्रवाई या स्थान लेने की अनुमति देता है।

विशेष प्रकार के कृत्यों पर अग्रिम प्रतिबंध सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आपातकाल। हमें करना चाहिए,

इसलिए, इस तर्क को अस्वीकार करें।

12.3 मधु लिमये बनाम उप-मंडल के मामले में

इस्त्रेट, (1970) 3 एस. सी. सी. 746, बाबूलाल पराटे (उपरोक्त) की पहचान पर पुनर्विचार और पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने एक

श्री जस्टिस के माध्यम से बोलते हुए सात माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति

जटुल्ला, जे. ने पैराग्राफ 16 और 17 में कहा और माना है कि: :

“ 16. हम यहाँ देख सकते हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था और सार्वजनिक शांति का ओवरलैप केवल आंशिक है। शर्तें हमेशा नहीं होती हैं

पर्यायवाची। उत्तरार्द्ध एक बहुत व्यापक अभिव्यक्ति है और कई चीजों को लेती है जिन्हें सार्वजनिक अव्यवस्था के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। द.

"सार्वजनिक व्यवस्था" और "सार्वजनिक शांति" शब्द कुछ हद तक ओवरलैप होते हैं, लेकिन ऐसे मामले हैं जो सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित किए बिना सार्वजनिक शांति को बाधित करते हैं। एक व्यक्ति जो ज़ोर से संगीत बजा रहा है

आधी रात को उसका अपना घर जनता को परेशान कर सकता है।

शांति, लेकिन वह सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा नहीं कर रहा है। सार्वजनिक व्यवस्था "इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाज में शांति की स्थिति में अशांति की अनुपस्थिति की भी आवश्यकता होती है लेकिन यह आगे बढ़ती है। इसका मतलब है, फ्रेंच क्या निर्दिष्ट करता है

आदेश सार्वजनिक, विद्रोह, दंगे की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित

अशांति, या हिंसा के अपराध। "सार्वजनिक व्यवस्था" अभिव्यक्ति में उन सभी कार्यों की अनुपस्थिति शामिल है जो राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और ऐसे कार्य भी जो ऊपर वर्णित "आदेश सार्वजनिक" अभिव्यक्ति द्वारा समझे जाते हैं, लेकिन ऐसे कार्य नहीं जो केवल परेशान करते हैं।

दूसरों की शांति।

17. अंग्रेजी और अमेरिकी मिसालें और कानून इस तरह की मदद नहीं करते हैं। लोक व्यवस्था अधिनियम, 1936 पारित किया गया था।

क्योंकि 1936 में विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने मार्च किया

वर्दी दंगों का कारण बनती है। अमेरिका में प्रथम संशोधन स्वतंत्रताओं की ऐसी कोई योग्यता नहीं है जो भारत में है और निर्णय हमारे संविधान में गलत तरीके से लागू होने के लिए उपयुक्त हैं। "

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12.4 इसके बाद सुपुर्द के मामले में, , केंद्रीय कारागार बनाम डॉ.

मनोहर लोहिया, (1960) 2 एस. सी. आर. 821, इस न्यायालय ने संज्ञान लिया था।

अमेरिकी कानून और भारतीय कानून में अधिक अंतर

अनुच्छेद 19 (2) के तहत प्रतिबंध।

12.5 इसके बाद रामलीला मैदान की घटना के मामले में,

2) 5 एस. सी. सी. 1, यह पैराग्राफ 7 से 11 में मनाया और आयोजित किया जाता है

अमेरिकी सिद्धांत/अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की क्षमता

:

" 7. अमेरिका के उपरोक्त दृष्टिकोण के विपरीत

सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संविधान में अधिकार का उल्लेख किया गया है

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह हर किसी को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 (1) (बी) के तहत देश का नागरिक। लेकिन ये अधिकार

वे किसी भी प्रतिबंध से मुक्त नहीं हैं और उनमें पूर्ण नहीं हैं।

शर्तें और आवेदन। अनुच्छेद 19 (2) और 19 (3), क्रमशः, एक नागरिक को उपलब्ध स्वतंत्रताओं को नियंत्रित करते हैं। अनुच्छेद 19 (2) अधिकार देता है

कारकों के हित में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य उक्त खंड में वर्णित है। इसी तरह, अनुच्छेद 19 (3) राज्य को सक्षम बनाता है।

अभ्यास पर उचित प्रतिबंध लगाने वाला कोई भी कानून बनाना।

प्रदत्त अधिकार का, फिर से बताए गए कारकों के हित में

उसमें।

8. इस संवैधानिक जनादेश के सामने, अमेरिकी सिद्धांत शेंक मामले [63 एल एड 470: 249 यू. एस. 47 (1919)] को आयात और लागू नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान के तहत, यह अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि निषिद्ध प्रतिबंधों के अधीन है। इस प्रकार, हमारे संविधान के तहत स्थिति अलग है।

9. एच. एम. सीरवई द्वारा भारत के संवैधानिक कानून में (चौथा)

एडन.) , खण्ड. 1 , लेखक ने देखा है कि दोनों के प्रावधान

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में संविधान हैं -

अनिवार्य रूप से अलग। के द्वारा अंतर को बढ़ाया जा रहा है निवारक निरोध के लिए भारतीय संविधान के प्रावधान जिनका अमेरिकी संविधान में कोई समकक्ष नहीं है। उचित प्रतिबंध

न्यायसंगतता के प्रश्न के रूप में न्यायालय का क्षेत्र एक है मुख्य रूप से अदालत को निर्णय लेने के लिए प्रश्न। (बाबूलाल पराते बनाम। महाराष्ट्र राज्य [ए. आई. आर 1961 एस. सी. 884: (1961) 2 क्रि एल. जे. 16: (1961) 3 एससीआर 423])

अरुण भुवन बनाम। असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

10. संविधान में निहित मौलिक अधिकार को उचित प्रतिबंधों के अधीन बनाया जा रहा है, इस प्रकार अधिनियमित कानून

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर कुछ प्रतिबंधों को निर्दिष्ट करने के लिए इसका अर्थ सार्थक रूप से और संवैधानिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लगाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किसी ऐसे कानून द्वारा नहीं किया जाता है जिसके लिए आवश्यक है कि मुद्रक और प्रकाशक का नाम और मुद्रण और प्रकाशन के स्थान को प्रत्येक पुस्तक या कागज पर स्पष्ट रूप से मुद्रित किया जाना चाहिए।

11. इस प्रकार, कानून की भाषा, इसकी संभावित व्याख्या और भारतीय के तहत अनुप्रयोग में एक स्पष्ट अंतर है और

अमेरिकी कानून। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक सरकार की सुरक्षा है। यह स्वतंत्रता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उचित संचालन के लिए आवश्यक है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वतंत्रता की पहली शर्त माना जाता है। यह स्वतंत्रता के पदानुक्रम में एक पसंदीदा स्थान रखता है, जो अन्य सभी स्वतंत्रताओं को सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है। यह सही मायने में कहा गया है कि यह अन्य सभी स्वतंत्रताओं की जननी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर जनमत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे "बुनियादी मानव अधिकार", "एक प्राकृतिक अधिकार" और इसी तरह के रूप में वर्णित किया गया है। भारत में कानून के विकास के साथ, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार ने सूचना प्राप्त करने के अधिकार के साथ-साथ अधिकार को भी अपने दायरे में ले लिया है

प्रेस से "। "

12.6 जोसेफ कुरुविला वेलुकुनेल बनाम रिजर्व के मामले में।

बैंक ऑफ इंडिया, 1962 सप्लीमेंट (3) एस. सी. आर. 632, पैरा 75 में यह देखा गया है कि हमारे कानूनों की व्याख्या में अमेरिकी अवधारणाओं, कानूनों और उदाहरणों की सहायता हमेशा इसके खतरों के बिना नहीं होती है और इसलिए उन कानूनों और उन संस्थानों की प्रकृति में अंतर के कारण हिचकिचाहट के साथ उन पर भरोसा किया जाना चाहिए, जिन पर वे लागू होते हैं।

12.7 बिहार राज्य बनाम भारत संघ, (1970) 1 एस. सी. सी. 67 के मामले में, यह पैरा 13 में निम्नानुसार मनाया और आयोजित किया जाता है:

" हमारा ध्यान कुछ प्रावधानों की ओर आकर्षित किया गया था

अमेरिकी संविधान और ऑस्ट्रेलिया के संविधान अधिनियम और प्रावधान की व्याख्या से संबंधित कई निर्णय जो कुछ हद तक कला के समान हैं। 131. लेकिन चूंकि समानता केवल सीमित है, इसलिए हम दोनों प्रावधानों की जांच करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

संदर्भित या निर्णय जिन पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था।

सी. आर. में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपने संविधान की व्याख्या करते हुए हमें निर्णयों द्वारा निर्देशित नहीं होना चाहिए जो हमारे प्रावधानों के समान नहीं हैं। संविधान "।

12.8 अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ के मामले में,

3) 6 एस. सी. सी. 1, यह पैरा 165 में निम्नानुसार मनाया गया है:

" 165. शुरुआत में, यह कहा जाना चाहिए कि

संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय भारत में लागू नहीं किया गया था

संदर्भ के रूप में यह महसूस किया गया कि दोनों संविधानों के तहत प्रावधानों की संरचना और सामाजिक स्थितियों के साथ-साथ अन्य कारक दोनों देशों में व्यापक रूप से भिन्न हैं। भिकाजी नारायण ठाकरा और अन्य का संदर्भ दिया जा सकता है। बनाम। मध्य राज्य

प्रदेश & Anr.56 और ए. एस. कृष्णा बनाम मद्रास राज्य 57

जिसमें इस न्यायालय ने विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में नियत प्रक्रिया खंड लागू नहीं होता है। भारत के लिए। अनुच्छेद के दायरे और प्रयोज्यता पर विचार करते हुए

19 (1) (छ) कामेश्वर प्रसाद और अन्य बनाम बिहार राज्य में

और दूसरा, यह देखा गया था -

" जहां तक अमेरिकी न्यायालयों के इन निर्णयों का संबंध है, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यद्यपि प्रथम संशोधन

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में लिखा है, "कांग्रेस कोई कानून नहीं बनाएगी. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करती है।"

गारंटीकृत अधिकार के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध लगाने के लिए कांग्रेस को कोई शक्ति प्रदान करने के लिए, फिर भी यह हमेशा समझा गया है कि गारंटीकृत स्वतंत्रता पुलिस शक्ति के अधीन है जिसका दायरा हालांकि परिभाषित नहीं किया गया है।

सटीकता के साथ या समान रूप से "।

12.9 केशवानंद भारती मामले (1973) सी 225 के समान मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि भारत के संविधान और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संरचनात्मक अंतर हैं।

रिका।

13. उपरोक्त में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना

भारत के संविधान की धारा 19 (1) (सी) और 19 (4) जिसके तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है और नहीं है समाधान का अधिकार और संविधान संसद को ए. आर. यू. पी. भुवन बनाम को तैयार करने की अनुमति देता है।

असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

अमेरिकी कानूनों और भारतीय कानूनों में अंतर को ध्यान में रखे बिना, सार्वजनिक व्यवस्था और/या भारत की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने अरूप भुइयां (उपरोक्त) और रानीप के मामले में (ऊपर) ने सीधे और सीधे अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का पालन करते हुए गलती की है और वह भी भारत में मतभेदों और कानूनों की स्थिति को ध्यान में रखे बिना।

13.1 अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (उक्त फैसलों में संदर्भित) के मतभेदों को ध्यान में रखे बिना उपरोक्त दो फैसलों में यह अदालत

अभी-अभी अमेरिकी फैसलों का पालन किया है जिनसे हम सहमत नहीं हैं। इस न्यायालय को अमेरिकी कानूनों और भारतीय कानूनों में अंतर पर विचार करना चाहिए था, विशेष रूप से भारतीय संविधान के प्रावधानों पर। उपरोक्त द्वारा हम एक पल के लिए भी यह नहीं कहते हैं कि किसी दिए गए मामले में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है और/या एक मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। अमेरिकी फैसलों का पालन करने से पहले, भारतीय न्यायालयों को संबंधित देशों में लागू कानूनों की प्रकृति में अंतर पर विचार करना आवश्यक है।

13.2 जैसा कि जोसेफ कुरुविला वेलुकुनेल (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, अमेरिकी अवधारणाओं, कानूनों की सहायता

और व्याख्या में ऐसे उदाहरण जिनके लिए कानून हमेशा अपने खतरों के बिना नहीं होते हैं और इसलिए उन कानूनों और उन संस्थानों की प्रकृति में अंतर के कारण जिन पर वे लागू होते हैं, उन पर कुछ सावधानी के साथ भरोसा किया जाना चाहिए, यदि संकोच के साथ नहीं।

14. अब इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या धारा 10 (ए) (आई) को पढ़ने की आवश्यकता है ताकि उक्त प्रावधान को असंवैधानिक घोषित होने से बचाया जा सके और क्या

जैसा कि अरूप भुइयां (सुप्रा) और रानीप (सुप्रा) के मामले में किया गया था कि केवल एक प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता को पढ़ने की आवश्यकता है।

संगठन किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराएगा जब तक कि वह हिंसा का सहारा नहीं लेता है या लोगों को हिंसा के लिए उकसाता है और हिंसा का सहारा लेकर सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी या गड़बड़ी पैदा करने के उद्देश्य से कोई कार्य नहीं करता है, जिसका अर्थ है कि किसी प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता के अलावा एक

पुरुषों को स्थापित करने और साबित करने की आवश्यकता है और/या एक और स्पष्ट कार्य होना चाहिए? इस मुद्दे पर निर्णय लेते समय विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता, असम राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विनय नवारे और अपीलार्थी/मध्यस्थ की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री संजय पारिख द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियाँ की गई हैं।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14.1 उपरोक्त मुद्दे पर विचार करते समय के प्रासंगिक प्रावधान

भारत की संस्था और यू. ए. पी. ए., 1967 को संदर्भित करने की आवश्यकता है।

ये निम्नानुसार हैं:

" 19. स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण

भाषण आदि। — (1) सभी नागरिकों को होगा अधिकार

(ग) संघों या संघों [या सहकारी समितियों] का गठन करना;

[(2) खंड (1) के उपखंड (क) में कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा

किसी भी मौजूदा कानून का संचालन, या राज्य को बनाने से रोकता है

कोई भी कानून, जहाँ तक ऐसी कानून उचित प्रतिबंध लगाती है

उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग [भारत की संप्रभुता और अखंडता] के हित, की सुरक्षा

राज्य, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था,

शालीनता या नैतिकता या अदालत की अवमानना, मानहानि के संबंध में

या किसी अपराध के लिए उकसाना।]

(4) उक्त खंड के उपखंड (ग) में कुछ भी किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा जहां तक वह लागू करता है, या रोकता है।

राज्य के हित में कोई कानून बनाने से [

भारत की संप्रभुता और अखंडता या] सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता, द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध

उक्त उपखंड "।

1967 के यू. ए. पी. ए. के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

2. परिभाषाएँ। — (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

(क) "संगठन" से कोई संयोजन या निकाय अभिप्रेत है -

व्यक्तियों;

[(ई. सी) "व्यक्ति" में शामिल हैं ((i) एक व्यक्ति,

((ख) एक कंपनी,

((ग) एक फर्म, ((iv) एक संगठन या व्यक्तियों का एक संघ या एक निकाय

व्यक्ति, चाहे वे निगमित हों या नहीं,

(V) प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो किसी भी कानून के दायरे में नहीं आता है।

पूर्ववर्ती उपखंड, और अरूप भुवन V.

असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

((vi) किसी व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कोई एजेंसी, कार्यालय या शाखा।

पूर्ववर्ती उपखंडों में से किसी के अंतर्गत आने वाले;]

(के) "आतंकवादी कृत्य" का अर्थ धारा 15 में दिया गया है, और "आतंकवाद" और "आतंकवादी" अभिव्यक्तियाँ

तदनुसार समझा गया;

(1) " "आतंकवादी गिरोह" से आतंकवादी संगठन के अलावा कोई भी संगठन, चाहे वह व्यवस्थित हो या अन्यथा, जो आतंकवादी कृत्य से संबंधित हो या उसमें शामिल हो, अभिप्रेत है।

("आतंकवादी संगठन" से [पहली अनुसूची] में सूचीबद्ध संगठन या उसी नाम के तहत काम करने वाला संगठन अभिप्रेत है जो इस प्रकार सूचीबद्ध संगठन है; (पी) "गैरकानूनी संगठन" का अर्थ है कोई भी संगठन,

((i) जिसका उद्देश्य कोई गैरकानूनी गतिविधि है, या जो किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित या सहायता करता है,

या जिसके सदस्य ऐसी गतिविधि करते हैं; या

((ii) जिसका उद्देश्य कोई ऐसी गतिविधि है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 153-ए या धारा 153-बी के तहत दंडनीय है, या जो व्यक्तियों को ऐसी कोई गतिविधि करने के लिए प्रोत्साहित करती है या सहायता करती है, या जिसके सदस्य कोई भी गतिविधि करते हैं।

ऐसी गतिविधि:

बशर्ते कि उपखंड (ii) में निहित कुछ भी जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होगा;

3. किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित करना। — (1) यदि केंद्र सरकार की राय है कि कोई संगठन गैरकानूनी संगठन है या बन गया है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे संगठन को गैरकानूनी घोषित कर सकती है।

(2) ऐसी प्रत्येक अधिसूचना में उन आधारों को निर्दिष्ट किया जाएगा जिन पर इसे जारी किया गया है और ऐसे अन्य विवरण जैसे केंद्र सरकार

आवश्यक माना जा सकता है:

बशर्ते कि इस उप-धारा की किसी भी बात के लिए केंद्र सरकार से किसी भी तथ्य को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होगी जिसे वह मानता है

सार्वजनिक हित का खुलासा करने के खिलाफ।

(3) ऐसी कोई अधिसूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि न्यायाधिकरण, धारा 4 के तहत किए गए एक आदेश द्वारा, उसमें की गई घोषणा की पुष्टि नहीं करता है और आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं होता है:

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार की राय है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो उस सरकार के लिए तत्काल प्रभाव से किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित करना आवश्यक बनाती हैं, तो वह लिखित रूप में बताए जाने वाले कारणों से निर्देश दे सकती है कि अधिसूचना, धारा 4 के तहत किए जाने वाले किसी भी आदेश के अधीन, आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

(4) ऐसी प्रत्येक अधिसूचना, आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन के अलावा, कम से कम एक दैनिक में प्रकाशित की जाएगी।

राज्य में प्रसारित होने वाला समाचार पत्र जिसमें प्रधानाचार्या

प्रभावित संघ का कार्यालय, यदि कोई हो, स्थित है, और ऐसे संघ पर भी इस तरह से कार्य किया जाएगा जैसे कि केंद्रीय

सरकार उचित सोच सकती है और ऐसी सेवा को प्रभावी बनाने में निम्नलिखित सभी या किसी भी तरीके का पालन किया जा सकता है, अर्थात्:

(क) संगठन के कार्यालय के किसी विशिष्ट भाग, यदि कोई हो, पर अधिसूचना की एक प्रति चिपका कर; या

(ख) अधिसूचना की एक प्रति, जहां संभव हो, संघ के प्रमुख पदाधिकारी, यदि कोई हो, को देकर; या

(ग) ढोल बजाकर या लाउडस्पीकों के माध्यम से, उस क्षेत्र में अधिसूचना की सामग्री की घोषणा करके जिसमें संगठन की गतिविधियाँ सामान्य रूप से की जाती हैं; या

(घ) ऐसी अन्य रीति से जो विहित की जाए।

4. न्यायाधिकरण का संदर्भ। — (1) जहाँ किसी भी संगठन को उप के तहत जारी अधिसूचना द्वारा गैरकानूनी घोषित किया गया है।

धारा 3 की धारा (1) के तहत केंद्र सरकार अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर

उक्त उप-धारा, संघ को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं, यह निर्णय लेने के उद्देश्य से न्यायाधिकरण को अधिसूचना भेजें।

(2) उप-धारा (1) के तहत एक संदर्भ की प्राप्ति पर,

न्यायाधिकरण लिखित रूप में नोटिस से प्रभावित संघ से इस तरह के नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिनों के भीतर कारण बताने के लिए कहेगा कि संघ को गैरकानूनी क्यों नहीं घोषित किया जाना चाहिए।

(3) संघ या उसके पदाधिकारी या सदस्यों द्वारा दिखाए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, न्यायाधिकरण धारा 9 में निर्दिष्ट तरीके से और ऐसी आगे की जानकारी मांगने के बाद जांच करेगा जो वह आवश्यक समझे।

असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

केंद्र सरकार या संघ के किसी पदाधिकारी या सदस्य की ओर से यह निर्णय लिया जाएगा कि संघ को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं और धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर, जितना संभव हो उतना तेजी से और किसी भी मामले में, ऐसा आदेश जो वह अधिसूचना में की गई घोषणा की पुष्टि करता है या उसे रद्द करता है।

(4) उप-धारा (3) के तहत किए गए न्यायाधिकरण के आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

8. गैरकानूनी संगठन के उद्देश्य से स्थानों को अधिसूचित करने की शक्ति। — (1) जहाँ एक संघ घोषित किया गया है

धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा गैरकानूनी, जो उस धारा की उप-धारा (3) के तहत प्रभावी हो गई है, केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी स्थान को अधिसूचित कर सकती है जिसका उपयोग उसकी राय में ऐसे गैरकानूनी संगठन के उद्देश्य से किया जाता है।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "स्थान" में एक घर या भवन, या उसका कुछ हिस्सा, या एक तम्बू या पात्र शामिल है। (2) उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी करने पर, जिला मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर

अधिसूचित स्थान स्थित है या इस संबंध में उसके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत कोई भी अधिकारी दो सम्मानित गवाहों की उपस्थिति में अधिसूचित स्थान पर पाई जाने वाली सभी चल संपत्तियों (परिधान, खाना पकाने के बर्तन, बिस्तर और बिस्तर, कारीगरों के उपकरण, पशुपालन के उपकरण, मवेशी, अनाज और खाद्य पदार्थ और ऐसी अन्य वस्तुओं को छोड़कर जो वह तुच्छ प्रकृति की समझता है) की एक सूची बनाएगा।

(3) यदि, जिला मजिस्ट्रेट की राय में, सूची में निर्दिष्ट किसी भी लेख का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है या किया जा सकता है

गैरकानूनी संगठन, वह किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित करने का आदेश दे सकता है

जिला मजिस्ट्रेट के लिखित आदेशों के अनुसार वस्तुओं का उपयोग करने से बचाएँ।

(4) जिला मजिस्ट्रेट तब यह आदेश दे सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो अधिसूचना की तारीख को अधिसूचित स्थान का निवासी नहीं था, जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना, अधिसूचित स्थान में प्रवेश नहीं करेगा या उसमें नहीं होगा:

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति के किसी निकट संबंधी पर लागू नहीं होगी जो अधिसूचित अधिनियम में निवासी था।

अधिसूचना की तारीख पर जगह।

(5) जहां उप-धारा (4) के अनुसरण में, किसी व्यक्ति को अधिसूचित स्थान पर प्रवेश करने या उसमें रहने की अनुमति दी जाती है,

वह व्यक्ति, ऐसी अनुमति के तहत कार्य करते समय, अपने आचरण को विनियमित करने के लिए ऐसे आदेशों का पालन करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जाएं।

(6) कोई भी पुलिस अधिकारी, जो उप-निरीक्षक के पद से कम न हो, या केंद्र द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति। सरकार अधिसूचित स्थान पर प्रवेश करने या प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति की तलाशी ले सकती है और ऐसे किसी भी व्यक्ति को उसकी तलाशी के उद्देश्य से हिरासत में ले सकती है:

बशर्ते कि इस उप-धारा के अनुसरण में किसी भी महिला की तलाशी नहीं ली जाएगी सिवाय एक महिला के। (7) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (4) के तहत दिए गए आदेश का उल्लंघन करते हुए अधिसूचित स्थान पर है, तो उसके खिलाफ की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे किसी भी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां से हटाया जा सकता है।

केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत।

(8) इस संबंध में जारी अधिसूचना से व्यथित कोई भी व्यक्ति

उप-धारा (1) के अधीन या उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन किए गए आदेश द्वारा, यथास्थिति, अधिसूचना या आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में आवेदन कर सकता है, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर ऐसा अधिसूचित स्थान स्थित है।

(क) यह घोषणा करने के लिए कि उस स्थान का उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है।

गैरकानूनी संगठन का; या

(ख) उप-धारा (3) या उप-धारा (3) के तहत किए गए आदेश को अलग करने के लिए।

धारा (4),

और आवेदन की प्राप्ति पर जिला न्यायाधीश का न्यायालय

पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, प्रश्न का निर्णय करेंगे।

[10. गैरकानूनी संगठन का सदस्य होने के लिए दंड

संगठन आदि। जहां किसी संगठन को धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा गैरकानूनी घोषित किया जाता है, जो उस धारा की उप-धारा (3) के तहत प्रभावी हो गया है,-ए. आर. यू. पी. भूषण V.

असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

(अ)

एक व्यक्ति जो

ऐसे संघ का सदस्य है और बना रहेगा; या

((i)

((ख)

ऐसे संघ की बैठकों में भाग लेता है; या

((iii)

के लिए किसी भी योगदान में योगदान देता है, या प्राप्त करता है या अनुरोध करता है

ऐसे संघ का उद्देश्य; या

((iv) किसी भी तरह से ऐसे संघ के संचालन में सहायता करता है,

कारावास से दंडनीय होगा जो दो वर्ष तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और

एक व्यक्ति, जो इस प्रकार का सदस्य है या बना हुआ है

(ख)

संघ, या स्वेच्छा से किसी भी तरह से ऐसे संघ के उद्देश्यों की सहायता या प्रचार करने वाला कार्य करता है और दोनों में से

मामला किसी भी बिना लाइसेंस वाले आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, विस्फोटक या अन्य उपकरण या पदार्थ के कब्जे में है जो सक्षम है सामूहिक विनाश का कारण बनता है और किसी भी कार्य को करता है जिसके परिणामस्वरूप मानव जीवन की हानि होती है या किसी व्यक्ति या कारणों को गंभीर चोट लगती है

किसी भी संपत्ति को महत्वपूर्ण नुकसान,

और यदि ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो

((i)

मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा, और

जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा;

((ii) किसी अन्य मामले में, कारावास से दंडनीय होगा जो पाँच वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जो

आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, और उत्तरदायी भी होगा।

ठीक है।]

13. गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा। (1) जो भी हो -

((क) इसमें भाग लेता है या प्रतिबद्ध होता है, या

(ख) आयोग की वकालत करता है, सहायता करता है, सलाह देता है या उकसाता है,

कोई भी गैरकानूनी गतिविधि, सात साल तक की अवधि के कारावास से दंडनीय होगी, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी।

(2) जो कोई भी, किसी भी तरह से, धारा 3 के तहत गैरकानूनी घोषित किसी भी संघ की किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में सहायता करता है।

जिस अधिसूचना द्वारा इसे इस प्रकार घोषित किया गया है, वह उस धारा की उप-धारा (3) के तहत प्रभावी हो गई है, वह दंडनीय होगी -

पाँच साल तक की अवधि के लिए कारावास, या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(3) इस धारा की कोई बात भारत सरकार और भारत सरकार के बीच की गई किसी संधि, समझौते या समझौते पर लागू नहीं होगी।

किसी अन्य देश की सरकार या उसके लिए सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी बातचीत के लिए

भारत से।

38. आतंकवादी की सदस्यता से संबंधित अपराध

संगठन। — (1) एक व्यक्ति, जो खुद को किसी आतंकवादी संगठन के साथ जोड़ता है, या जुड़ने का दावा करता है।

अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए, एक आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध करता है: बशर्ते कि यह उप-धारा वहां लागू नहीं होगी जहां आरोपित व्यक्ति साबित करने में सक्षम है

(क) कि संगठन को उस समय आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित नहीं किया गया था जब वह सदस्य बना था या दावा करने लगा था

सदस्य बनें; और

(ख) कि उसने आतंकवादी के रूप में [पहली अनुसूची] में शामिल होने के दौरान किसी भी समय संगठन की गतिविधियों में भाग नहीं लिया है।

संगठन।

(2) एक व्यक्ति, जो संबंधित अपराध करता है

उप-धारा (1) के तहत आतंकवादी संगठन की सदस्यता दस वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।

39. आतंकवादी को दिए गए समर्थन से संबंधित अपराध

संगठन। — (1) एक व्यक्ति एक आतंकवादी संगठन को दिए गए समर्थन से संबंधित अपराध करता है,

(क) जो किसी आतंकवादी की गतिविधि को आगे बढ़ाने के इरादे से

संगठन,

((i)

आतंकवादी संगठन के लिए समर्थन आमंत्रित करता है, और

((ख)

सहायता धन प्रदान करने तक सीमित नहीं है या नहीं है या धारा 40 के अर्थ के भीतर अन्य संपत्ति; या

(ख) जो किसी आतंकवादी संगठन की गतिविधि को आगे बढ़ाने के इरादे से व्यवस्था करता है, प्रबंधन करता है या व्यवस्था करने में सहायता करता है या

एक बैठक का प्रबंधन करना जो, वह जानता है,

((i)

आतंकवादी संगठन का समर्थन करना, या

((ii) आतंकवादी संगठन की गतिविधि को आगे बढ़ाना, या ए. आर. यू. पी. भुवन बनाम।

असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

((iii) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा संबोधित किया जाना जो सहयोगी या होने का दावा करता है -

आतंकवादी संगठन से जुड़ा हो; या
जो, एक आतंकवादी की गतिविधि को आगे बढ़ाने के इरादे से

((ग)

संगठन, आतंकवादी संगठन के लिए समर्थन को प्रोत्साहित करने या आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक बैठक को संबोधित करता है

उसकी गतिविधि।

(2) एक व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के तहत एक आतंकवादी संगठन को दिए गए समर्थन से संबंधित अपराध करता है,
दस वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से दंडनीय,

या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ।

इस प्रकार, अनुच्छेद 19 (1) (ए) (बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 19 (1) (सी) (गठन का अधिकार) के तहत गारंटीकृत अधिकार।

संघ या संघ) पूर्ण अधिकार नहीं हैं, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (2) और 19 (4) के अनुसार उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं। संविधान (सोलहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1963 के माध्यम से अनुच्छेद 19 (2) (3) और (4) में संशोधन किया गया है और "संप्रभुता और संप्रभुता" शब्द का प्रयोग किया गया है।

भारत की अखंडता को शामिल किया गया है। इसलिए, अनुच्छेद 19 (2) (3) और (4) के अनुसार अनुच्छेद 19 के खंड 1 के खंड (ए), (बी) और (सी) में कुछ भी नहीं होगा। किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित करता है या राज्य को कोई कानून बनाने से रोकता है जहां तक कि ऐसी कानून पर उचित प्रतिबंध लगाता है

भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा के हित में उक्त उपखंडों द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग। अनुच्छेद 19 (4) के अनुसार उपखंड (सी) (संघ या संघ बनाने का अधिकार) में कुछ भी किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा जहां तक वह

भारत की संप्रभुता और अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में राज्य को कोई कानून लागू करने से रोकता है या रोकता है या

नैतिकता, उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध। इस स्तर पर अनुच्छेद 19 (2) (3) और (4) में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण को संदर्भित करने और उन पर विचार करने की आवश्यकता है।

संविधान (सोलहवाँ संशोधन) विधेयक, 1963, जिसे संविधान (सोलहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1963 के रूप में अधिनियमित किया गया था, के उद्देश्यों और कारणों के विवरण इस प्रकार हैं:

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रवाद समिति ने सिफारिश की कि संविधान के अनुच्छेद 19 में इस तरह से संशोधन किया जाए कि पर्याप्त शक्तियां [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संघ की अखंडता और संप्रभुता के संरक्षण और रखरखाव के लिए उपलब्ध होना। समिति का आगे यह विचार था कि राज्य की सदस्यता के लिए प्रत्येक उम्मीदवार

विधानमंडल या संसद, और सार्वजनिक पद के प्रत्येक आकांक्षी और पदधारी को संविधान को बनाए रखने और संघ की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ के रूपों को इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। संविधान के खंड (2), (3) और (4) में संशोधन करके इन सिफारिशों को प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है।

राज्य को लागू करने वाला कोई भी कानून बनाने में सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 19

भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में उस अनुच्छेद के खंड (1) के उपखंड (ए), (बी) और (सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध।

14.2 यू. ए. पी. ए., 1967 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (2) और (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अनुच्छेद 19 (1) के तहत संघ बनाने की स्वतंत्रता के अपवादों को अनुच्छेद 19 (4) के तहत भारत की संप्रभुता और अखंडता के रूप में शामिल किया गया था, जब राष्ट्रीय एकता परिषद (एन. आई. सी.) ने राष्ट्रीय एकता पर एक समिति नियुक्त की थी और क्षेत्रीयकरण। उक्त समिति को भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में उचित प्रतिबंध लगाने के पहलू पर गौर करना था। उक्त समिति की सिफारिशों की स्वीकृति के अनुसरण में, संविधान (सोलहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1963 भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में कानून द्वारा उचित प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियमित किया गया। 1963 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए संसद में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) विधेयक पेश किया गया था। यू. ए. पी. ए. का मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियां उपलब्ध कराना है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि

संविधान (सोलहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1963 को अधिनियमित किया गया था, यू. ए. पी. ए. को अधिनियमित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय एकता परिषद ने राष्ट्रीय एकता पर एक समिति नियुक्त की और क्षेत्रीयकरण, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों में उचित प्रतिबंध लगाने के पहलू पर गौर करने के लिए और उसके बाद यू. ए. पी. ए. लागू किया गया है। इसलिए, यू. ए. पी. ए. को भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ प्रत्यक्ष गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियां उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है।

अरुण भुवन बनाम। असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

14.3 आइए अब हम यू. ए. पी. ए., 1967 की प्रस्तावना पर विचार करें। प्रस्तावना के अनुसार, व्यक्तियों और संघों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम के लिए यू. ए. पी. ए. लागू किया गया है।

और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और उनसे जुड़े मामलों के लिए। इसलिए यू. ए. पी. ए. के अधिनियमन का उद्देश्य और उद्देश्य कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम प्रदान करना भी है। यही कारण है कि कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम के उक्त उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसद ने अपने विवेक से यह प्रावधान किया है कि जहां किसी संगठन को धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा गैरकानूनी घोषित किया जाता है, वहां एक व्यक्ति, जो ऐसे संघ का सदस्य है और बना रहेगा, वह 2 साल तक की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। इसलिए, संसद ने अपने विवेक में यह उचित समझा था कि एक बार किसी संगठन को धारा 3 के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद और न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदन के अधीन गैरकानूनी घोषित किया जाता है, फिर भी एक व्यक्ति

ऐसे संघ का सदस्य बना रहना दंडनीय है /

दंडित किया।

14.4 इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित करने से पहले, अधिनियम की धारा 3 के तहत आवश्यक प्रक्रिया

अधिनियम का पालन/पालन किया जाना आवश्यक है। धारा 3 (1) के अनुसार यदि केंद्र सरकार की राय है कि कोई संघ गैरकानूनी संघ है या बन गया है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे संघ को गैरकानूनी घोषित कर सकती है। धारा 3 (2) के अनुसार ऐसी प्रत्येक अधिसूचना उन आधारों को निर्दिष्ट करेगी जिन पर इसे जारी किया गया है और ऐसे अन्य विवरण जिन्हें केंद्र सरकार आवश्यक समझे, केंद्र सरकार के किसी भी ऐसे तथ्य का खुलासा नहीं करने के अधिकार के अधीन होगी जिसे वह सार्वजनिक हित के खिलाफ मानता है। धारा 3 (3) में प्रावधान है कि ऐसी कोई भी अधिसूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि न्यायाधिकरण

धारा 4 के तहत दिए गए आदेश ने उसमें की गई घोषणा की पुष्टि की और आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। यह शक्ति भी प्रदान करता है

केंद्र सरकार किसी संगठन को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी घोषित करेगी यदि केंद्र सरकार की राय है कि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो किसी संगठन को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी घोषित करना आवश्यक बनाती हैं, हालांकि लिखित रूप में बताए जाने वाले कारणों के अधीन और धारा 4 के तहत किए जाने वाले किसी भी आदेश के अधीन। धारा 4 के अनुसार ऐसी प्रत्येक अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन के अलावा उस राज्य में प्रसारित होने वाले कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी जिसमें प्रधान कार्यालय, यदि [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रभावित संघ का कोई भी सदस्य स्थित है और उसे इस तरह से सेवा प्रदान की जाएगी जैसे केंद्र सरकार उचित समझे। धारा 4 के अनुसार जहां धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत जारी अधिसूचना द्वारा किसी भी संगठन को गैरकानूनी घोषित किया गया है, केंद्र सरकार से अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अधिसूचना को न्यायाधिकरण को यह निर्णय लेने के उद्देश्य से भेजना आवश्यक है कि घोषणा करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं।

इसके बाद न्यायाधिकरण से धारा 9 में निर्दिष्ट तरीके से और ऐसी आगे की जानकारी मांगने के बाद जांच करने की अपेक्षा की जाती है जो वह कर सके। केंद्र सरकार या संघ के किसी पदाधिकारी या सदस्य से आवश्यक समझते हुए, यह तय करेगा कि संघ को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं और जितनी जल्दी हो सके और किसी भी मामले में छह की अवधि के भीतर

14.5 इस प्रकार उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि किसी भी संगठन को गैरकानूनी घोषित करने से पहले एक विस्तृत प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होती है जिसमें व्यापक प्रचार और यहां तक कि ऐसे संघ के सदस्य को न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी शामिल है। जैसा कि देखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा किसी विशेष संगठन को गैरकानूनी घोषित करने वाली अधिसूचना के ऊपर, यह जांच के अधीन है और

धारा 4 के अनुसार न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदन। एक बार ऐसा करने के बाद और इसके बावजूद एक व्यक्ति जो इस तरह के गैरकानूनी संगठन का सदस्य है, जारी रखता है इस तरह के गैरकानूनी संगठन का सदस्य होने के कारण उसे परिणामों का सामना करना पड़ता है और वह दंडात्मक प्रावधानों के अधीन होता है जो नीचे दिए गए हैं।

धारा 10 विशेष रूप से यू. ए. पी. ए., 1967 की धारा 10 (ए) (आई)। 14.6 इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि केंद्र सरकार द्वारा किसी विशेष संगठन को गैरकानूनी घोषित करने के बाद ही उसे अवैध घोषित किया जाता है।

इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा संगठन गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त है और यह भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ है। गैरकानूनी गतिविधि 'को धारा 2 (0) के तहत परिभाषित किया गया है और' गैरकानूनी संगठन 'को धारा 2 (पी) के तहत परिभाषित किया गया है। इस प्रकार, इसके बाद किसी व्यक्ति को जो इस तरह के गैरकानूनी संगठन का सदस्य है, यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि फिर भी वह इस तरह के गैरकानूनी ए. आर. यू. पी. भूषण से जुड़ा रह सकता है और/या उसका सदस्य बना रह सकता है।

असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

इस तरह के संगठन के बावजूद संगठन को उसकी गैरकानूनी गतिविधियों के आधार पर गैरकानूनी घोषित किया जाता है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों के खिलाफ पाया जाता है। दोहराव की कीमत पर, यह देखा गया है कि यू. ए. पी. ए. के अधिनियमन का उद्देश्य और उद्देश्य कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम प्रदान करना है। ऐसे व्यक्ति को दंडित करना जिसे इस तरह के गैरकानूनी संगठन के सदस्य के रूप में जारी रखा गया है

जिसे गैरकानूनी गतिविधियों के कारण गैरकानूनी घोषित किया जाता है, उसे गैरकानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम के प्रावधान को आगे बढ़ाने के लिए कहा जा सकता है। इसलिए, ऐसी धारा 10 (ए) (आई) जो प्रदान करती है कि जहां एक

संघ को धारा 3 के तहत जारी एक अधिसूचना द्वारा गैरकानूनी घोषित किया जाता है जो उस धारा की उप-धारा 3 के तहत प्रभावी हो गया है।

जो ऐसे संघ का सदस्य है और बना रहेगा, वह 2 साल तक की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (2) और (4) के अनुरूप कहा जा सकता है और इसे उस उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कहा जा सकता है जिसके लिए यू. ए. पी. ए. बनाया गया है।

अधिनियमित किया। 15. अब जहाँ तक श्री पारिख के प्रस्तुत करने की बात है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने पुरुषों के अधिकार तत्व और उस पर रखी गई निर्भरता पर

पुरुषों पर और उनकी प्रस्तुतियों के समर्थन में यहाँ ऊपर संदर्भित निर्णय कि केवल इस तरह के गैरकानूनी संगठन के व्यक्ति की सदस्यता ऐसे व्यक्ति को दंडित करने का आधार नहीं हो सकती है, जिनमें शामिल हैं -

केदार नाथ (ऊपर) के निर्णय और अन्य निर्णयों से संबंधित हैं,

अधिवक्ता का संबंध है, शुरुआत में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उक्त निर्णय संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 से पहले का था। केदार नाथ सिंह (ऊपर) को राष्ट्रीय परिषद की सिफारिश पर नियुक्त किया गया। एकीकरण परिषद, अनुच्छेद 19 (2) और 19 (4) जो अपवाद [2023] 8 एस. सी. आर. के रूप में कार्य करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्रमशः बोलने की स्वतंत्रता और संगठन की स्वतंत्रता के लिए, विशेष रूप से "संप्रभुता और संघ की स्वतंत्रता" के रूप में एक अपवाद को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है।

भारत की अखंडता "। इसलिए, यू. ए. पी. ए. के संदर्भ में अनुच्छेद 19 और 21 के अनुप्रयोग के रूप में किसी भी प्रश्न पर इसका एक सामग्री असर होगा। इस प्रकार, यू. ए. पी. ए. की व्याख्या इसके अनुरूप की जानी चाहिए

भारत का "अनुच्छेद 19 के अपवाद के रूप में। 16. अब जहाँ तक श्री पारिख द्वारा की गई प्रस्तुति की बात है, वरिष्ठ वकील ने धारा की अस्पष्टता और दुरुपयोग की संभावना पर कहा

10 (i) (क) का संबंध है, शुरुआत में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस न्यायालय के निर्णयों के आधार के अनुसार दुरुपयोग की केवल संभावना नहीं हो सकती है।

16.1 अब जहाँ तक धारा 10 (ए) (आई) की अस्पष्टता पर प्रस्तुत करने का संबंध है, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित किया जाता है। यू. ए. पी. ए., 1967 की धारा 3 और 4 के तहत सभी आवश्यकताओं का पालन करने के बाद, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। एक व्यक्ति जो इस तरह के गैरकानूनी संघ का सदस्य है, वह इस तरह के संघ की घोषणा को गैरकानूनी के रूप में जानता है और इसके बावजूद अगर वह अभी भी ऐसे गैरकानूनी संघ का सदस्य बना हुआ है जो गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त है और संघ की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम कर रहा है।

भारत में, उनका इरादा बहुत स्पष्ट है कि वह अभी भी ऐसे संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं जो 'गैरकानूनी गतिविधियों' में लिप्त है और भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। धारा 10 (1) (i) में उपयोग की गई भाषा और किसी भी संगठन को गैरकानूनी घोषित करने से पहले अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है।

साफ है। जैसा कि विद्वान वरिष्ठ वकील श्री संजय पारिख ने तर्क दिया है, इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। इसलिए, धारा 10 (ए) (आई) किसी भी अस्पष्टता और/या आधार पर अनुचित और/या असमान नहीं है।

17. अब जहाँ तक शीतलन प्रभाव सिद्धांत पर विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पारिख द्वारा प्रस्तुत किए जाने का संबंध है, यह आवश्यक है कि -

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह से जानता है कि एक संघ जिसका वह सदस्य है, उसकी गैरकानूनी गतिविधियों और ए. आर. यू. पी. भुवन बनाम की संप्रभुता और अखंडता के हितों के खिलाफ काम करने के कारण उसे गैरकानूनी संगठन घोषित किया जाता है।

असम राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

भारत और फिर भी वह इस तरह के गैरकानूनी संगठन का सदस्य बना हुआ है, जिसके बाद ऐसे व्यक्ति को डराने वाले प्रभाव पर समर्पण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। परिणाम अधिनियम के तहत ही प्रदान किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को यह समझाया जाता है और/या ज्ञात किया जाता है कि इस तरह के गैरकानूनी संगठन की सदस्यता जारी रखना ही एक अपराध है। इस तरह के ज्ञान के बावजूद वह तब भी जारी रहता है जब तक उसे विशेष रूप से दंडित किया जाता है।

धारा 10 (ए) (आई) असंवैधानिक है और इसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया है।

17.1 इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि धारा 10 (ए) (आई) के अनुसार किसी व्यक्ति को केवल इसलिए दंडित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह इस तरह के गैरकानूनी संगठन का सदस्य था। धारा 10 सहित भाषा बहुत अच्छी है।

महत्वपूर्ण है। यह प्रावधान करता है कि "जिसमें किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित किया जाता है"

धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा जो उस धारा की उप धारा 3 के तहत प्रभावी हो गई है। इसलिए, धारा 3 के तहत अधिसूचना उप-धारा 3 के तहत प्रभावी होने के बाद ही उस धारा का अंतिम भाग लागू होता है। धारा 10 (ए) (आई) की भाषा में भी बहुत सावधानी से कहा गया है कि "कौन इस तरह के संघ का सदस्य है और कौन बना रहेगा"।

इसलिए, सही व्याख्या पर, यदि कोई व्यक्ति सदस्य रहा है, लेकिन घोषणा के बाद भी सदस्य नहीं बना रहता है, तो यह धारा 10 की शरारत को आकर्षित नहीं करता है। इरादा यह प्रतीत होता है कि वह न केवल उस दिन सदस्य था जब संघ को गैरकानूनी घोषित किया गया था, बल्कि वह सदस्य बने रहें। इरादा बहुत स्पष्ट है कि न केवल पर

[illegible]

गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 और गैरकानूनी [2023] 8 एस. सी. आर. की धारा 10 (ए) (आई)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 किसी प्रतिबंधित संगठन की मात्र सदस्यता किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराएगी जब तक कि वह हिंसा का सहारा नहीं लेता है या लोगों को हिंसा के लिए उकसाता है और हिंसा का सहारा लेकर सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी या अव्यवस्था पैदा करने के उद्देश्य से कोई कार्य नहीं करता है और उक्त प्रावधानों को इस अर्थ में पढ़ा जाता है कि किसी प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता के अलावा एक स्पष्ट कार्य और/या आगे आपराधिक गतिविधियाँ होनी चाहिए।

और मेन्स रिया के तत्व को जोड़ना एक अच्छा नियम नहीं माना जाता है। यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि जब किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित किया जाता है

धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना जो उस धारा की उप धारा 3 से प्रभावी हो गई है, एक व्यक्ति जो ऐसे संघ का सदस्य है और बना हुआ है, वह दो साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित होने के लिए उत्तरदायी है, और यू. ए. पी. ए., 1967 की धारा 10 (ए) (आई) के तहत जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

संदर्भ का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है। नतीजतन, भारत संघ और असम राज्य द्वारा दायर समीक्षा आवेदनों की अनुमति दी जाती है। अब माननीय मुख्य न्यायाधीश से उचित आदेश प्राप्त करने के बाद ऐसे मामलों को लेने के लिए संबंधित पीठ के समक्ष मुख्य अपील/एसएलपी रखी जाए।

संजय करोल, जे।

सामग्री की तालिका *

इस न्यायालय को दिया गया संदर्भ।

2

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का सामान्य विकास। ... 4

विशेष रूप से, अनुच्छेद 19 (1) (सी) का विकास

... 11

भारतीय और अमेरिकी संविधान के बीच अंतर।

... 14

उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की पृष्ठभूमि, महत्व और प्रासंगिकता

संयुक्त राज्य अमेरिका ने अरूप भुइयां पर भरोसा किया।

..... 23

उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की पृष्ठभूमि, महत्व और प्रासंगिकता
संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंदर दास पर भरोसा किया

..... 28

निष्कर्ष।

... 36

* एड। ध्यान दें: विषय-सूची में पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

अरुण भुवन बनाम। असम राज्य और ए. एन. आर. [संजय करोल, जे।]

मैंने अपने सम्मानित द्वारा प्रस्तावित विद्वतापूर्ण राय का अध्ययन किया है।

लीग माननीय एम. आर. शाह, जे., जिनसे मैं सहमत हूँ। भारत में इस मुद्दे पर कानून के विकास और संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका में न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का पता लगाना मेरा प्रयास है। मेरे निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

इस न्यायालय को दिया गया संदर्भ

1. वर्तमान पुनरीक्षण याचिका इस न्यायालय के आदेश से उत्पन्न होती है।

अरुण भुयान बनाम में टेड 26.08.2014। असम राज्य 1 (इसके बाद संदर्भ आदेश के रूप में संदर्भित)। आदेश के सक्रिय भाग को इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया है देर:

" 10. श्री रंजीत कुमार द्वारा प्रस्तुत मामले का सार, भारत संघ के लिए विद्वान सॉलिसिटर जनरल, यह है कि जब कोई

संसदीय विधान में प्रावधान पढ़ा जाता है, अनुपस्थिति में

भारत संघ के लिए भारी नुकसान होने की संभावना है कई मामलों में राज्य के हित के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं

भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए तैयार किया गया।

11. विद्वान महान्यायवादी तर्क देंगे कि

अधिकारी जिन पर दोनों में भरोसा किया गया है

निर्णय [अरुण भुयान बनाम। असम राज्य, (2011) 3 एससीसी

377 : (2011) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 855], [इंद्र दास बनाम। असम राज्य,

(2011) 3 एससीसी 380: (2011) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1150] दोनों द्वारा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 से। उन्होंने उल्लेख किया है संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) और 19 (4)। अनुच्छेद 19 (1) (सी) इस प्रकार है:

" 19. (1) (ग) संघों या संघों का गठन करना।
उक्त अनुच्छेद को अनुच्छेद 19 (4) द्वारा और प्रतिबंधित किया गया है जो इस प्रकार है:

" 19. (4) उक्त खंड के उपखंड (ग) की कोई भी बात किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, जहां तक वह भारत की संप्रभुता और अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हित में, प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य को कोई कानून बनाने से रोकती है।
उक्त उपखंड द्वारा "

2015) 12 एससीसी 702 [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसी पर भरोसा करते हुए विद्वान सॉलिसिटर द्वारा इस पर प्रकाश डाला गया है

सामान्य रूप से यह कि न्यायालय ने विदेशी प्राधिकरणों पर भारी निर्भरता रखते हुए इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा है जो मौलिक रूप से उन प्रावधानों की व्याख्यात्मक प्रक्रिया पर लागू नहीं होते हैं जो

के प्रावधानों के अनुरूप अधिनियमित किया गया है

भारत का संविधान।

2. इसलिए, जो मुद्दा विचार के लिए उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या अरूप भुइयां बनाम में माननीय खंड पीठा असम राज्य 2 और श्री इंद्र दास बनाम में इसी तरह। असम राज्य 3 (दो-न्यायाधीश पीठ) (जिसे बाद में 'अरूप भुइयां' और 'इंद्र दास' के रूप में संदर्भित किया जाता है) अमेरिकी निर्णयों पर भरोसा रखने में सही था जिसमें कहा गया था कि निर्णय भारत पर भी लागू होते हैं, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार हैं

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, 1987/एस. 10 भयानक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (जिसे इसके बाद ए के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा (5) को पढ़ने के लिए अमेरिकी संविधान में अधिकार विधेयक के समान? 4

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का सामान्य विकास

संविधान

3. शुरुआत में, संविधान के अनुच्छेद 19 को पुनः प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है:

" 19 (1) सभी नागरिकों को अधिकार होगा -

(क) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता;

(ख) शांतिपूर्ण ढंग से और बिना हथियारों के इकट्ठा होना;

(ग) संघों या संघों का गठन करना;

(घ) भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना;
रहना और बसना;

((ङ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में

-) 3 एससीसी 377

-) 3 एससीसी 380

भुयान, अनुच्छेद 12।

अरुप भुवन बनाम। असम राज्य और ए. एन. आर. [संजय करोल, जे।]

(छ) किसी भी पेशे का अभ्यास करना, या किसी भी व्यवसाय, व्यापार को जारी रखना।

या व्यापार।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) की कोई भी बात किसी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी। जहाँ तक ऐसी विधि भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाती है, या

न्यायालय की अवमानना, मानहानि या उकसाने के संबंध में

अपराध।

(3)

उक्त खंड के उपखंड (बी) में कुछ भी किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा जहाँ तक वह लागू करता है, या

भारत की संप्रभुता और अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था, उचित उक्त द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर प्रतिबंध

उपखंड।

(4) उक्त खंड के उपखंड (ग) में कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा

किसी भी मौजूदा कानून का संचालन जहाँ तक वह लागू करता है, या

राज्य के हित में कोई भी कानून बनाने से

भारत की संप्रभुता और अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता,

द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध

कथित उपखंड '।

4. भारतीय संविधान के अधिनियमन के समय, जैसे -

भारत संघ द्वारा प्रस्तुत, अनुच्छेद 19 में 'उचित प्रतिबंध' शामिल नहीं थे। अनुच्छेद 19 (2) के भीतर 'उचित प्रतिबंध' शब्द संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा पेश किए गए थे, जिसमें अपने उद्देश्य और कारणों में कहा गया था कि संविधान के काम करने के पहले पंद्रह महीनों के भीतर कुछ कठिनाइयों का अनुभव किया गया था, विशेष रूप से, मौलिक अधिकारों पर अध्याय के संबंध में और उन मुद्दों को संबोधित करने के लिए राज्य को आम जनता के हित में उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया था।

5. इसके बाद संविधान (सोलहवाँ) आया।

संशोधन अधिनियम, 1963, जिसमें राज्य को अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार था, विशेष रूप से भारत की "संप्रभुता" और "अखंडता" के हितों की रक्षा के आधार पर। अपने उद्देश्य और कारणों में, यह कहा गया था कि यह संशोधन राष्ट्रीय समिति [2023] 8 एस. सी. आर. की सिफारिश पर है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा नियुक्त राज्य और क्षेत्रवाद

राज्य की अखंडता और संप्रभुता का आरक्षण और रखरखाव भारत का एन।

6. अनुच्छेद 19 की व्याख्या और उचित प्रावधानों का प्रयोग

इस न्यायालय द्वारा धरम दत्त मामले में उसमें दिए गए उद्धरणों का सारांश दिया गया है।

भारत सरकार 3 (दो-न्यायाधीश पीठ) निम्नलिखित शब्दों में:

" 35. अनुच्छेद 19 की योजना से पता चलता है कि अधिकारों का एक समूह है

खंड (ए) से (जी) के रूप में सूचीबद्ध हैं और मौलिक के रूप में मान्यता प्राप्त हैं

नागरिकों को दिए गए अधिकार। सभी अधिकार एक समान अधिकार पर नहीं खड़े होते हैं। आधार
पर लेकिन अलग-अलग आयाम और अंतर्निहित दर्शन हैं।

यह अनुच्छेद 19 के खंड (2) से (6) के मसौदे से स्पष्ट है।

संविधान के निर्माता एक सामान्य मसौदा बना सकते थे

जिन प्रतिबंधों को लागू करने की अनुमति थी खंड (1) में सूचीबद्ध मौलिक अधिकारों का
संचालन, लेकिन

नहीं किया गया है। आम धागा जो चारों ओर चलता है

खंड (2) से खंड (6) यह है कि किसी मौजूदा कानून का संचालन या

राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि अधिनियमित करना जो उचित हो। कुछ वस्तुओं को प्राप्त करने के
लिए प्रतिबंध, सहेजा जाता है; हालाँकि, गुणवत्ता

और ऐसे कानून की सामग्री प्रत्येक के संदर्भ में अलग-अलग होगी।

अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (ए) से (जी) तक जो हो सके

यहाँ नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

अनुच्छेद 19

खंड (2) से (6)

खंड (1)

अधिकार की प्रकृति

अनुमत प्रतिबंध

में उचित प्रतिबंध

के हित

((a) बोलने की स्वतंत्रता

((i) संप्रभुता और अखंडता

और अभिव्यक्ति

भारत की सुरक्षा (ii)

राज्य (iii) के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध

विदेशी राज्य (iv) सार्वजनिक व्यवस्था,

शालीनता या नैतिकता (v)

न्यायालय की अवमानना के संबंध में,

4) 1 एस. सी. सी. 712 अरुण भुवन बनाम। असम राज्य और ए. एन. आर. [संजय करोल, जे।]

मानहानि या उकसाना

अपराध

(ख) इकट्ठा होने का अधिकार

((i) संप्रभुता और अखंडता

शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के

भारत का

((ii) सार्वजनिक व्यवस्था

((C) संघ बनाने का अधिकार

((i) संप्रभुता और अखंडता

या संघों

भारत का

((ii) सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता

((घ) और (ङ) अधिकार

((i) आम जनता (ii)

स्वतंत्र रूप से घूमना और/या रहना

के हितों की रक्षा

और सब जगह बस जाते हैं

अनुसूचित जनजातियाँ

भारत का क्षेत्र

(छ) किसी भी अभ्यास का अधिकार

आम जनता और

विशेष रूप से संबंधित कोई कानून

पेशा, या रखने के लिए

((i) पेशेवर या तकनीकी

किसी भी व्यवसाय, व्यापार पर

के लिए आवश्यक योग्यताएँ

या व्यापार

किसी भी पेशे का अभ्यास या

किसी भी व्यवसाय को जारी रखना,

व्यापार या व्यवसाय (ii)

राज्य द्वारा चलाना, या द्वारा

स्वामित्व वाला निगम या

राज्य द्वारा नियंत्रित, किसी भी

व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या

सेवा, चाहे

का पूर्ण या आंशिक अपवर्जन

नागरिक या अन्यथा।

किसी भी व्यक्ति द्वारा दावा किया गया जो भारत का नागरिक नहीं है और नहीं हो सकता है। एक वैधानिक अधिकार-जो एक मौलिक अधिकार से अलग है। व्यक्तियों या नागरिकों को प्रदान किया जाना कानून द्वारा वंचित या छीन लिए जाने में सक्षम है। मौलिक अधिकारों को किसी भी कानून द्वारा नहीं खोया जा सकता है; एक कानून केवल उचित लागू कर सकता है।

अधिकार के प्रयोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 19 के खंड (1) में गिने गए कई अधिकारों में से, उपखंड (ए) का अधिकार केवल बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता का अधिकार (2023) है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भाषण और अभिव्यक्ति। अन्य अधिकारों की गणना नहीं है

स्वतंत्रता के संदर्भ में। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के शब्दों में

डब्ल्यू. बी. बनाम राज्य में पतंजलि शास्त्री। सुबोध गोपाल बोस [आकाशवाणी]

1954 एससी 92: 1954 एस. सी. आर. 587] ये अधिकार महान और बुनियादी हैं।

प्राकृतिक अधिकारों के रूप में मान्यता प्राप्त और गारंटीकृत अधिकार,

एक स्वतंत्र देश के नागरिक की स्थिति में निहिता। फिर भी, वहाँ

प्रकृति में पूर्ण और संचालन में अनियंत्रित कोई भी स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। ताकि किसी भी प्रतिबंध से पूरी तरह से मुक्त अधिकार प्रदान किया जा सके वहाँ था।

कोई प्रतिबंध नहीं होने पर, अधिकार और स्वतंत्रताएँ बन सकती हैं

अराजकता और अव्यवस्था के पर्यायवाची शब्द। के संस्थापक पिता

इसलिए संविधान ने गणना किए गए अधिकारों की शर्त लगाई और

स्वतंत्रताएँ उचित रूप से और ऐसे उचित प्रतिबंध पाए जाते हैं।

अनुच्छेद 19 के खंड (2) से खंड (6) में गणना की जाएगी।

(जोर दिया गया)

7. लगाए गए प्रतिबंधों की तर्कसंगतता पर विचार करते हुए

अनुच्छेद 19 (2) से 19 (6), राज्य में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ
एड्वास बी। बी. जी. रो '(पाँच-न्यायाधीश पीठ) ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 22. इस अदालत के पास खरे मामले [एन. बी.] में अवसर था।

खरे बी. दिल्ली राज्य, 1950 एससीआर 519: 1950 एस. सी. सी. 522] परिभाषित करने के लिए

अनुच्छेद 19 के खंड (5) के तहत न्यायिक समीक्षा का दायरा

जहाँ वाक्यांश "अभ्यास पर उचित प्रतिबंध लगाना"

अधिकार का अधिकार भी होता है, और पाँच में से चार न्यायाधीश भाग लेते हैं

निर्णय में विचार व्यक्त किया गया (दूसरे न्यायाधीश ने छोड़ दिया

प्रश्न खुला) कि मूल और प्रक्रियात्मक दोनों पहलू

तर्कसंगतता के दृष्टिकोण से; अर्थात्, न्यायालय को विचार करना चाहिए।
विस्तार जैसे कारक

न केवल अवधि और

प्रतिबंध, लेकिन वे परिस्थितियाँ भी जिनके तहत और तरीका

जिसमें उन्हें लागू करने का अधिकार दिया गया है।

23. इस संदर्भ में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परीक्षण

जहां भी निर्धारित किया जाए, वहां प्रत्येक पर तर्कसंगतता लागू की जानी चाहिए।
क्रानून आक्षेपित है, और कोई अमूर्त मानक या सामान्य नहीं है

व्यक्तिगत

तर्कसंगतता के स्वरूप को सभी के लिए लागू किया जा सकता है

मामले। कथित रूप से उल्लंघन किए गए अधिकार की प्रकृति,

लगाए गए प्रतिबंधों का अंतर्निहित उद्देश्य, सीमा और
ठीक करने की मांग की गई, अनुपातहीनता

बुराई की तात्कालिकता को इस तरह से

एस. सी. आर. 597 अरुण भुवन बनाम। असम राज्य और ए. एन. आर. [संजय करोल, जे।]

अधिरोपण की, उस समय की प्रचलित शर्तें, सभी होनी चाहिए
न्यायिक निर्णय में प्रवेश करें।

(जोर दिया गया)

8. इसके अलावा, अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों का होना आवश्यक है।

प्रतिबंधों के अनुमत शीर्षों में से एक के तहत होना चाहिए और एक होना चाहिए इसके निकटवर्ती
लिंक। [देखिए: बिहार राज्य बनाम। शैलबाला देवी '(पाँच)

न्यायाधीश पीठ); ओ. के. घोष और अन्ना वी. ई. एक्स. जोसेफ 3 (पाँच-न्यायाधीश) बेंच)
और श्रेया सिंघल बनाम। भारत संघ '(दो-न्यायाधीश पीठ)]

9. अनुच्छेद 19 के इस विकास को एक द्वारा समाहित किया गया है

कौशल किशोर बनाम मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ। यू. पी. राज्य और Ors.¹⁰ 10 (पाँच-
न्यायाधीश पीठ)। न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने दोहराया है

कि अनुच्छेद 19 (2) के तहत प्रतिबंधों को विस्तृत विवरण के बाद शामिल किया गया है

विचार-विमर्श। इसके अलावा, संविधान में संशोधन के बाद कि

ऊपर जिन प्रतिबंधों पर चर्चा की गई है, वे "राज्य को बचाते हैं और सक्षम बनाते हैं" जो गणना किए गए
शीर्षों के तहत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले कानून बनाते हैं।

जैसे, भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और

अपराध के लिए उकसाना। 1 1

विशेष रूप से, अनुच्छेद 19 (1) (सी) का विकास

10. अनुच्छेद 19 (1) (सी) सभी नागरिकों को गठन के अधिकार की गारंटी देता है।

ऐसे संघ जो अनुच्छेद के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं

19 (4) . ये उचित प्रतिबंध गठन तक सीमित नहीं हैं

संघ लेकिन संबंधित संघ के प्रभावी कामकाज तक विस्तारित

वैध उद्देश्यों के लिए। [ए. पी. डेयरी विकास निगम। फेडरेशन वी। बी. नरसिम्हा रेड्डी 1 2 (दो-
न्यायाधीश पीठ)]

11. रघुबर दयाल जय में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

प्रकाश वी. भारत संघ 1 3 (पाँच-न्यायाधीश पीठ) ने विशिष्ट संदर्भ दिया

कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के लिए, अनुच्छेद 19 (1) (सी) की तुलना में और अवलोकन किया गया

निम्नानुसार:

1 ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 329 8 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 812 9 (2015) 5 एस. सी. सी. 1 10 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन 6 "पैराग्राफ 29-31।

12 2 (2011) 9 एस. सी. सी. 286 13 एआईआर 1962 एस. सी. 263 [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 11. संघ की मान्यता के लिए आवेदन

अधिनियम के तहत काम करने का उद्देश्य एक स्वैच्छिक कार्य है

संघ का हिस्सा और यदि कानून शर्तें लगाता है

जिसके अधीन अकेले मान्यता दी जा सकती है या जारी रखी जा सकती है, यह देखना थोड़ा मुश्किल है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता कैसे मिलती है

जब तक, निश्चित रूप से, उस स्वतंत्रता का तात्पर्य या समावेश नहीं है

मान्यता के अधिकार की भी गारंटी। "

12. इसके अलावा, यह न्यायालय, संवैधानिक पर विचार करते हुए

धरम दत्त (ऊपर) में भारतीय विश्व मामलों की परिषद अध्यादेश 2001 की वैधता ने तय कानूनी स्थिति का पता लगाते हुए दोहराया कि अनुच्छेद 19 (1) (सी) द्वारा प्रदत्त अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह देखा गया कि इस अधिकार को उन प्रतिबंधों के अधीन किया जा सकता है जो संविधान के अनुच्छेद 19 (4) की कसौटी को पूरा करते हैं।

13. जमात-ए में यू. ए. पी. ए. से जुड़े एक मामले का फैसला करते हुए

इस्लामी हिंद बनाम। भारत संघ 1 4 (तीन-न्यायाधीश पीठ), के संबंध में

अनुच्छेद 19 (4) के तहत ऐसे अधिकार पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताओं को भी निम्नानुसार देखा गया:

" 20. इस अधिनियम के तहत योजना के निर्णय की आवश्यकता है

इस तरह से विवाद यह निहित करता है कि न्यूनतम

प्राकृतिक न्याय की आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए,

न्यायनिर्णयन सार्थक। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राकृतिक आवश्यकता

इस तरह के मामले में न्याय जनता की सुरक्षा के अनुरूप होना चाहिए।

ब्याज जो हमेशा हर कम ब्याज से अधिक होना चाहिए। यह

इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि उप-धारा (2) का परंतुक अधिनियम की धारा 3 स्वयं केंद्र सरकार को अनुमति देती है कि

उन तथ्यों के प्रकटीकरण को रोकें जिन्हें वह खिलाफ मानता है सार्वजनिक हित का खुलासा करना। इसी तरह, नियम 3 (2) और परंतुक

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) नियम, 1968 के नियम 5

गोपनीय दस्तावेजों के गैर-प्रकटीकरण की भी अनुमति दें और ऐसी जानकारी जिसे सरकार जनता के खिलाफ मानती है

प्रकट करने की रुचि "।

" 26. अनुच्छेद 19 (4) द्वारा संरक्षित एक अधिकृत प्रतिबंध

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता

तर्कसंगत होने के लिए "।

(जोर दिया

गया)

1 4 (1995) 1 एस. सी. सी. 428 ए. आर. यू. पी. भुवन बनाम।

असम राज्य और ए. एन. आर. [संजय करोल, जे।]

भारतीय और अमेरिकी संविधान के बीच अंतर

14. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अब कोई अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन पर विचार करने के लिए आगे बढ़ता है जिसे इस प्रकार निकाला गया है - इसके अंतर्गत:

" कांग्रेस धर्म की स्थापना के संबंध में कोई कानून नहीं बनाएगी, या उसके स्वतंत्र अभ्यास को प्रतिबंधित करेगी; या भाषण की स्वतंत्रता, या प्रेस की स्वतंत्रता को कम करेगी; या लोगों के शांतिपूर्ण रूप से इकट्ठा होने के अधिकार, और सरकार को इसके निवारण के लिए याचिका दायर करेगी। शिकायतें '।

15. अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा बनाए गए अधिकारों के बीच विरोधाभास।

संविधान राज्य को भारत में ऐसी स्वतंत्रताओं को यथोचित रूप से प्रतिबंधित करने वाले कानून बनाने की शक्ति देता है। इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका में, उदाहरणों में न्यायपालिका द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसा कि अरूप भुइयां और इंद्र दास में भरोसा किया गया है, हालाँकि विधानमंडल के पास ऐसी कोई स्पष्ट शक्ति उपलब्ध नहीं है।

16. इस न्यायालय द्वारा भी इस भेद को स्पष्ट किया गया है। बाबूलाल पराटे बनाम। महाराष्ट्र राज्य 1.5, जैसा कि संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया है

17. बाबूलाल पराटे (ऊपर) में उपरोक्त भेद की पुष्टि एक अन्य संविधान पीठ ने मधु लिमये बनाम में की थी। उप-मंडल मजिस्ट्रेट 1 6 (सात-न्यायाधीशों की पीठ), जिसमें इस न्यायालय ने आईडी 2 की संवैधानिकता और लगाए जा सकने वाले प्रतिबंधों के दायरे पर विचार करते हुए कहा कि अमेरिका में प्रथम संशोधन स्वतंत्रता की कोई योग्यता नहीं है, जैसा कि भारत में है और अमेरिकी निर्णय हमारे संविधान में गलत तरीके से लागू होने के लिए उपयुक्त हैं। 17

1 5 (1961) 3 एससीआर 423

16 (1970) 3 एस. सी. सी. 746

17 पैराग्राफ 17 और 28।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18. इसके अलावा, इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्रों (बॉम्बे) में

प्रा. लिमिटेड और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य 1 8 (तीन-न्यायाधीश)

बेंच), ई. एस. वेंकटरमैया जे. की कलम के माध्यम से, (जैसा कि उनका लॉर्डशिप तब था), ने कहा कि:

" 44. एक कानून की संवैधानिकता की जांच करते समय जो कथित है - संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन करते हुए, हम इसमें कोई संदेह नहीं है,

संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से निर्देशित किया जाए

अमेरिका के राज्य। लेकिन मूल सिद्धांतों को समझने के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसकी आवश्यकता

जो निरपेक्ष रूप से है। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत अधिकारों को अनुच्छेद 19 के खंड (2) और (6) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो निम्नलिखित के संबंध में क्षेत्रों को तैयार करते हैं - कौन सा वैध कानून बनाया जा सकता है।

19. भारत संघ में v. नवीन जिंदल और अन्य 1 9 (तीन)

अभिव्यक्ति, लेकिन अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत, कोई पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। यह केवल एक योग्य अधिकार प्रदान करता है, जो अनुच्छेद 19.20 के खंड 2 में निहित नियामक उपायों के अधीन है, अमेरिकी संविधान में निहित अधिकारों के विधेयक और भारतीय संविधान में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के बीच इस अंतर को अधीक्षक, केंद्रीय कारागार v में भी नोट किया गया था। डॉ. राम मनोहर लोहिया (पाँच-न्यायाधीश पीठ); पथुम्मा वी। केरल राज्य 2 (सात-न्यायाधीश पीठ); एम. सी. मेहता बनाम। भारत संघ 2,3 (श्रीराम-ओलियम गैस) (पाँच-न्यायाधीश पीठ); अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत संघ 2 4 (दो-न्यायाधीश पीठ) और जयेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम। महाराष्ट्र राज्य 25 (दो-न्यायाधीश पीठ)।

18 8 (1985) 1 एस. सी. सी. 641

9 (2004) 2 एस. सी. सी. 510

20 अनुच्छेद 77।

21 (1960) 2 एससीआर 821

22 (1978) 2 एससीसी 1

24 (2008) 6 एससीसी 1

25 (2009) 7 एस. सी. सी. 104 अरुण भुवन बनाम।

20. रामलीला मैदान घटना में, पुनः (2012) 5 एस. सी. सी. 1 (दो)

न्यायाधीश पीठ), जैसा कि भारत संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा करते हुए, श्रेक बनाम के अमेरिकी मामले को लागू करने से इनकार कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने स्पष्ट और वर्तमान खतरे के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि इसे भारत में आयात और लागू नहीं किया जा सकता है। 27 इसके अलावा, यह मानते हुए कि भारत में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन है और इसलिए, भारतीय और अमेरिकी कानूनों के तहत कानून की भाषा, इसके अनुप्रयोग और व्याख्या में एक स्पष्ट अंतर है। 28

21. श्रेया सिंघल (ऊपर), यह न्यायालय आर. एफ. के माध्यम से बोल रहा है।

नरीमन, जे. ने निम्नलिखित शब्दों में अनुच्छेद 19 (2) के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत यूएस फर्स्ट अमेंडमेंट और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बीच के अंतर पर प्रकाश डाला:

" 15. सबसे पहले इन दोनों के बीच के अंतर पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

यू. एस. प्रथम संशोधन और अनुच्छेद 19 (1) (ए) को अनुच्छेद 19 (2) के साथ पढ़ा गया। पहला महत्वपूर्ण अंतर यू. एस. फर्स्ट की निरपेक्षता है।

संशोधन कांग्रेस ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो

बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा, जबकि यू. एस. प्रथम संशोधन भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, बिना किसी के

"अभिव्यक्ति" के संदर्भ में, अनुच्छेद 19 (1) (ए) "प्रेस" के किसी भी संदर्भ के बिना बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। तीसरा, अमेरिकी संविधान के तहत, भाषण को संक्षिप्त किया जा सकता है, जबकि हमारे संविधान के तहत, उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। चौथा, हमारे संविधान के तहत ऐसे प्रतिबंध आठ निर्दिष्ट विषयों के हित में होने चाहिए-यानी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाला कोई भी कानून केवल तभी पारित हो सकता है जब वह अनुच्छेद 19 (2) में निर्धारित आठ विषयों में से किसी से निकटता से संबंधित हो। "

17. जहाँ तक दूसरे स्पष्ट अंतर का संबंध है,

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने "अभिव्यक्ति" को इसके हिस्से के रूप में शामिल किया है

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इस न्यायालय ने "प्रेस" को अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत शामिल किया है, ताकि न्यायिक व्याख्या के मामले में अमेरिका और भारत दोनों ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकें।

और अभिव्यक्ति के साथ-साथ प्रेस की स्वतंत्रता। जहाँ तक संक्षिप्त और उचित प्रतिबंधों का संबंध है, दोनों यू. एस. सुप्रीम

28 पैराग्राफ 9-11।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय और इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक प्रतिबंध उचित को संकीर्ण रूप से तैयार किया जाना चाहिए या संकीर्ण रूप से व्याख्या की जानी चाहिए केवल जो बिल्कुल आवश्यक है उसे कम करने या प्रतिबंधित करने के लिए। यह है।

केवल जब यह आठ विषय की बात आती है-मायने रखता है कि एक विशाल है

अंतर। अमेरिका में, यदि प्राप्त करने के लिए एक बाध्यकारी आवश्यकता है एक महत्वपूर्ण सरकारी या सामाजिक लक्ष्य, स्वतंत्रता को कम करने वाला कानून

बोलने की क्षमता अधिक हो सकती है। लेकिन भारत में ऐसा कानून पारित नहीं हो सकता है।

अगर यह आम जनता के हित में है तो इकट्ठा करें। इस तरह के कानून को

अनुच्छेद के तहत निर्धारित आठ विषयों में से किसी एक के अंतर्गत आने वाले मामले

19 (2) . यदि ऐसा नहीं है और यह अनुच्छेद 19 (2) के दायरे से बाहर है, तो भारतीय

अदालतें ऐसे कानून को रद्द कर देंगी।

18. अमेरिकी निर्णयों का विषय वस्तु पर बहुत प्रेरक मूल्य है।

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसके लिए निर्धारित परीक्षण

इसका उल्लंघन। यह केवल तब होता है जब सामान्य के अधीन होने की बात आती है

लोक हित कि एक भिन्नता की दुनिया है। ”

(जोर दिया

गया)

22. श्रेया सिंघल (ऊपर) में उपर्युक्त निर्णय है

इसके बाद हाल ही में कौशल किशोर (ऊपर) में न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना अनुच्छेद 19.2⁹ के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विश्लेषण करते हुए अपनी विद्वतापूर्ण सहमति वाली राय में

23. विभिन्न निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा उल्लिखित अंतर

अमेरिकी संविधान के बीच, विशेष रूप से उसमें प्रथम संशोधन और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लेख किया गया है।

24. हालाँकि, ऐसे मामले हैं जहाँ इस न्यायालय ने लिया है

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर विचार करना। उदाहरण के लिए, एक्सप्रेस में संविधान पीठ

समाचार पत्र (प्रा.) सीमित और एक अन्य वी। भारत संघ और अन्य 30 (पाँच-न्यायाधीश पीठ) जिसमें कामकाजी पत्रकारों (सेवा की शर्तें) और विविध प्रावधान अधिनियम की संवैधानिकता,

1955 प्रश्न में था।

न्यायमूर्ति एन. एच. भगवती ने न्यायालय के लिए लिखते हुए कहा कि तब से

हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (ए) अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन पर आधारित है, इसका उल्लेख करना "वैध और उचित" होगा।

29 पैराग्राफ 202 (iii) और 203।

30 (1959) एस. सी. आर. 12 अरुण भुवन बनाम.

असम राज्य और ए. एन. आर. [संजय करोल, जे।]

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय "इस अधिकार की वास्तविक प्रकृति, दायरे और विस्तार की सलाहना करने के लिए"। यह अवलोकन त्रावणकोर राज्य-कोचीन और अन्य बनाम में जारी चेतावनियों पर ध्यान देने के अलावा और इसके बावजूद आया है। बॉम्बे कंपनी लिमिटेड 3 1 31 (पाँच-न्यायाधीश पीठ) और बॉम्बे राज्य बनाम। आर. एम. डी. चमरबागवाला 3 2 (पाँच-न्यायाधीश पीठ)। हालाँकि, यह उस समय "संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस मौलिक अधिकार की प्रकृति, दायरे और विस्तार पर भारत में अधिकार की कमी" को विधिवत मान्यता देने के बाद किया गया था।

25. न्यायमूर्ति एन. एच. भगवती के इस अवलोकन का आगे रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम में पालन किया गया है। भारतीय के मालिक

एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स, बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड और Ors.³³ 33 (दो-न्यायाधीश पीठ) जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19 का प्रभाव सवाल में था। 34 न्यायालय नेब्रास्का प्रेस एसोसिएशन बनाम में यू. एस. और यू. के. के फैसलों का संदर्भ देते हुए। ह्यूग स्टुअर्ट 3 5, जॉन डी. पेनेकामो

बी. फ्लोरिडा राज्य 3 6 और अटॉर्नी जनरल बनाम। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन 3 ने माना कि इस निषेधाज्ञा को जारी रखने का कोई कारण नहीं है। 38

26. आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ 3 9 (पाँच-न्यायाधीशों की पीठ), एक संविधान पीठ, ने संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भरता रखी

मोरे बनाम में राज्यों के निर्णय। डाउड 40 और सेकी। कृषि बनाम। सेंट्रल रॉयंग रिफाइनिंग Co.⁴¹ ने यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायालयों को न्यायालयों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है

27. गनी बनाम में लॉर्ड डेनिंग द्वारा एक अवलोकन। जोन्स 43 को मेनका गांधी बनाम में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है। भारत संघ "(सात-न्यायाधीश) बेंच), यहाँ पुनः प्रस्तुत करने लायक है। इसमें लिखा है, "एक आदमी की स्वतंत्रता

31 1952 एससीआर 1112

34 अनुच्छेद 10. 35 427 यूएस 539

36 (1945) 90 एल एड 331

37 (1979) 3 सभी ईआर 45

38 पैराग्राफ 20-22,38। 39 (1981) 4 एस. सी. सी. 675

43 (1970) 1 क्यूबी 693 44 (1978) 1 एससीसी 248 [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इंग्लैंड के कानून द्वारा आंदोलन को इतना उच्च माना जाता है कि इसे निश्चित आधारों के अलावा बाधित या रोका नहीं जा सकता है। यह तब, बिना किसी संदेह के, संघ के वर्तमान मामले में स्वतंत्रता के प्रतिबंध के लिए एक निश्चित आधार है, यदि विधायिका, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, इस तरह के अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए उचित कारण पाती है, विशेष रूप से, प्रतिबंधित संगठनों के साथ।

28. निर्णयों की दोनों प्रकृति में तल्लीन होने का उद्देश्य, जहाँ

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया है और उन पर भरोसा नहीं किया गया है, यह प्रदर्शित करने के लिए है कि कुछ मामलों में उन निर्णयों का संदर्भ उचित है। हालाँकि, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के संदर्भ की हमारे अपने संवैधानिक, विधायी और साथ ही न्यायिक, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आलोक में सराहना की जानी चाहिए। वे, जैसा कि इस पीठ को संदर्भित अरूप भुइयाँ और इंद्र दास में किया गया था, निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एकमात्र आधार नहीं बना सकते हैं।

29. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, संदर्भ का उत्तर देने के लिए, दोनों निर्णयों में जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, उनकी सराहना करना आवश्यक है। अर्थात्, अरूप भुइयाँ और इंद्र दास। इन निर्णयों की सराहना करने के बाद ही हम प्रभावी ढंग से जांच कर सकते हैं, हमारे सामने परिदृश्य में उनके अनुप्रयोग की।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की पृष्ठभूमि, महत्व और प्रासंगिकता

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालय ने अरूप भुइयाँ पर भरोसा किया

30. अरूप भयान में, दो न्यायाधीशों की विद्वत पीठ ने एल्फब्रांड बनाम में अमेरिकी फैसलों पर भरोसा रखा। रसेल 45, क्लेरेंस ब्रांडेनबर्ग बनाम। ओहायो राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। यूजीन फ्रैंक रोबेल 1 7 जिसमें 'संघ द्वारा अपराधबोध' के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि उपर्युक्त निर्णय भारत पर भी लागू होते हैं, क्योंकि भारत में मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स के समान हैं। इसके अलावा, इस अदालत ने धारा 3 (5) टाडा के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को दरकिनार करते हुए कहा:

" 12. हमारी राय में, धारा 3 (5) को शाब्दिक रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है अन्यथा यह संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन करेगा। इसे ऊपर की गई हमारी टिप्पणियों के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए, केवल एक प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति नहीं बनाएगी।

45 384 अमेरिका 17 (1966)
258 (1967)

46 6395 अमेरिका 444 (1969) 47 389 अमेरिका

अरुप भुवन बनाम। असम राज्य और ए. एन. आर. [संजय करोल, जे।]

अपराधी जब तक वह हिंसा का सहारा नहीं लेता या लोगों को हिंसा के लिए नहीं उकसाता या हिंसा या हिंसा के लिए उकसाने से सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा नहीं करता।

32. एल्फब्रांड्ट (ऊपर) में, एरिजोना अधिनियम की संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया था जिसमें सभी राज्य कर्मचारियों को शपथ लेने की आवश्यकता थी। के तहत शपथ, एक कर्मचारी झूठी गवाही और पद से निर्वहन के लिए अभियोजन के अधीन है यदि वह "जानबूझकर और जानबूझकर एक कर्मचारी बन जाता है या बना रहता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी या उसके सदस्य उत्तराधिकारी या इसके किसी भी अधीनस्थ संगठन या "किसी अन्य संगठन" के "अपने किसी एक उद्देश्य" के लिए राज्य सरकार को उखाड़ फेंकना, जहां कर्मचारी को इस तरह के गैरकानूनी होने की जानकारी थी।

उद्देश्य। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जो लोग किसी संगठन में शामिल होते हैं लेकिन उसके गैरकानूनी उद्देश्यों को साझा नहीं करते हैं और जो इसकी गैरकानूनी गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं, वे निश्चित रूप से कोई खतरा पैदा नहीं करते हैं। यह अधिनियम पोषित स्वतंत्रता के लिए खतरा है

चौदहवें संशोधन के माध्यम से राज्यों पर लागू किए गए प्रथम संशोधन द्वारा संरक्षित संघ। 33. क्लेरेंस ब्रांडेनबर्ग बनाम। ओहायो राज्य ", अपीलार्थी को ओहायो आपराधिक संघवाद कानून के तहत दोषी ठहराया गया था:

(i) 'औद्योगिक या राजनीतिक सुधार को पूरा करने के साधन के रूप में अपराध, तोड़फोड़, हिंसा या आतंकवाद के गैरकानूनी तरीकों के कर्तव्य, आवश्यकता या औचित्य की वकालत करना' और (ii) किसी भी समाज, समूह के साथ स्वेच्छा से इकट्ठा होने के लिए, या

सिखाने या वकालत करने के लिए गठित व्यक्तियों की सभा

आपराधिक संघवाद के सिद्धांत '।

48 (2011) 1 एस. सी. सी. 784

49 395 अमेरिका 444 (1969)

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक संघवाद के सिद्धांतों के औचित्य का उदाहरण देने, फैलाने या वकालत करने के इरादे से हिंसक कृत्यों का; या जो आपराधिक सिद्धांतों को पढ़ाने या उनकी वकालत करने के लिए गठित समूह के साथ स्वेच्छा से इकट्ठा होते हैं।

सिडिकलवाद '। न तो अभियोग और न ही जूरी को ट्रायल जज के निर्देशों ने किसी भी तरह से अपराध की कानून की गंजी परिभाषा को परिष्कृत किया।

केवल वकालत की शर्तें जो आसन्न कानूनविहीन कार्रवाई के लिए उकसाने से अलग नहीं हैं। इसके अलावा, यह माना गया कि संवैधानिक गारंटी

स्वतंत्र भाषण और स्वतंत्र प्रेस किसी राज्य को बल के उपयोग या कानून के उल्लंघन की वकालत को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं देते हैं, सिवाय इसके कि जहां ऐसा हो।

वकालत को आसन्न कानूनविहीन कार्रवाई को उकसाने या उत्पन्न करने के लिए निर्देशित किया जाता है और इस तरह की कार्रवाई को उकसाने या उत्पन्न करने की संभावना होती है।

34. संयुक्त राज्य अमेरिका में वी। यूजीन फ्रैंक रोबेल 50, द

विध्वंसक गतिविधि नियंत्रण अधिनियम की धारा 5 (ए) (1) (डी) की संवैधानिकता

1950 का, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न में खींचा गया था। अधिनियम की धारा 5 (ए) (1) (डी) में प्रावधान किया गया है कि जब कोई कम्युनिस्ट-एक्शन संगठन पंजीकरण के लिए अंतिम आदेश के तहत होता है, तो संगठन के किसी भी सदस्य के लिए किसी भी कार्य में संलग्न होना गैरकानूनी होगा।

किसी भी रक्षा सुविधा में रोजगार। ' इस मामले में, अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया था क्योंकि वह कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और यहाँ कार्यरत था।

टॉड शिपयाइर्स कॉर्पोरेशन, जिसे 'रक्षा सुविधा' के रूप में नामित किया गया था। न्यायालय ने धारा 5 (क) (1) (घ) को असंवैधानिक घोषित किया और अभिनिर्धारित किया कि:

" यह ठीक इसलिए है क्योंकि यह कानून कम्युनिस्ट-एक्शन समूहों के साथ सभी प्रकार के जुड़ाव में अंधाधुंध रूप से फैला हुआ है। सदस्यता की गुणवत्ता और डिग्री की परवाह किए बिना, कि यह

यह प्रथम संशोधन का उल्लंघन करता है "।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की पृष्ठभूमि, महत्व और प्रासंगिकता

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालय ने इंद्र दास पर भरोसा किया

अब से चर्चा किए गए अमेरिकी निर्णयों पर यह निर्णय लिया गया कि उन्हें लागू करने के लिए टाडा की धारा 3 (5)/यू. ए. पी. ए. की धारा 10 को पढ़ना होगा। संविधान के अनुरूप।

36. रिलायंस को एल्फब्रांड्ट (ऊपर) पर रखा गया था, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

50 389 अमेरिका 258 (1967)

अरुण भुवन बनाम। असम राज्य और ए. एन. आर. [संजय करोल, जे।]

37. विद्वान डिवीजन बेंच ने स्केल V पर भरोसा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका 5 1 एक सक्रिय और एक निष्क्रिय सदस्य के बीच अंतर करने के लिए संगठन। इस मामले में, स्मिथ के तहत याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि

अधिनियम संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा में आया। इस अधिनियम ने किसी भी संगठन में ज्ञात सदस्यता के अधिग्रहण या धारण को एक अपराध बना दिया जो संगठन को उखाड़ फेंकने की वकालत करता है।

हिंसा के बल द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार "। इसके अलावा, अदालत ने याचिकाकर्ता की संवैधानिक चुनौती को खारिज करते हुए कहा कि:

" खंड आपराधिक को किसी ऐसे संगठन के साथ सभी संबंध नहीं बनाता है जिसे अवैध वकालत में संलग्न दिखाया गया है। स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए कि एक प्रतिवादी "विशेष रूप से हिंसा का सहारा लेकर संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने का इरादा रखता है।"

इस प्रकार, जिस सदस्य के लिए संगठन वैध उद्देश्यों और नीतियों की प्रगति के लिए एक वाहन है, वह कानून के प्रतिबंध के दायरे में नहीं आता है: 'सरकार को जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से उखाड़ फेंकने' के लिए उसके पास अपेक्षित विशिष्ट इरादे का अभाव है। ऐसा व्यक्ति मूर्ख हो सकता है,

भ्रमित, या शायद केवल आशावादी, लेकिन वह इस कानून से नहीं है

अपराधी बना दिया। "

38. नोटो वी में। संयुक्त राज्य अमेरिका 52, याचिकाकर्ता को स्मिथ अधिनियम के सदस्यता खंड का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया था, जो किसी भी संगठन में सदस्यता के अधिग्रहण या धारण को अपराध बनाता है जो बल या हिंसा द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को उखाड़ फेंकने की वकालत करता है, इसके उद्देश्य को जानते हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभी या भविष्य में हिंसा के आह्वान के लिए कुछ पर्याप्त प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य होने चाहिए जो कम्युनिस्ट पार्टी के शिक्षण के संबंध में अन्यथा अस्पष्ट सैद्धांतिक सामग्री को रंग देने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत और पर्याप्त रूप से व्यापक दोनों हैं।

इस पृष्ठभूमि में, यह माना गया कि याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि को उलट दिया जा रहा है क्योंकि सरकार सबूत पेश करने में विफल रही है न्यायालय यह साबित करने के लिए पर्याप्त मानता है कि वर्तमान में कम्युनिस्ट पार्टी

बल द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने की वकालत करता है।

39. रिलायंस को कम्युनिस्ट पार्टी बनाम में न्यायमूर्ति ह्यूगो ब्लैक की असहमत राय पर रखा गया था। विध्वंसक गतिविधियाँ नियंत्रण

51 367 यूएस 203 (1960)

52 367 यूएस 290 (1960)

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बोर्ड 5 3. इस मामले में, 1950 के विध्वंसक गतिविधि नियंत्रण अधिनियम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी के पंजीकरण पर सवाल उठाया गया था क्योंकि यह एक "कम्युनिस्ट कार्रवाई संगठन" था। न्यायमूर्ति ह्यूगो ब्लैक ने कहा कि: मुझे विश्वास नहीं है कि यह बहुत बार दोहराया जा सकता है कि प्रथम संशोधन द्वारा गारंटीकृत भाषण, प्रेस, याचिका और सभा की स्वतंत्रता उन विचारों को दी जानी चाहिए जिनसे हम नफरत करते हैं या जल्द या बाद में उन्हें उन विचारों से वंचित कर दिया जाएगा जिन्हें हम संजोते हैं। किसी संगठन का पहला प्रतिबंध क्योंकि यह विचारों से नफरत करने की वकालत करता है कि क्या वह संगठन

राजनीतिक दल कहा जाए या न कहा जाए-यह एक स्वतंत्र देश के इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। ऐसा लगता है कि इस देश के लिए वह क्षण आ गया है।

40. संयुक्त फासीवाद विरोधी शरणार्थी समिति v. मैकग्राथ 5, याचिकाकर्ता संगठनों को अटॉर्नी जनरल द्वारा बिना सुनवाई के कम्युनिस्ट के रूप में शामिल किया गया था और उनके द्वारा संयुक्त राज्य सिविल सेवा आयोग के लॉयल्टी रिव्यू बोर्ड को प्रस्तुत किया गया था। अदालत ने यह मानते हुए कि अटॉर्नी जनरल के पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, मामले को जिला अदालत में वापस भेज दिया। यह देखा गया कि -

" बहुत तनाव के दिनों में, जब भावनाएँ बढ़ जाती हैं, तो यह हमारे विरोधियों की अधिनायकवादी तकनीकों से उधार लेकर शॉर्टकट लेने का प्रलोभन होता है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, तो हम अपने स्वयं के मंसूबों का एक विध्वंसक प्रभाव डालते हैं जो हमें भीतर से नष्ट कर देता है।

41. कीशियान वी। न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ रीजेंट्स 55, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने एक कानून को रद्द कर दिया जिसने बोर्ड ऑफ रीजेंट्स को विध्वंसक संगठनों की एक सूची तैयार करने और उन संगठनों से संबंधित शिक्षकों को नौकरी से वंचित करने के लिए अधिकृत किया। कानून ने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता को रोजगार से अयोग्यता के लिए प्रथम दृष्टया सबूत बनाया। श्री न्यायमूर्ति ब्रेनन ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा कि, किसी संगठन के गैरकानूनी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के विशिष्ट इरादे के बिना, केवल सदस्यता को जानने के लिए दंडित करना, अपीलकर्ताओं द्वारा धारण किए गए पदों से बहिष्कार के लिए संवैधानिक रूप से पर्याप्त आधार नहीं है।

42. येट्स वी. U.S.56, याचिकाकर्ता कैलिफोर्निया में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और उन पर स्मिथ अधिनियम के तहत अभियोग लगाया गया था, जिसमें उन पर (1) कर्तव्य की वकालत करने और सिखाने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था और

56 354 यूएस 298 (1957)

53 367 यूएस 1 (1961)

54 341 यूएस 123,174 (1951)

55 385 यू. एस. 589 1966 अरुण भुवन बनाम।

असम राज्य और ए. एन. आर. [संजय करोल, जे।]

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को बलपूर्वक उखाड़ फेंकने की आवश्यकता

और हिंसा, और (2) संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में, उन व्यक्तियों के समाज को संगठित करना जो इस तरह से वकालत करते हैं और सिखाते हैं, सभी के साथ

बलपूर्वक सरकार को उखाड़ फेंकने का इरादा। याचिकाकर्ताओं की दोषसिद्धि को उलटते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिला न्यायालय जबर्न उखाड़ फेंकने की वकालत और कार्रवाई की वकालत के बीच अंतर करने में विफल रहा, यह मानते हुए कि भविष्य में किसी समय हिंसक कार्रवाई की वकालत करना पर्याप्त था।

43. रिलायंस को क्लेरेंस ब्रांडेनबर्ग (ऊपर) पर रखा गया था, जैसे

ऊपर चर्चा की गई।

44. व्हिटनी वी। कैलिफोर्निया 3, जो सवाल उठा वह यह था कि क्या याचिकाकर्ता, जो कैलिफोर्निया आपराधिक सिंडिकलवाद अधिनियम का उल्लंघन करते हुए एक कम्युनिस्ट लेबर पार्टी के संगठन में शामिल हुआ और सहायता की, ने इसके गैरकानूनी चरित्र और उद्देश्य के ज्ञान के साथ ऐसा किया। द. संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो संविधान द्वारा सुरक्षित है, बिना जिम्मेदारी के बोलने का पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं करती है। इसके अलावा, हालांकि बोलने की स्वतंत्रता और सभा करने के अधिकार मौलिक हैं, लेकिन वे अपने स्वभाव में निरपेक्ष नहीं हैं।

45. रिलायंस को गिटलो बनाम में श्री जस्टिस होम्स की असहमत राय पर रखा गया था। न्यूयॉर्क 58. इस मामले में, अपीलार्थी एक था समाजवादी पार्टी के वामपंथी वर्ग के सदस्य। संगठित सरकार को उखाड़ फेंकने और उसे ऊपर उठाने की वकालत करने के लिए उन पर आरोप लगाया गया था।

बहुमत ने दोहराया कि यह एक मौलिक सिद्धांत है, लंबे समय तक

57 274 यूएस 357 (1926)

58 268 यूएस 652 (1925)

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिना किसी जिम्मेदारी के। एक राज्य संगठित सरकार की नींव को खतरे में डालने वाले बयानों को दंडित कर सकता है और गैरकानूनी तरीकों से उसे उखाड़ फेंकने की धमकी दे सकता है। ये एक संवैधानिक राज्य के रूप में अपने अस्तित्व को खतरे में डालते हैं। बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी या सरकार को नष्ट करने के प्रयास की रक्षा नहीं करती है। कानून की संवैधानिकता और अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया। न्यायमूर्ति होम्स ने कहा कि:

" यह स्पष्ट है कि प्रयास का कोई वर्तमान खतरा नहीं था

प्रतिवादी के विचारों को साझा करने वाले स्वीकार्य रूप से छोटे अल्पसंख्यक की ओर से बल द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकना। कहा जाता है कि यह घोषणापत्र एक सिद्धांत से अधिक था, कि यह एक उकसावा था।

हर विचार एक उत्तेजना है।

यदि इस दस्तावेज़ का प्रकाशन सरकार के खिलाफ विद्रोह को तुरंत प्रेरित करने के प्रयास के रूप में किया गया था, और किसी भी समय नहीं

भविष्य में अनिश्चित काल के लिए, इसने एक अलग सवाल प्रस्तुत किया होगा। लेकिन अभियोग प्रकाशन पर आरोप लगाता है, और कुछ भी नहीं

अधिक "।

46. टर्मिनीएलो वी। शिकागो ", याचिकाकर्ता पर किसी भी" शांति के उल्लंघन "को प्रतिबंधित करने वाले अध्यादेश के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। जबकि

उनकी दोषसिद्धि को उलटते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हमारी प्रणाली के तहत स्वतंत्र भाषण का एक कार्य सरकार को विवाद को आमंत्रित करना है। यह वास्तव में अपने उच्च उद्देश्य को पूरा कर सकता है जब यह अशांति की स्थिति को प्रेरित करता है, असंतोष पैदा करता है

परिस्थितियाँ जैसी हैं, या लोगों को क्रोधित भी करती हैं। अदालत ने कहा कि ". भाषण अक्सर उत्तेजक और चुनौतीपूर्ण होता है।"

59 337 यूएस 1 (1948)

60 299 यू. एस. 353 (1936)

अरुण भुवन बनाम। असम राज्य और ए. एन. आर. [संजय करोल, जे।]

निष्कर्ष

48. उपर्युक्त निर्णय भारत में विचाराधीन परिदृश्य के विपरीत हैं। अमेरिकी निर्णयों में मुख्य रूप से शामिल हैं

राजनीतिक संगठनों की सदस्यता या सरकार को उखाड़ फेंकने की वकालत करने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की घटनाओं के आधार पर अभियोग। हालाँकि, भारतीय कानून के तहत, यह राजनीतिक संगठनों आदि की सदस्यता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या सरकार की आलोचना पर प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं की जाती है, यह केवल वे संगठन हैं जिनका उद्देश्य भारत की संप्रभुता और अखंडता से समझौता करना है और जिन्हें ऐसे और गैरकानूनी होने के लिए अधिसूचित किया गया है, जिनकी सदस्यता निषिद्ध है। यह यू. ए. पी. ए. के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए है, जिसे व्यक्तियों और संघों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और उससे जुड़े मामलों के लिए लागू किया गया है। इसलिए, अंतर स्पष्ट है।

49. इसके अलावा, यू. ए. पी. ए. जांच की एक प्रणाली प्रदान करता है और

किसी भी संगठन को गैरकानूनी घोषित किए जाने के लिए शेष राशि और सार्वजनिक अधिसूचना:

अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि केंद्र सरकार को उस राज्य में आधिकारिक राजपत्र और दैनिक समाचार पत्र में एक गैरकानूनी संगठन घोषित करने वाली अधिसूचना प्रकाशित करनी चाहिए जिसमें प्रभावित संघ का प्रमुख कार्यालय स्थित है। इसके अलावा, एसोसिएशन को उसके कार्यालय में एक प्रति चिपकाकर या उसके पदाधिकारियों को सेवा देकर अधिसूचित किया जाना चाहिए।

या लाउडस्पीकर के माध्यम से।

अधिनियम की धारा 4 के तहत, अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी भी अधिसूचना पर न्यायाधिकरण द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्णय लिया जाएगा कि संगठन को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं। इस निर्णय में संघ को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। धारा 5 में इस यू. ए. पी. ए. न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो। अधिनियम की धारा 10 के तहत, जिसे उत्पत्ति कहा जा सकता है यदि वर्तमान विवाद पर निर्णय लिया जाना है, तो मेरी समझ में इसका अर्थ सामने आ रहा है। "है और बना हुआ है" का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति, संगठन को गैरकानूनी के रूप में अधिसूचित किए जाने के बाद भी, सदस्य है और बना रहेगा, उक्त धारा के तहत दंड को आकर्षित करेगा। "और" संयोजन के उपयोग का अर्थ है कि दोनों [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपर्युक्त शर्तों को पूरा करना होगा। [हैदराबाद

एस्वेस्टस सीमेंट उत्पाद और एन. आर. वी. भारत संघ और अन्य "। 61 1, (तीन-न्यायाधीश पीठ)]

यह दोहराना महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त टिप्पणियां वर्तमान संदर्भ के आलोक में और उसके अनुप्रयोग के लिए की गई हैं।

50. महत्वपूर्ण रूप से, श्रेया सिंघल (ऊपर) संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के उपयोग के संबंध में स्थिति को दर्शाती हैं। अमेरिका का यह कहना उचित है कि वे निर्णय "बहुत प्रेरक मूल्य" के हैं, लेकिन यह यह भी नोट करता है कि जहां तक सार्वजनिक हित का संबंध है, अमेरिकी और भारतीय परिदृश्य के बीच "अंतर की दुनिया" है। ऐसा लगता है कि यह वह अंतर है जो अरूप भान और इंद्र दास में विद्वान डिवीजन बेंच के ध्यान से बच गया था।

51. जैसा कि संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा दर्ज किया गया है, ऐसे अधिकारों के कामकाज और कार्यान्वयन में मुद्दों को उठाया जा रहा था।

52. उपरोक्त के आलोक में, मैं यह निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि इसलिए, एक अलग परिदृश्य में दिए गए निर्णयों के साथ-साथ एक स्पष्ट रूप से अलग संवैधानिक स्थिति, वह भी लगभग एकल रूप से, विशेष रूप से उन मामलों में जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के विचार शामिल हैं, उचित नहीं थी।

53. संदर्भ का उत्तर उपरोक्त शब्दों में दिया गया है।

संदर्भ

ने जवाब दिया।

(सहायक: अभिषेक अग्निहोत्री और शुभांशु दास, एलसीआरए)
सी. 426

61 (2000) 1 एस. सी.